सत्यमेव जयते

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व
एवं
सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.)
पर प्रतिवेदन

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2018 की प्रतिवेदन सं. 2

भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

राजस्व
एवं
सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.)

पर प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2018 की प्रतिवेदन सं. 2

विषय सूची

विवरण	संदर्भ में	
	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii-xii
अध्याय-I : राजस्व क्षेत्र		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1.1	1
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.1.2	3
कर निर्धारण में बकाया	1.1.3	4
विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन	1.1.4	4
कर वापसी के लंबित मामलों का विवरण	1.1.5	4
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभाग की प्रतिक्रिया	1.1.6	5
स्वीकृत मामलों की वसूली	1.1.7	8
लेखापरीक्षा योजना	1.1.8	8
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.1.9	9
राजस्व अध्याय का कवरेज	1.1.10	10
व्यापार एवं कर विभाग		
सांविधिक फॉर्मों को जारी करना	1.2	11
व्यापारियों द्वारा कर की रियायती दरों के अनियमित दावे के कारण राजस्व की हानि	1.3	23
इनपुट कर जमा का अनियमित दावा	1.4	25
माँग की गैर-वसूली तथा परिणामस्वरूप ब्याज की हानि	1.5	26
कर का भुगतान न करने के कारण राजस्व की हानि	1.6	28
फार्म 'सी' के ब्यौरे को जमा न करने के कारण कर की रियायती दर की अतिरिक्त अनुमति	1.7	29
परिवहन विभाग		
सरकारी खातों में प्राप्तियाँ जमा करने में विलम्ब होने के कारण ब्याज की हानि	1.8	31

अध्याय-II राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली		
प्रस्तावना	2.1.1	33
उत्तरदायित्व संरचना	2.1.2	33
सांविधिक लेखापरीक्षा	2.1.3	34
सरकार और विधानमंडल की भूमिका	2.1.4	34
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का अंश	2.1.5	34
राज्य सा.क्षे.उ. में निवेश	2.1.6	35
वर्ष के दौरान विशेष सहायता और रिटर्न	2.1.7	36
वित्त लेखों से मिलान	2.1.8	37
लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया	2.1.9	37
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	2.1.10	38
लेखों को अंतिम रूप न दिए जाने का प्रभाव	2.1.11	39
अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार सा.क्षे.उ. का निष्पादन	2.1.12	39
लेखा अभ्युक्तियाँ	2.1.13	42
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया	2.1.14	44
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	2.1.15	44
सरकारी उपक्रमों पर समिति (कोगू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा	2.1.16	45
सा.क्षे.उ. का विनिवेश, पुनर्संगठन और निजीकरण	2.1.17	45
अध्याय का क्षेत्र	2.1.18	45
निष्पादन लेखापरीक्षा और लेन-देन लेखापरीक्षा		
अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग		
दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की कार्य प्रणाली	2.2	46
पावर विभाग		
दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान	2.3	76
भूमि की खरीद पर निष्फल निवेश	2.4	78
पर्यटन विभाग		
मयूर विहार में दिल्ली हाट के निर्माण पर ₹ 39.66 लाख का निष्फल व्यय	2.5	80
ब्याज की हानि	2.6	82

व्यर्थ व्यय	2.7	84
परिवहन विभाग		
वार्षिक अनुरक्षण ठेकेदार से नुकसान की गैर-वसूली	2.8	86
बिजली प्रभार का परिहार्य भुगतान	2.9	89
पावर विभाग		
दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा	2.10	91

अनुलग्नक

सं.	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
1.2.1	माँग की वसूली के बिना फॉर्मों को जारी करना	1.2.2	109
1.2.2	घोषित क्रय राशि से अधिक फॉर्म जारी करना	1.2.3	110
1.2.3	आरसी में शामिल नहीं की गई मदों के लिए फॉर्मों को जारी करना	1.2.4 (i)	111
1.2.4	रिटर्नों में बिक्री शून्य दिखा रहे व्यापारियों को फॉर्म जारी करना	1.2.5 (i) (ख)	112
1.2.5	रद्द व्यापारियों के अंत शेष पर कर का गैर-उद्ग्रहण	1.2.5 (ii)	113
1.2.6	सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत रद्द व्यापारियों का गैर निर्धारण	1.2.5 (iii)	114
1.2.7 (क)	सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत गैर निर्धारण तथा आरसी को रद्द करने के लिए व्यापारियों द्वारा डीवैट-09 फाइल करने के बाद फॉर्मों को जारी करना	1.2.6 (क)	115
1.2.7 (ख)	डीवैट-11 के द्वारा आरसी को रद्द करने के बाद व्यापारियों को फॉर्म जारी करना तथा सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत गैर-निर्धारण	1.2.6 (ख)	116
1.2.8	एकल लेन देन मूल्य के प्रति बहु फॉर्म जारी करना	1.2.7 (क)	117
1.2.9 (क)	एक ही क्रम संख्या धारक फॉर्मों को जारी करना	1.2.7 (ख)	118
1.2.9 (ख)	'शून्य' मूल्य दर्शाते फॉर्मों को जारी करना	1.2.7 (ग)	118
2.1 (i)	राज्य सरकार द्वारा उन सा.क्षे.उ. में निवेश जिनके लेखे बकाया थे, को दर्शाती विवरणी	2.1.9	119
2.1 (ii)	सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की उनके अद्यतन अंतिम वित्तीय विवरणों/लेखों के अनुसार सारकृत वित्तीय स्थिति और कार्यशील परिणाम	2.1.12	120

प्राक्कथन

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन के दो भाग हैं।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-I** सरकार के राजस्व क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियत्रंक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत संचालित की जाती है तथा इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। यह अध्याय 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राप्तियों जैसे राज्य उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर तथा मोटर वाहनों पर कर की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-II** राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 तथा 143 के अंतर्गत तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों के अंतर्गत संचालित की जाती है। सरकार से अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के इस भाग को नियंत्रक- महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा को प्रस्तुत करें।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2016-17 के दौरान लेखों की नमूना जाँच के दौरान संज्ञान में आए साथ ही वे मामले हैं जो उसके पूर्व के वर्षों में पता चले परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था; 2016-17 के बाद की अवधि के मामले जो वर्ष 2016-17 से संबंधित हैं, जहां आवश्यक है वहां सम्मिलित किए गए हैं।

इस लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राजस्व एवं सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.) से संबंधित दो अध्याय है जिसमें लेखापरीक्षा प्राप्तियां शामिल हैं। राजस्व क्षेत्र से संबंधित अध्याय I में अवनिर्धारण, राजस्व के कम भुगतान/घाटा, ब्याज एवं हर्जाने पर सात पैराग्राफ हैं, जिसमें ₹ 254.46 करोड़ की धनराशि शामिल है और अध्याय II जो सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.) से संबंधित है, में एक निष्पादन लेखापरीक्षा और आठ पैराग्राफों (एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित) को शामिल करता है, जिसमें ₹ 102.38 करोड़ शामिल हैं। कुछ प्रमुख निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया हैः

अध्याय-I: राजस्व क्षेत्र

वर्ष 2015-16 में ₹ 34,998.85 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 हेतु सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति ₹ 34,345.74 करोड़ थी। इसमें से 92 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 31,139.89 करोड़) और गैर-कर राजस्व (₹ 380.69 करोड़) से प्राप्त हुआ। बाकी आठ प्रतिशत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में (₹ 2,825.16 करोड़) प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व में 3.03 प्रतिशत वृद्धि तथा गैर-कर राजस्व में 26.14 प्रतिशत कमी थी।

(पैराग्राफ 1.1.1)

वर्ष 2016-17 के दौरान व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन तथा राजस्व विभाग की 88 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई जिसमें 650 पैराग्राफों में शामिल ₹ 416.94 करोड़ का अवनिर्धारण/कर का कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं को दर्शाया गया। वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों की ₹ 7.04 करोड़ की राशि को स्वीकार किया।

(पैराग्राफ 1.1.9)

व्यापार एवं कर विभाग और परिवहन विभाग

सांविधिक फार्मों को जारी करना

सांविधिक फार्मों को जारी करने पर वार्ड अधिकारियों की उपयुक्त तत्परता और निगरानी अपर्याप्त थी साथ ही यह डीवैट सिस्टम में प्रकट कमियों को पता लगाने/मजबूत करने में असफल था। पिछली मांग की वसूली सुनिश्चित किए बिना और विवरणियों में घोषित खरीद धनराशि का मिलान किए बगैर डीलरों को सांविधिक प्रपत्र जारी किए गए। पंजीकरण प्रमाणपत्र में शाखाओं/प्रेषण एजेंटों का विवरण और विक्रय की मदों का विवरण न होने पर भी डीलरों को

सांविधिक फार्म जारी किए गए। वार्ड अधिकारियों ने फार्म डाऊनलोड के दुरूपयोग को रोकने के विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया, इससे डीलरों द्वारा अनियमित रूप से फार्म की डाऊनलोडिंग में गड़बड़ियां हुईं। प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर निरस्त पंजीकरण प्रमाणपत्रों (आर.सी.) के आधार पर भी डीलरों को सांविधिक फार्म जारी किए गए। प्रणाली की अभिकल्पना में कमियां होने और समुचित वैधीकरण जांचों के अभाव के परिणामस्वरूप समान क्रम संख्या के अनेक फार्म जारी हुए और सांविधिक फार्मों को डाऊनलोड करने में समान ट्रांजैक्शन वैल्यू का दोबारा प्रयोग किया गया। इन कमियों के परिणामस्वरूप ₹ 1,892.78 करोड़ के सांविधिक फार्मों को जारी करने में गड़बड़ी पाई गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 248.08 करोड़ राशि के कुछ मामलों में कर हर्जाना नहीं लगाया गया।

(पैराग्राफ 1.2)

रियायती कर के लिए व्यापारियों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारण अधिकारी की विफलता के कारण ₹ 20.91 लाख के कर का कम उद्ग्रहण, ₹ 11.11 लाख के ब्याज तथा ₹ 20.91 लाख के जुर्माने सहित ₹ 52.93 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 1.3)

निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रय व्यापारियों द्वारा कर जमा के विवरण का सत्यापन के बिना निर्धारितियों को ₹ 18.80 लाख का इनपुट कर जमा अनुमत्य किया, परिणामस्वरूप ₹ 18.80 लाख के कर का कम उदग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 10.80 लाख के ब्याज तथा ₹ 18.80 का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

(पैराग्राफ 1.4)

जिन व्यापारियों का पंजीकरण रद्द हो चुका था उनसे विभाग ₹ 3.90 करोड़ की माँग वसूल करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 1.5)

एक व्यापारी की सही कर देयता का पता लगाने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.68 लाख के कर का कम भुगतान हुआ। व्यापारी से ₹ 4.75 लाख का ब्याज और ₹ 16.51 लाख का जुर्माना भी देय था।

(पैराग्राफ 1.6)

फॉर्म 'सी' पर कर के रियायती दर की अतिरिक्त अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 63.79 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अलावा, ₹ 37.70 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

(पैराग्राफ 1.7)

सरकारी खातों में प्राप्तियाँ जमा करने में विलम्ब होने के कारण ₹ 20.20 लाख के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 1.8)

अध्याय - II सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)

31 मार्च 2017 को 17 सा.क्षे.उ. थे जिसमें 15 सरकारी कंपनियां तथा दो सांविधिक निकाय शामिल थे। 31 मार्च 2017 को इन 17 सा.क्षे.उ. में निवेश ₹ 30,433.81 करोड़ था। कुल निवेश, 31.54 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी की ओर, 10.56 प्रतिशत निर्बाध आरक्षित निधियों की ओर एवं 57.90 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों की ओर था। यह निवेश 2012-13 में ₹ 26,995.92 करोड़ से 12.73 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में ₹ 30,433.81 करोड़ हो गया। सरकार ने 2016-17 के दौरान राज्य सा.क्षे.उ. को इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/आर्थिक सहायता के लिए ₹ 2,214.75 करोड़ दिया।

(पैराग्राफ 2.1.6 और 2.1.7)

बकाया लेखों की संख्या 12 (2012-13) से बढ़कर 29 (2016-17) हो गई। 30 सितम्बर 2017 को एक सा.क्षे.उ. दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय तथा विकास निगम लिमिटेड के लेखे 13 वर्षों से बकाया थे जबकि अन्य सा.क्षे.उ. के लेखे एक से तीन वर्षों तक बकाया थे।

(पैराग्राफ 2.1.9)

17 कार्यशील सा.क्षे.उ. में से 10 सा.क्षे.उ. ने ₹ 967.60 करोड़ का लाभ कमाया और छः सा.क्षे.उ. ने ₹ 3,488.55 करोड़ का घाटा उठाया। एक कार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखे 'न लाभ न हानि' की स्थिति में थे।

(पैराग्राफ 2.1.12)

अक्तूबर 2016 से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान प्राप्त 19 लेखों के संबंध में छः लेखों को सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अयोग्यता प्रमाणपत्र दिए गए, 12 लेखों को योग्यता प्रमाणपत्र और एक लेखे के लिए प्रतिकूल प्रमाणपत्र (जिसका अर्थ हैं कि लेखे सही और निष्पक्ष स्थिति नहीं दर्शाते) दिया गया।

(पैराग्राफ 2.1.13)

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा विकलांग वित्तीय तथा विकास निगम लिमिटेड के कार्य की निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसमें 2012-13 से 2016-17 की अवधि को सम्मिलित किया गया, से लक्षित जनसंख्या तक पहुंच पाने में कमी, आवंटन से कम निधि का आहरण और ऋण की कम वसूली का पता लगा। कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

कंपनी ने लक्षित समूहों की पहचान के लिए न तो कोई सर्वेक्षण किया और न ही अभीष्ट लाभार्थियों का डाटाबेस बनाया।

(पैराग्राफ 2.2.2)

कंपनी ने नियमित रूप से अपने वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया। वर्ष 2004-05 तथा उसके बाद के वर्षों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

(पैराग्राफ 2.2.3.1)

ऋण के संवितरण का प्रतिशत जो 2012-13 में कुल उपलब्ध निधियों का 45.41 प्रतिशत था, कम होकर 2016-17 में 12.90 प्रतिशत रह गया।

(पैराग्राफ 2.2.3.2)

कंपनी की ऋण गतिविधियों के भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति में काफी कमी रही। यह प्राप्ति 2012-17 की अवधि में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एक से 61 प्रतिशत तक रही।

(पैराग्राफ 2.2.4.1)

वित्तीय सहायता को बढ़ाने में कमियाँ थी और ऋणों के संवितरण में काफी विलंब हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.4.4)

लाभार्थियों से वसूली को बाद की कार्रवाई प्रक्रिया के अनुसरण की प्रणाली संतोषप्रद नहीं थी क्योंकि वर्ष 2016-17 के दौरान की गई कुल वसूली मात्र 11 प्रतिशत थी। 31 मार्च 2017 तक अधिक लंबितता वाले मामलों के संबंध में ₹ 23.77 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई।

(पैराग्राफ 2.2.5)

5,192 मामलों में से अधिकतम 3,533 मामले जिन्हें अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे, वसूली प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई।

(पैराग्राफ 2.2.5.2)

शिकायत निवारण प्रणाली अपर्याप्त थी और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर और अप्रभावी थी।

(पैराग्राफ 2.2.7)

पावर विभाग

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा न्यूनतम वैकल्पिक कर देयता का निर्धारण समय से करने में असफलता के फलस्वरूप अग्रिम कर के गैर-भुगतान के कारण ₹ 60.01 लाख के दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

(पैराग्राफ 2.3)

दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड प्रस्तावित उपकेंद्र हेतु भूमि की उपयुक्तता सुनिश्चित किए बिना ₹ 1.34 करोड़ की वार्षिक आवर्ती लागत पर और वर्ष 2022 तक इसकी स्थापना की किसी निश्चित योजना के बिना 2014 में भूमि का क्रय किया गया जिसके फलस्वरूप इस भूमि के लिए जुलाई 2017 तक भुगतान किए गए ₹ 4.08 करोड़ पर, जो अभी तक अवरूद्ध हैं एवं अलाभकारी हो गए है, इसके ऋणों पर दिये जा रहे ब्याज के अनुसार, ₹ 79.92 लाख के राजस्व की हानि हो गई।

(पैराग्राफ 2.4)

पर्यटन विभाग

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम

सर्वोच्य न्यायालय तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्देशों के अतिलंघन में तथा डीडीए द्वारा अक्तूबर 2013 में भूमि उपयोग के बदलाव को अस्वीकृत करने और यूटीटीआईपीईसी द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद मयूर विहार में दिल्ली हाट के निर्माण को प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप ₹ 39.66 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.5)

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम ने ग्राहक विभाग से डिपोज़िट की पूर्व प्राप्तियों को सुनिश्चित किए बिना डिपोज़िट कार्य पर व्यय करने के कारण ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज की हानि को वहन किया।

(पैराग्राफ 2.6)

डीटीटीडीसी की ओर से यथोचित कर्मठता तथा योजना की अपर्याप्तता के परिणामस्वरूप भूमि को कथित उपयोग हेतु विकसित करने में 12 वर्ष का परिहार्य विलंब तथा ₹ 23.19 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, भूमि में निवेश की व्यर्थता होने का अभिप्राय है कि डीटीटीडीसी को ₹ 1.79 करोड़ की अवरुद्ध निधियों पर ₹ 1.27 करोड़ की ब्याज की हानि के साथ कोई अनुकूल राजस्व उत्पत्ति नहीं हुई।

(पैराग्राफ 2.7)

परिवहन विभाग

दिल्ली परिवहन निगम

ठेका प्रबंधन में कमी एवं प्रबंधन द्वारा देरी से की गई कार्रवाई के कारण डीटीसी टाटा मोटर्स लिमिटेड से 17 बसों जिनका घटा हुआ मूल्य ₹ 5.86 करोड़ था, के जलने से हुए घाटे को वसूल नहीं कर सका इसके अतिरिक्त, 17 बसों की अनुपलब्धता के कारण डीटीसी को अंशदान का वार्षिक नुकसान ₹ 1.13 करोड़ तथा जून 2017 तक कुल ₹ 2.82 करोड़ का नुकसान हुआ। 2682 बसों के लिए बीमा नहीं कराने का मतलब है टाटा मोटर्स लिमिटेड को बीमा की लागत के बराबर का अनुचित लाभ देना।

(पैराग्राफ 2.8)

कार्यकारी एजेंसी अपर्याप्त नियोजन से जुड़े द्वारका-VIII बस डिपो के विकास हेतु सौंपे गए डिपोजिट वर्क की प्रगति की निगरानी करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 50.72 लाख के बिजली प्रभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.9)

भाग ‘क’

राजस्व क्षेत्र

अध्याय-I

राजस्व क्षेत्र

अध्याय - I

राजस्व क्षेत्र

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1.1 वर्ष 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा उत्थित कर एवं गैर-कर राजस्व और वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं पिछले चार वर्षों के तत्संबंधी आंकड़े **तालिका 1.1** में नीचे दर्शाये गए हैं।

तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	राज्य सरकार द्वारा उत्थित राजस्व					
	कर राजस्व	23,431.52	25,918.69	26,603.90	30,225.16	31,139.89
	गैर-कर राजस्व	626.93	659.14	632.55	515.40	380.69
	योग	**24,058.45**	**26,577.83**	**27,236.45**	**30,740.56**	**31,520.58**
2	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	सहायता अनुदान	1,502.52	1,402.86	2,348.14	4,258.29	2,825.16
3	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 तथा 2)	**25,560.97**	**27,980.69**	**29,584.59**	**34,998.85**	**34,345.74**
4	1 से 3 तक की प्रतिशतता	**94**	**95**	**92**	**88**	**92**

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा वसूल किया गया राजस्व (₹ 31,520.58 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 92 *प्रतिशत* था। 2016-17 के दौरान शेष आठ *प्रतिशत* प्राप्तियाँ भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान थी।

1.1.1.2 वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान उत्थित कर राजस्व का विवरण **तालिका 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.2: उत्थित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2015-16 की अपेक्षा 2016-17 में वास्तविक वृद्धि (+o) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
		ब.अ.	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	
1	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	16,500.00	15,803.68	18,200.00	17,925.71	19,000.00	18,289.31	21,000.00	20,245.82	22,000.00	21,144.24	4.44
2	राज्य उत्पाद शुल्क	3,000.00	2,869.74	3,200.00	3,151.63	3,550.00	3,422.39	4,500.00	4,237.69	4,700.00	4,251.40	0.32
3	स्टॉम्प ड्यूटी	3,799.97	3,098.06	3,799.98	2,969.07	2,938.15	2,779.88	3,449.98	3,433.60	3,098.00	3,143.93	-8.44
4	मोटर वाहनों पर कर	1,370.00	1,240.18	1,400.00	1,409.27	1,600.00	1,558.83	1,700.00	1,607.01	1,750.00	1,808.78	12.56
5	माल व सेवाओ पर अन्य कर व ड्यूटी	487.00	419.84	475.00	463.00	520.00	491.70	720.00	700.53	880.00	789.53	12.70
6	भू-राजस्व	0.03	0.01	0.02	0.01	61.85	61.79	0.02	0.51	2.00	2.01	294.12
	कुल	**25,157.00**	**23,431.51**	**27,075.00**	**25,918.69**	**27,670.00**	**26,603.90**	**31,370.00**	**30,225.16**	**32,430.00**	**31,139.89**	

स्रोतः वित्त लेखे

यह देखा गया है कि राज्य की वास्तविक कर प्राप्ति एक बढ़ती हुई प्रवृति दर्शाती है जो वर्ष 2012-13 में ₹ 23,431.51 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 31,139.89 करोड़ है। वर्ष 2016-17 के लिए 'मोटर वाहन कर' और 'बिक्री एवं व्यापार कर' आदि शीर्ष के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों में क्रमश: 12.56 *प्रतिशत* और 4.44 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई जबकि 'स्टाम्प ड्यूटी' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की अपेक्षा 8.44 *प्रतिशत* से घटकर ₹ 3,433.60 करोड़ से ₹ 3,143.93 करोड़ हो गईं।

विभाग द्वारा राजस्व में वृद्धि/कमी के लिए कोई कारण प्रदान नहीं किया गया।

1.1.1.3 वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान उत्थित गैर-कर राजस्व का विवरण **तालिका 1.3** में दिखाया है:

तालिका 1.3: उत्थित गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2015-16 की अपेक्षा 2016-17 में वास्तविक वृद्धि(+) अथवा कमी(-) की प्रतिशतता
		ब.अ	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	
1	ब्याज प्राप्तियाँ	473.54	340.03	754.50	379.35	604.00	350.52	173.16	82.53	120.00	81.39	-1.38
2	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	44.24	54.32	65.00	63.05	73.00	58.20	129.23	125.88	82.10	60.13	-52.23
3	लोक निर्माण	23.10	25.55	20.00	18.59	17.50	14.74	19.00	18.47	18.00	22.23	20.36
4	पॉवर	14.00	9.93	22.01	18.46	24.01	16.38	32.01	42.06	25.00	21.40	-49.12
5	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	91.00	95.60	115.00	91.04	112.17	98.91	106.18	89.43	122.71	111.33	24.49
6	अन्य[1] गैर-कर प्राप्तियाँ	123.66	101.50	111.42	88.65	133.32	93.79	109.42	157.03	88.19	84.21	-46.37
कुल		**769.54**	**626.93**	**1087.93**	**659.14**	**964.00**	**632.54**	**569.00**	**515.40**	**456.00**	**380.69**	

स्रोत: वित्त लेखे

ऊपर से यह स्पष्ट है कि राज्य की गैर-कर प्राप्ति वर्ष 2012-13 में ₹ 626.93 करोड़ तथा वर्ष 2016-17 में ₹ 380.69 करोड़ की घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शा रही है। वर्ष 2016-17 के लिए 'चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य' एवं 'पावर' शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश: 52.23 *प्रतिशत* और 49.12 *प्रतिशत* की कमी हुई जबकि 'अन्य प्रशासनिक' सेवाओं शीर्ष के अंतर्गत 24.49 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

[1] अंश तथा लाभ, लोक सेवा आयोग, पुलिस, जेल, शिक्षा, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, अलौह खनन तथा धातु उद्योग, पर्यटन, सिविल आपूर्तियाँ, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, हाउसिंग आदि।

वर्ष 2016-17 के लिए 'नागरिक आपूर्ति', 'लोक सेवा आयोग' तथा 'जेल शीर्षों' के अन्तर्गत पिछले वर्ष की अपेक्षा प्राप्तियाँ क्रमश: 98.58 *प्रतिशत*, 97.50 *प्रतिशत* तथा 70.35 *प्रतिशत* कम हुईं।

सरकार ने बताया कि वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान 'ब्याज प्राप्तियाँ' शीर्ष के अन्तर्गत गैर कर प्राप्तियों में कमी, ऋणों के ब्याज के कारण स्थानीय निकायों से कम संग्रहण के कारण थी जबकि 2016-17 में 'चिकित्सा' तथा 'जन स्वास्थ्य', 'पावर' तथा अन्य 'गैर कर प्राप्तियों' के कम संग्रहण के कारण थी। सरकार को शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों में उल्लेखनीय कमी पर पर्याप्त कार्रवाई करने के लिए विश्लेषण करना चाहिए।

1.1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2017 तक ₹ 26,958.44 करोड़ राशि का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 10,043.20 करोड़ की राशि पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी जैसा कि **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**राजस्व शीर्ष**	**31 मार्च 2017 तक कुल बकाया राशि**	**31 मार्च 2017 तक पाँच वर्षों से अधिक समय की बकाया राशि**	**टिप्पणी**
1.	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	7,069.14	7,069.14	राशि दिल्ली बिक्री कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर व्यवस्था से संबंधित है (डीएसटी तथा सीएसटी)
2.	मूल्य वर्धित कर	19,626.00*	2,971.00	डीवैट व्यवस्था
3.	राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर	263.30	3.06	संशोधित लाइसेंस शुल्क, अदालती मामले
कुल		**26,958.44**	**10,043.20**	

स्त्रोत: व्यापार एवं कर विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता विभाग

** जुर्माने के रूप में शामिल ₹ 9,278 करोड़*

डीएसटी तथा सीएसटी व्यवस्था से संबंधित ₹ 7,069.14 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय के लिए वसूली हेतु बकाया है अर्थात विभाग ने इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। वैट की बकाया राशि 31 मार्च 2016 को ₹ 17,175.75 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2017 को ₹ 19,626.00 करोड़ हो गई। विभाग ने बताया कि करदाताओं को आपत्ति/अपील को फाइल करने के लिए विभिन्न मार्ग उपलब्ध हैं जो मुकदमों को बड़े पैमाने पर और आगे ले जाते हैं। विभाग को इन बकायों को वसूल

करने के लिये प्रभावी कदम उठाने और रोडमैप तैयार करने, संवीक्षा और विश्लेषण करना चाहिए जो वैट से उनके वार्षिक राजस्व को और अधिक बढ़ाये।

1.1.3 कर निर्धारण में बकाया

व्यापार एवं कर विभाग (डीटीटी) और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग द्वारा वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों, निर्धारण हेतु लंबित होने वाले मामलों, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की संख्या का विवरण **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: कर निर्धारण में लंबित

राजस्व शीर्ष	प्रारंभिक शेष	2016-17 के दौरान निर्धारण हेतु लंबित नए मामले	कुल निर्धारण लंबित	2016-17 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष मामले	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	शून्य	2,29,097	2,29,097	2,29,097	0	100
राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर	1,841	674	2,515	1,291	1,224	51.33

स्रोतः व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग

निर्धारण मामलों के निपटान की प्रतिशतता राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग के संबंध में 51.33 *प्रतिशत* थी, जबकि डीटीटी के संबंध में कोई निर्धारण लंबित नहीं था।

1.1.4 विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन

2016-17 के दौरान, प्रवर्तन शाखा (डीटीटी) ने खोज के आधार पर 154 मामलों का पता लगाया तथा ₹ 15.74 करोड़ की माँग उत्थित की, जोकि प्राप्त कर ली गई।

1.1.5 कर वापसी के लंबित मामलों का विवरण

विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के प्रारंभ में लंबित कर वापसी के मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावों, वर्ष के दौरान अनुमत वापसियों तथा 2016-17 के अंत में लंबित मामलों की संख्या जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया है, को **तालिका 1.6** में दिया गया है।

तालिका 1.6: कर वापसी मामलों के लंबन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		मनोरंजन कर		स्टॉम्प एवं पंजीकरण		परिवहन	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावे	93,410	2,623.57	111	7.81	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	16,345	851.26	140	2.09	650	24.32	38	0.13
3	कुल दावे	1,09,755	3,474.83	251	9.90	650	24.32	38	0.13
4	वर्ष के दौरान की गई कर वापसियाँ	26,197	827.18	35	1.65	393	12.90	38	0.13
5	कुल दावे से वापसियों की प्रतिशतता	23.87	23.80	13.94	16.67	60.46	53.04	100	100
6	वर्ष के अंत में लंबित शेष	83,558	2,647.65	216	8.25	257	11.42	शून्य	शून्य

यदि अधिक प्राप्त राशि आदेश की तिथि से 60 दिनों के अंदर व्यापारियों को वापस नहीं की जाती है तो दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम (डीवैट एक्ट) की धारा 42 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित वार्षिक दर पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान है। निर्धारित अवधि के अन्दर दावों की वापसियाँ न करने पर ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। हालाँकि विभाग द्वारा वापसी पर ब्याज के भुगतान की जानकारी यह कहते हुए नहीं दी गई कि इस प्रकार के किसी भी डाटा का अनुरक्षण नहीं किया गया।

1.1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभाग की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली (ए.जी.) नियमों तथा प्रक्रियाओं में जैसा निर्धारित है, के अनुसार लेन-देनों की नमूना जाँच तथा लेखों व अन्य अभिलेखों के रख-रखाव को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं तथा जिन मामलों का निपटान मौके पर न हो सका, उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) में शामिल करके शीघ्र उचित कार्रवाई के लिए अगले उच्च प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियों के साथ निरीक्षित कार्यालय के अध्यक्षों को जारी किया जाता है तथा इन निरीक्षणों का निरीक्षण प्रतिवेदन के जरिए अनुसरण होता है। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से नि.प्र. में दर्शायी गई अभ्युक्तियों की शीघ्र अनुपालना, त्रुटियों एवं गलतियों को सुधारना तथा नि.प्र. की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के अंदर ए.जी. को अनुपालना भेजना

अपेक्षित होता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को भेजा जाता है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी की गई नि.प्र. की संक्षिप्त स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों एवं 31 मार्च 2017 तक उनकी स्थिति **तालिका-1.7** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.7: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के अंत में शेष		
		नि.प्र.	पैराग्राफ	धनराशि	नि.प्र.	पैराग्राफ	धनराशि	नि.प्र.	पैराग्राफ	धनराशि	नि. प्र.	पैराग्राफ	धनराशि
1.	**2007-08**	223	2,582	1,030.98	62	1329	1,077.42	79	1,266	349.89	206	2,645	1,758.51
2.	**2008-09**	206	2,645	1,758.51	89	2265	1,748.24	6	429	413.39	289	4,481	3,093.36
3.	**2009-10**	289	4,481	3,093.36	108	2972	2,900.71	11	301	218.47	386	7,152	5,775.60
4.	**2010-11**	386	7,152	5,775.60	54	2009	1,831.89	85	564	434.09	355	8,597	7,173.40
5.	**2011-12**	355	8,597	7,173.40	96	2204	3,079.27	24	657	394.02	427	10,144	9,858.65
6.	**2012-13**	427	10,144	9,858.65	104	1610	1,209.64	62	520	571.99	469	11,234	10,496.31
7.	**2013-14**	469	11,234	10,496.31	92	790	1,099.45	3	83	-	558	11,941	11,595.76
8.	**2014-15**	558	11,941	11,595.76	76	506	159.57	15	159	7.40	619	12,288	11,747.93
9.	**2015-16**	619	12,288	11,747.93	80	458	52.23	09	129	4.12	690	12,617	11,796.04
10.	**2016-17**	690	12,617	11,796.04	111	650	169.04	11	357	484.30	790	12,910	11,480.78

वर्ष 2007-08 में ₹ 1,030.98 करोड़ की राशि को शामिल करते हुए 2,582 पैराग्राफ लंबित थे परन्तु वर्ष 2016-17 के अंत में ₹ 11,480.78 करोड़ की धनराशि को शामिल करते हुए लंबित पैराग्राफों की संख्या बढ़कर 12,910 हो गई जिससे यह संकेतित होता है कि विभाग ने बकाया पैराग्राफों को निपटाने हेतु कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाया।

1.1.6.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार द्वारा नि.प्र. में शामिल लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निपटान की प्रगति को तीव्र करने एवं निगरानी हेतु लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया जाता है। मार्च 2017 में व्यापार एवं कर विभाग द्वारा गठित लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में, अपर आयुक्त को बकाया पैरों के जल्दी निपटान के लिए उनके उत्तर प्रदान करने के लिए कहा। अपर आयुक्त ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हालाँकि, परिवहन, राज्य उत्पाद शुल्क और राजस्व विभागों द्वारा कोई भी लेखापरीक्षा समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया गया।

1.1.6.2 संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति

कर राजस्व कार्यालयों के स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से पहले ही बना लिया जाता है तथा सामान्यतः लेखापरीक्षा आरंभ करने से एक

माह पूर्व विभागों को सूचनाएँ जारी कर दी जाती हैं, जिससे विभाग लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु संबंधित अभिलेखों को तैयार रखने में सक्षम हो सके।

डीटीटी ने वर्ष 2016-17 के दौरान माँगी गई 11,053 फाइलों/मामलों में से 9,822 निर्धारण फाइलें/मामले (89 *प्रतिशत*), लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई परिणामस्वरूप इन मामलों में शामिल राजस्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

1.1.6.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई - संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) निर्धारित करती है कि राज्य विधान सभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर कार्रवाई प्रारंभ करें तथा उन पर एक्शन टेकन नोट्स (एटीएन) रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के तीन महीने के अंदर सरकार द्वारा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जाए। हालाँकि, प्रतिवेदनों पर ए.टी.एन. में हुई देरी के संदर्भ में 31 मार्च 2012, 2013, 2014, 2015 एवं 2016 को समाप्त वर्षों हेतु रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल 25 पैराग्राफों तथा तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं (पी.ए.) को राज्य विधान सभा के समक्ष मार्च 2013 से जून 2017 के बीच प्रस्तुत किया गया। संबंधित विभागों से इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से प्रत्येक के संबंध में एटीएन छः माह की औसत देरी से प्राप्त हुए। 31 मार्च 2012, 2013, 2014, 2015 तथा 2016 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में 12 पैराग्राफों तथा दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं (पी.ए.) से संबंधित एटीएन विभाग से प्राप्त नहीं हुए जैसा कि **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: पैराग्राफ, निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा एटीएन का विवरण

क्र.सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	प्रतिवेदन में छपे पैराग्राफ एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या	पैराग्राफों एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या जिसके लिए एटीएन प्रतीक्षित थे
1	**2012**	16+1 (पी.ए.)	3+0(पी.ए.)
2	**2013**	2+1 (पी.ए.)	2+1(पी.ए.)
3	**2014**	3+0 (पी.ए.)	3+0(पी.ए.)
4	**2015**	0+1 (पी.ए.)	0+1 (पी.ए.)
5	**2016**	4+0 (पी.ए.)	4+0 (पी.ए.)
कुल		**25+3 (पी.ए.)**	**12+2 (पी.ए.)**

लोक लेखा समिति ने 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) से संबंधित पैराग्राफों/पी.ए. पर चर्चा नहीं की।

1.1.7 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए पैराग्राफों की स्थिति, विभागों द्वारा स्वीकृत पैराग्राफ तथा वसूल की गई धनराशि को **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: शामिल, स्वीकृत तथा वसूल की गई राशि के पैराग्राफों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफों की धनराशि	स्वीकृत पैराग्राफों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	वर्ष 2016-17 के दौरान वसूली गई राशि	31 मार्च 2017 तक स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति	वसूली की प्रतिशतता
2006-07	16	254.93	13	209.06	-	0.27	0.13
2007-08	11	945.52	7	28.17	-	0.18	0.64
2008-09	15	1,729.62	7	109.00	-	0.14	0.13
2009-10	18	1,764.20	5	49.36	-	0.39	0.79
2010-11	15	1,479.98	4	58.00	-	0.06	0.10
2011-12	17	2,363.11	1	19.14	-	1.23	6.43
2012-13	3	536.00	3	70.16	-	00	0.00
2013-14	3	98.39	3	20.83	-	00	0.00
2014-15	1	1.34	1	1.34	-	0.02	1.49
2015-16	4	122.13	4	7.02	0.01	0.01	0.14
कुल	**103**	**9,295.22**	**48**	**572.08**	**0.01**	**2.30**	**0.40**

यह देखा गया है कि वसूली की प्रगति, यहाँ तक की स्वीकृत मामलों में भी नगण्य थी। वर्ष 2006-07 से 2015-16 के प्रतिवेदनों में ₹ 9,295.22 करोड़ राशि की लेखा परीक्षा आपत्तियाँ शामिल थी, जिसमें से ₹ 572.08 करोड़ की धनराशि से संबंधित अभ्युक्तियों को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। हालाँकि केवल ₹ 2.30 करोड़ (0.40 *प्रतिशत*) की राशि विभाग द्वारा वसूल की गई।

विभाग द्वारा स्वीकृत मामलों में बकाया राशि की वसूली के अनुसरण तथा निगरानी हेतु शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।

1.1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा की पिछली प्रवृत्तियों, अभ्युक्तियों तथा अन्य परिमापों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम इकाईयों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसे बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य तथा केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशों, पिछले पाँच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के कारकों, लेखापरीक्षा

कार्यक्षेत्र तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान इसके प्रभाव पर प्रकाश डाले गए मामलों पर ध्यान दिया जाता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, लेखापरीक्षा योग्य 153 इकाईयाँ थी, जिनमें से 80 इकाईयाँ नियोजित एवं लेखापरीक्षित थीं तथा आठ इकाईयों को कार्य दिवसों की उपलब्धता के कारण अतिरिक्त रूप से लेखापरीक्षा के लिए शामिल किया गया।

1.1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.1.9.1 वर्ष के दौरान संचालित की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2016-17 के दौरान व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन तथा राजस्व विभाग की 88 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई जिसमें 650 पैराग्राफों में शामिल ₹ 416.94 करोड़ का अवनिर्धारण/कर का कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं को दर्शाया गया जैसा कि **तालिका 1.10** में श्रेणीबद्ध किया गया है।

तालिका 1.10: श्रेणीवार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

क्र.सं.	श्रेणियाँ	पैराओं की संख्या/मामले	राशि (₹ करोड़ में)
बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर			
1	सांविधिक फॉर्मों को जारी करना	1	248.08
2	व्यापारियों द्वारा कर की रियायती दरों के अनियमित दावे के कारण राजस्व की हानि	1	0.53
3	इनपुट कर-जमा का अनियमित दावा	3	0.48
4	माँग की गैर वसूली तथा परिणामस्वरूप ब्याज की हानि	3	3.90
5	कर का भुगतान न करने के कारण राजस्व की हानि	1	0.26
6	फॉर्म 'सी' के ब्यौरे को जमा न करने के कारण कर की रियायती दर की अतिरिक्त अनुमति	1	1.01
7	अन्य अनियमितताएँ	337	156.09
	योग	**347**	**410.35**
मोटर वाहन कर			
1	सरकारी खातों में प्राप्तियाँ जमा करने में विलम्ब होने के कारण ब्याज की हानि	1	0.20
2	विविध अनियमितताएँ	119	0.98
	योग	**120**	**1.18**
स्टॉम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क तथा राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर			
1	अन्य अनियमितताएँ	183	5.41
	योग	**183**	**5.41**
	कुल योग	**650**	**416.94**

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा ने ₹ 416.94 करोड़ के कम/गैर राजस्व उद्ग्रहण के मामलों को इंगित किया उनमें से संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों की ₹ 7.04 करोड़ की राशि को स्वीकार किया।

1.1.10 राजस्व अध्याय का कवरेज

राजस्व क्षेत्र के इस अध्याय में छः पैराग्राफ हैं जिसमें ₹ 6.38 करोड़ के वित्तीय प्रभाव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सांविधिक फॉर्मों को जारी करने की प्रणाली का विश्लेषण भी हुआ तथा यह पाया कि ₹ 248.08 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 1,892.78 करोड़ के मूल्य के सांविधिक फॉर्म जारी करने में अनियमितता थी। विभाग ने ₹ 7.04 करोड़ की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार की। इनकी चर्चा उत्तरवर्ती पैराग्राफों में की गई है। पैराग्राफ सरकार को भेजे गए, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

व्यापार एवं कर विभाग

1.2 सांविधिक फार्मों को जारी करना

सांविधिक फार्मों को जारी करने पर वार्ड अधिकारियों की उपयुक्त तत्परता और निगरानी अपर्याप्त थी साथ ही यह डीवैट सिस्टम में प्रकट कमियों का पता लगाने/मजबूत करने में असफल था। परिणामस्वरूप ₹ 1,892.78 करोड़ के सांविधिक फार्मों को जारी करना अनियमित था। इसके परिणामस्वरुप कुछ मामलों में ₹ 248.08 करोड़ के कर/जुर्माने के उदग्रहण की भी चूक हुई।

1.2.1 प्रस्तावना

1.2.1.1 व्यापार एवं कर विभाग (डीटीटी), रा.रा.क्षे.दि.स. को मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004, केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956 और उनके अधीन बनाये नियमों को लागू करने के लिए सौंपा गया है। पंजीकृत व्यापारियों के बीच अंतर्राज्यीय वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए सीएसटी अधिनियम, अंतर्राज्यीय वाणिज्य और व्यापार करने में विभिन्न राज्यों के साथ व्यापारियों द्वारा किये लेनदेनों के प्रति कर की दरों में रियायत या कर से छूट का प्रावधान करता है। कर की ऐसी रियायतों और छूट का उपयोग करने के लिए क्रय व्यापारियों को संबंधित राज्य के वैट/वाणिज्य कर विभाग द्वारा, जहां वे पंजीकृत हैं, विभिन्न प्रकार के सांविधिक फॉर्म[2] जारी किए जाते हैं। विक्रय करने वाले व्यापारी ऐसे सांविधिक फॉर्म को प्रस्तुत करके कर की दरों में रियायत या कर छूट के भुगतान का दावा कर सकते हैं। डीटीटी द्वारा 2013-14 से 2015-16 के दौरान जारी 'सी' और 'एफ' सांविधिक फार्मों की कुल राशि इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	फॉर्म 'सी'		फॉर्म 'एफ'	
	जारी फार्मों की संख्या	राशि	जारी फार्मों की संख्या	राशि
2013-14	6,24,264	1,14,513.91	1,54,131	1,39,629.77
2014-15	6,15,918	1,22,204.01	1,40,029	1,42,819.41
2015-16	5,80,429	1,26,596.75	1,21,173	1,34,775.94

1.2.1.2 डीटीटी द्वारा जारी सांविधिक फार्मों के मुख्य प्रकार है:

(i) फॉर्म 'सी' - एक पंजीकृत व्यापारी जो किसी अन्य राज्य में पंजीकृत दूसरे व्यापारी से माल खरीदता है तो वह विक्रय करने वाले व्यापारी को फॉर्म

[2] सी-अन्तर्राज्यीय बिक्री में उपयोग किए गए रियायती फॉर्म, एफ-अन्य राज्यों में अपने शाखा/एजेन्ट को माल के हस्तांतरण हेतु प्रयुक्त फॉर्म, ई- I/II पारगमन बिक्री हेतु प्रयुक्त फॉर्म, एच-माल के निर्यात में प्रयुक्त फॉर्म

'सी' जारी करेगा। विक्रय करने वाला व्यापारी बेचे गये माल के मूल्य पर दो *प्रतिशत* की रियायती दर से सीएसटी देता है तथा सीएसटी के तहत बिक्री के प्रमाण के रुप में फॉर्म 'सी' अपने निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करता है और ऐसी बिक्री के लिए कर की रियायती दर का भुगतान करता है।

(ii) फॉर्म 'एफ' - एक पंजीकृत व्यापारी दूसरे राज्य में विक्रय की जगह व्यापार हेतु अपना माल राज्य से बाहर या अपने एजेंट या दूसरे राज्य में प्रमुख को भेजता है, उसे फॉर्म 'एफ' में घोषणा प्रस्तुत करने पर कर के भुगतान में छूट मिलती है। भेजने वाला व्यापारी विभाग को फॉर्म 'एफ' जमा करके सीएसटी से कर छूट का दावा कर सकता है।

1.2.1.3 लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य सांविधिक फार्मों को जारी करने के लिए डीटीटी द्वारा जारी किए गए संबंधित अधिनियमों, नियमों और निर्देशों के अनुपालन का निर्धारण करना था। लेखापरीक्षा ने उन मामलों की जो 2013-14 से 2015-16 के दौरान निर्धारित किये गये और/अथवा सांविधिक फॉर्म ('सी' और 'एफ') जारी किए गए का नमूना जांच की। हमने डीवैट सिस्टम में उपलब्ध चयनित निर्धारिती के आँकडों और केस फाईलों की समीक्षा की। यह लेखापरीक्षा अप्रैल-जुलाई 2017 के दौरान की गई तथा हमारी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सितम्बर 2017 में प्राप्त डीटीटी के उत्तर उपयुक्त रूप से समाविष्ट कर लिये गये हैं।

लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ

1.2.2 पिछली माँगों की वसूली सुनिश्चित किए बिना फार्मों को जारी करना

सीएसटी (दिल्ली) नियमावली, 2005 का नियम 5(4) यह निर्धारित करता है कि सांविधिक फार्मों को जारी करने का आवेदन करते हुए यदि आवेदनकर्ता (क्रय व्यापारी) आयुक्त द्वारा डीवैट अधिनियम या सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित, पुन: निर्धारित कर या लगाये गये जुर्माने के भुगतान में चूक करता है और जिसके संबंध में विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से किश्त/रोक के कोई आदेश प्राप्त नहीं किये गये, आयुक्त ऐसे आवेदनकर्ता को सुनने का मौका देने के बाद घोषणा फॉर्म जारी होने से रोक सकेगा और यह दिनांक 28 अगस्त 2012 को जारी ज्ञापन में दोहराया गया है।

डीवैट सिस्टम में उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण और जांच से पता चला कि 2013-14 से 2015-16 के दौरान ₹ 5 लाख और ₹ 10 लाख के बीच की माँग 514 मामलों के निर्धारण के आधार पर उत्थित की गई। सिस्टम में इन माँगों को भुगतान किया हुआ दिखाया गया और उसके बाद व्यापारी को फॉर्म

जारी किये गये। हमने 514 में से 120 मामलों की नमूना-जांच की और पाया कि 10 मामलों में ₹ 211.73 करोड़ **(अनुलग्नक 1.2.1)** के 60 फॉर्म डीटीटी द्वारा व्यापारियों को जारी किए इस तथ्य के बावजूद कि ₹ 66.86 लाख की माँग 31 दिसंबर 2016 तक लंबित थी, परन्तु सिस्टम में 'भुगतान हुआ' के रूप में गलत ढंग से दिखाया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि व्यापारियों द्वारा भुगतान की तिथि माँग-नोटिस की तिथि से पहले की है जोकि संभव नहीं है। इसका मतलब है कि यह सम्भावना हो सकती थी कि फॉर्म जारी करने हेतु सक्षम बनाने के लिए यह किया गया और गलत काम करने की जवाबदेही को लागू करने के लिए इसकी जांच होनी चाहिए। इस प्रकार विगत माँग की वसूली सुनिश्चित किए बिना चूककर्ता व्यापारियों को ₹ 211.73 करोड़ के फॉर्म जारी किए गए जोकि सीएसटी (दिल्ली) नियमावली, 2005 के नियम 5(4) का उल्लंघन था।

डीटीटी ने कहा (सितंबर 2017) कि संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों (एए) और सिस्टम शाखा को अभ्युक्तियों का ध्यान रखने और लंबित माँगों की वसूली के साथ वैध मांगें सृजित करने के लिए डीलरों के निर्धारण/पुन: निर्धारण करने के संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सिस्टम शाखा को इस मामले में जाँच करने और डीवैट सिस्टम को सुदृढ़ करने का निर्देश भी दिया गया है। तथापि, सिस्टम शाखा का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है कि इसे कैसे मुख्य रूप से 'भुगतान हुआ' के रूप में दिखाया गया।

1.2.3 घोषित क्रय राशि से अधिक सांविधिक फॉर्म को जारी करना

सीएसटी (दिल्ली) नियमावली, 2005 के नियम 5, 7 और 8 निर्धारित करते हैं कि आयुक्त द्वारा क्रय व्यापारी को उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये माँगपत्र के आधार पर सांविधिक फॉर्म जारी किए जाएंगे। डीटीटी ने अगस्त 2012 में वर्ष 2012-13 के लिए व्यापारियों को फॉर्म जारी करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को आरंभ किया। 28 अगस्त 2012 के परिपत्र के अनुसार खरीद के संबंध में अनुलग्नक 2ए[3]' में दर्ज आंकडों के आधार पर फार्मों को जारी किया जाएगा।

सिस्टम पर 86 मामलों (जहां प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक के सांविधिक फॉर्म जारी किए) की जांच में पाया गया कि दो मामलों में ₹ 43.39 करोड़ के सांविधिक फॉर्म उन व्यापारियों को जारी किए थे जिनका पंजीकरण पहले ही रद्द हो गया था, जबकि उनके रिटर्न के अनुसार केवल

[3] अनुलग्लक 2ए आवधिक रिटर्न का हिस्सा है जिसमें व्यापारी द्वारा एक विशेष कर अवधि में किये गये क्रय (स्थानीय के साथ अन्तर्राज्यीय) के सभी विवरण शामिल होते हैं।

₹ 2.98 करोड़ की वस्तुएँ खरीदी थी। इस प्रकार ये व्यापारी ₹ 40.41 करोड़ के अधिक सांविधिक फॉर्म डाउनलोड करने में कामयाब रहे **(अनुलग्नक 1.2.2)** जिसके परिणामस्वरुप डीटीटी को (डीवैट अधिनियम की धारा 23 के तहत) ₹ 1.30 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त इस माल की अवैध बिक्री की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जिन व्यापारियों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है, उनको सांविधिक फॉर्म जारी करने के ऑनलाइन सिस्टम के अंतर्गत घोषित क्रय राशि से ज्यादा रकम के फॉर्म डाउनलोड करने में सक्षम नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार सिस्टम डिजाइन में कमी और वार्ड अधिकारियों की निगरानी करने में विफलता के परिणामस्वरूप व्यापारियों को ₹ 40.41 करोड़ के अधिक सांविधिक फॉर्म जारी हो गए जिससे ₹ 1.30 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

डीटीटी ने कहा (सितंबर 2017) कि संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों को माँग राशि की वसूली तथा विधि के अनुसार विधिपूर्ण माँग सृजित करने के लिए सभी मामलों के निर्धारण/ पुन: निर्धारण करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये गये। यह भी जवाब दिया कि सिस्टम शाखा को मामले की जाँच करने और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करके डीवैट सिस्टम को सुदृढ करने के लिए निर्देश दिया गया है।

विभाग उन मामलों की समीक्षा करने पर विचार करें जहाँ डीलरों द्वारा अपने रिटर्न में खरीद की गई घोषित राशि की तुलना में फॉर्म डाउनलोड किये और उन डीलरों के विरूद्ध कार्रवाई की जाये जिन्होंने फॉर्म की डाउनलोडिंग प्रक्रिया का दुरूपयोग किया क्योंकि डीलरों द्वारा धोखाधड़ी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। वार्ड अधिकारियों द्वारा स्वयं इन उल्लंघनों को ढूँढने में विफलता का कारण और सांविधिक फॉर्मों को ऑनलाइन डाउनलोड करने के सिस्टम डिजाइन में संभावित कमी के कारणों का सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विश्लेषण किया जाना चाहिए।

1.2.4 पंजीकरण प्रमाण पत्र में विवरण के सत्यापन के बिना व्यापारियों को सांविधिक फार्मों को जारी करना

सीएसटी (पंजीकरण व टर्नओवर) नियमावली, 1957 का नियम 5(1) निर्धारित करता है कि सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी के पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) में क्रय और विक्रय करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट माल के श्रेणी या श्रेणियाँ, व्यापार के मुख्य स्थल और अन्य राज्यों में व्यापार के अतिरिक्त स्थलों, जहां से व्यापारी व्यापार करता है, का विवरण शामिल होगा। सीएसटी अधिनियम, 1956 की धारा 2(डी डी) के अंतर्गत

'व्यापार के स्थल' में एक एजेंट के व्यापार का स्थल भी शामिल है जिसके माध्यम से व्यापारी अपना व्यापार करता है।

(i) पंजीकरण प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किए गए मदों के प्रति व्यापारियों को फार्मों को जारी करना

सीएसटी अधिनियम 1956 की धारा 10(बी) और 10(ए)(1) अन्य बातों के साथ निर्धारित करती हैं कि यदि कोई व्यापारी किसी श्रेणी की वस्तु को खरीदते हुए उस श्रेणी के अपने आरसी में होने का झूठा दावा करता है, तो सक्षम प्राधिकारी उस पर माल की बिक्री पर लगे कर के डेढ़ गुना तक का जुर्माना लगा सकता है। सीएसटी अधिनियम 1956 की धारा 10(ए)(2) निर्धारित करती है कि लगाया गया जुर्माना उस राज्य में एकत्रित किया जाएगा, जिसमें माल क्रय करने वाला व्यक्ति ऐसे माल की खरीद के संबंध में फॉर्म प्राप्त कर रहा है।

86 मामलों (जहां प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक के फॉर्म जारी हुए) की जांच में पाया गया कि सात मामलों में क्रेता व्यापारियों को उन मदों के प्रति ₹ 348.44 करोड़ के सी' और 'एफ' फॉर्म डाऊनलोड करने की अनुमति दी गई जोकि उनके आरसी में दर्ज नहीं थे। ये व्यापारी ऐसे क्रय के प्रति ₹ 69.37 करोड़ का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी हैं **(अनुलग्नक 1.2.3)** लेकिन डीटीटी फॉर्म जारी करने से पहले आरसी के प्रति सही जांच करने में असफल रही और जुर्माना उद्ग्रहित नहीं किया गया।

(ii) पंजीकरण प्रमाण पत्र में शाखा/माल एजेंट विवरण के बिना 'एफ' फॉर्म को जारी करना

शाखा स्थानांतरण/माल बिक्री के मामले में सीएसटी अधिनियम की धारा 6(ए)(1) प्रावधान करता है कि हस्तांतरणकर्ता को कर से छूट मिलती है बशर्ते कि ऐसी बिक्री के समर्थन मे हस्तांतरी उसे फॉर्म 'एफ' जारी करे।

86 मामलों की जांच (जहां प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक के फॉर्म जारी हुए) में पाया गया कि दो मामलों[4] में व्यापारियों को जैसा कि उनकी रिटर्नों में दिखाया है, ₹ 136.73 करोड़ के माल का क्रय/शाखा स्थानांतरण का दावा अनुमत हुआ तथा फॉर्म 'एफ' जारी हुए। हालाँकि इन व्यापारियों की आरसी में उनके द्वारा जिनसे क्रय किये गए, उन शाखाओं/माल एजेंटों का विवरण शामिल नहीं है। इस प्रकार फॉर्म 'एफ' के दुरुपयोग को रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रय व्यापारी को फॉर्म 'एफ' जारी करने से पूर्व आरसी

[4] (क) टिन- 07636895807, वार्ड-24, फॉर्मों की राशि- ₹ 72,97,67,389
(ख) टिन- 07756894189, वार्ड-62, फॉर्मों की राशि- ₹ 63,75,43,901

में शाखा/माल एजेंट के विवरण की जांच करनी चाहिए थी। इसके अभाव में व्यापारियों द्वारा फॉर्म 'एफ' के प्रति ₹ 136.73 करोड़ के शाखा स्थानांतरण पर क्रय की वैधता को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका और एक जोखिम है कि ये शाखा स्थानान्तरण/माल क्रय नहीं थे और करारोपण से बच गए।।

इस प्रकार वार्ड अधिकारियों द्वारा सीएसटी अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के गैर-अनुपालन से कुल ₹ 485.17 करोड़ के फॉर्म अनियमित रूप से जारी हुए और ₹ 69.37 करोड़ का जुर्माना नहीं लगा।

डीटीटी ने दोनों मुद्दों पर कहा (सितंबर 2017) कि जो मद, एजेंट विवरण डीवैट-04 या आरसी में उपलब्ध न हों, उनके लिए डीवैट सिस्टम के व्यापारी पोर्टल में मद और शाखा/माल एजेंट जोड़ने के लिए 'एड आईटम' लिंक उपलब्ध की गई है। यह इसलिए किया गया था ताकि व्यापारी फॉर्म डाउनलोड करने से पहले ऐसे विवरण को जोड़ सके। यह तर्क दिया गया कि इन मामलों में, हालाँकि मद और शाखा/माल एजेंट विवरणों को आरसी में शामिल नहीं किया था, फिर भी फार्मों के डाउनलोड की अनुमति हो गई क्योंकि इस तरह के विवरण व्यापारियों द्वारा ऑनलाईन जोड़ दिए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आरसी में संशोधन अंतर्राज्यीय व्यापार के संबंध में नए मद जिसका व्यापार करना है, नई शाखा/माल एजेंट का विवरण आदि को जोड़ना सीएसटी अधिनियम की धारा 7(4) और सीएसटी (पंजीकरण व टर्नओवर) नियमावली के नियम 9 के तहत ही अनुमत है। यह या तो व्यापारी द्वारा किये गये आवेदन के आधार पर या विभाग द्वारा व्यापारी को आवश्यक नोटिस देने के बाद किया जाना था परन्तु इन मामलों में कुछ नहीं किया गया। डीवैट सिस्टम में 'एड आइटम' सृजित करना सीएसटी अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों के विरूद्ध है।

विभाग को इस तरह के सभी उल्लंघनों की जाँच करनी चाहिए और अधिनियम को प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा, पहले आरसी में उपलब्ध मदों, शाखाओं/एजेंटों के विवरण की जाँच सुनिश्चित करके डीलरों को फॉर्म डाउनलोड करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए तथा विभाग को सांविधिक फॉर्मों का दुरूपयोग रोकने के लिए विद्यमान सिस्टम की समीक्षा भी करनी चाहिए।

1.2.5 निर्देशों के गैर अनुपालन के कारण ₹ 499.49 करोड़ के सांविधिक फार्मों का अनियमित रूप से जारी होना

(i) डीवैट सिस्टम से बिना किसी भी व्यवहारिक विक्रय (स्थानीय/अन्तर्राज्यीय) या नगण्य विक्रय को दर्शाये, सांविधिक फार्मों की डाउनलोडिंग के दुरूपयोग को रोकने के लिए, नवम्बर 2015 में डीटीटी ने सिस्टम को प्रतिबंधित कर दिया और निर्णय लिया कि व्यापारियों जिनकी कर अवधि के लिए कुल विक्रय, कुल क्रय राशि के 60 *प्रतिशत* से कम है, को सांविधिक फार्मों को डाउनलोड करने की अनुमति न दी जाए। संबंधित वार्ड अधिकारी को किसी भी व्यापारी द्वारा उच्च मूल्य के फार्मों के डाउनलोड पर ध्यान देना आवश्यक था। जनवरी 2016 में 60 *प्रतिशत* की सीमा को घटाकर 45 *प्रतिशत* कर दिया गया था।

प्रत्येक मामले में जहाँ ₹ 10 करोड़ या अधिक की राशि के फॉर्म जारी किए थे वहाँ लेखापरीक्षा ने 86 मामलों का चयन किया। इसके अतिरिक्त, 55 मामलों का चयन किया, जहाँ प्रत्येक मामलें में विक्रय तथा क्रय अनुपात 60 *प्रतिशत* से कम था तथा प्रत्येक फॉर्म एक करोड़ से अधिक था तथा जो 18 नवम्बर 2015 के बाद जारी किये थे। इन मामलों की संवीक्षा से पता चला कि वार्ड अधिकारियों ने निम्नलिखित 16 मामलों में कथित निर्देशों का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप व्यापारियों ने सांविधिक फॉर्मों को डाउनलोड करने में अनियमितता की जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:-

(क) दो मामलों में, व्यापारियों ने ₹ 51.74 करोड़ का क्रय तथा केवल ₹ 12.40 करोड़ का विक्रय दर्शाया। व्यापारियों का विक्रय तथा क्रय अनुपात 23 *प्रतिशत*[5] तथा 29 *प्रतिशत*[6] पाया गया जोकि डीटीटी द्वारा सांविधिक फॉर्मों को डाउनलोड करने की 60 *प्रतिशत* की निर्धारित अवसीमा से कम था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन व्यापारियों को ₹ 41.15 करोड़ के फॉर्मों को डाउनलोड करने की अनुमति दी थी।

(ख) 13 मामलों में, व्यापारियों का विक्रय तथा क्रय अनुपात 'शून्य' था तथा इन व्यापारियों को विभागीय वेबसाइट से ₹ 154.50 करोड़ **(अनुलग्नक 1.2.4)** के सांविधिक फॉर्मों को डाउनलोड करने की अनुमति दी थी।

(ग) एक मामले में, डीटीटी ने व्यापारी[7] का पंजीकरण 24 फरवरी 2014 को डीवैट-11[8], जोकि 11 जून 2015 को जारी किया के आधार पर रद्द कर

---

[5] टिन- 07020475664, वार्ड-66, 2014-15

[6] टिन- 07816977932, वार्ड-24, 2015-16

[7] टिन- 07826913211, वार्ड-24

[8] डीटीटी के दवारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस के आधार पर व्यापारी की आर सी रद्द करने हेतु डी वैट-11 जारी किया गया।

दिया। व्यापारी द्वारा फाइल की गई अंतिम संशोधित रिटर्न के अनुसार वर्ष 2014-15 में इसका विक्रय ₹ 89.96 करोड़ तथा कुल अन्तर्राज्यीय क्रय ₹ 480.49 करोड़ था। हालाँकि, क्रय से विक्रय का अनुपात केवल 19 *प्रतिशत* था, व्यापारी को नवम्बर 2015 के बाद ₹ 240.37 करोड़ के सांविधिक फॉर्मों को डाउनलोड करने की अनुमति दी गई। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए क्रय पर विक्रय अनुपात 'शून्य' था परंतु व्यापारी ने ₹ 239.52 करोड़ के अन्तर्राज्यीय क्रय के फॉर्मों का दावा किया। हालाँकि, नवम्बर 2015 के बाद ₹ 63.46 करोड़ के फॉर्मों को डाउनलोड करने की अनुमति दी गई। इस प्रकार, व्यापारी को वर्ष 2014-16 के दौरान ₹ 303.83 करोड़ के सांविधिक फॉर्मों को डाउनलोड करने की अनियमित अनुमति दी गई।

इस प्रकार, नवम्बर 2015 में डीटीटी द्वारा जारी किए गए निर्देश, जिसमें वे व्यापारी जिन्होंने अधिक अन्तर्राज्यीय क्रय दिखाया लेकिन इसका विक्रय 'नगण्य' था, को फॉर्म ऑनलाइन जारी करने से रोका जाना था, को लागू करने में वार्ड अधिकारी असफल रहे। जिसके कारण अयोग्य व्यापारियों को ₹ 499.49 करोड़ की राशि के फॉर्मों को अनियमित जारी किया गया।

(ii) डीवैट अधिनियम की धारा 23 में अन्य बातों के साथ यह निर्धारित है कि एक व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द हो चुका है, रद्द की तिथि को रखे गए माल को यदि वह उचित बाजार मूल्य पर बेचता है तो उसे उस संबंधित माल पर कर का भुगतान करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन 16 व्यापारियों द्वारा ₹ 823.89 करोड़ के अन्तशेष स्टॉक के निर्धारण में वार्ड अधिकारी असफल रहे तथा डीवैट अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत निर्धारित ₹ 46.11 करोड़ **(अनुलग्नक 1.2.5)** के कर का उद्ग्रहण नहीं किया क्योंकि इन व्यापारियों का आरसी रद्द था।

(iii) 16 मामलों में से तीन मामलों में, व्यापारियों ने ₹ 81.24 करोड़ के सांविधिक फॉर्मों के प्रति अन्तर्राज्यीय बिक्री के रूप में दर्शाये। हालाँकि सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत वार्ड अधिकारियों ने मामलों का निर्धारण नहीं किया तथा राजस्व की हानि की संभावित राशि ₹ 4.20 करोड़ **(अनुलग्नक 1.2.6)** निकाली गई। सिस्टम में अयोग्य व्यापारियों द्वारा फॉर्मों की डाउनलोडिंग को अवरूद्ध करने में आवश्यक अवरोधों में भी कमी थी।

डीटीटी ने अपने जवाब (सितम्बर 2017) में बताया कि तीन मामलों[9] में, फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड किए गए थे, हालाँकि व्यापारी क्रय से विक्रय अनुपात को 60 *प्रतिशत* के मानदण्ड को पूरा नहीं करते थे। उन्होंने बताया कि इन मामलों में, ऐसा हो सकता है कि फॉर्म परिपत्र जारी करने की तिथि तथा डीवैट मॉड्यूल पर संबंधित सॉफ्टवेयर के लागू होने की वास्तविक तिथि के बीच अन्तराल अवधि के दौरान डाउनलोड किए गए हों।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभागीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन में डीटीटी ने अयोग्य व्यापारियों को फॉर्म डाउनलोड करने की अनुमति दी थी। इन फॉर्मों को 20 नवम्बर 2015 तथा 8 मार्च 2016 के बीच डाउनलोड किया जबकि परिपत्र 18 नवम्बर 2015 को जारी किया था। इन सभी मामलों में क्रय से विक्रय अनुपात शून्य से 29 *प्रतिशत* की रेंज के बीच थी जोकि 45 *प्रतिशत* तथा 60 *प्रतिशत* की सीमा रेखा से बहुत कम थी। जवाब सिस्टम अपडेशन के गैर-तुल्याँकन तथा अनैतिक व्यापारियों को सांविधिक फॉर्मों को डाउनलोड करने की सुविधा के दुरूपयोग के प्रति रोक का बचाव डीटीटी के इरादे को दर्शाता है। विभाग को वार्ड अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए जो विभागीय निर्देशों को लागू करने में विफल हुए तथा जिन्होंने डीवैट अधिनियम, सीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया।

1.2.6 डीवैट-11 को जारी करने, डीवैट-09 को फाइल करने के बाद सांविधिक फॉर्मों को अनियमित रूप से जारी करना तथा व्यापारियों का गैर निर्धारण

डीवैट अधिनियम, 2004 की धारा 22 तथा डीवैट नियमावली 2005 के नियम 16 के अन्तर्गत व्यापारी का पंजीकरण या तो व्यापारी के डीवैट-09 फॉर्म में निवेदन अथवा डीटीटी के द्वारा रद्द किया जा सकता है। उन मामलों में जहाँ पंजीकरण प्रमाणपत्र डीटीटी द्वारा रद्द किया जाता है वहाँ संबंधित व्यापारी को 'कारण बताओ नोटिस' (फॉर्म डीवैट-10 में) देने के बाद केवल डीवैट-11 जारी करके किया जाता है। नोटिस जारी करने के अतिरिक्त डीटीटी, वैट इंस्पैक्टरों को नियुक्त करके व्यापारियों का सत्यापन करता है। दिनांक 31 अक्तूबर 2008 का परिपत्र अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित करता है कि संबंधित वार्ड अधिकारी को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में जहाँ व्यापारी अपने व्यापार को समाप्त कर चुका है वहाँ तुरंत निर्धारण करना चाहिए तथा प्रभावित वसूली की मांग, यदि कोई है, के लिए कदम उठाना चाहिए। चयनित

[9] टिन- 07020475664, वार्ड-66, 2014-15
टिन- 07816977932, वार्ड-24, 2015-16
टिन- 07826913211, वार्ड-24

86 मामलों की संवीक्षा तथा डाटाबेस का विश्लेषण जहाँ प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक की राशि के सांविधिक फॉर्मों को जारी किया, निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला है:-

(क) चार मामलों में, यह देखा गया कि व्यापारी की आरसी निर्धारक द्वारा किये निवेदन (डीवैट-09) के आधार पर रद्द की गई तथा किसी व्यापारी ने आरसी के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। फिर भी, इन व्यापारियों को डीवैट 09 (अगस्त 2014 तथा जून 2015 के बीच) जमा करने के बाद मूल/संशोधित रिटर्न फाइल करने के आधार पर ₹ 374.46 करोड़ (अक्तूबर 2014 तथा जनवरी 2016 के बीच) फॉर्मों को डाउनलोड करने की अनुमति दी गई। यह देखा गया कि व्यापारियों ने फॉर्मों के प्रति ₹ 389.11 करोड़ का अन्तर्राज्यीय विक्रय किया। परंतु वार्ड अधिकारियों द्वारा सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण पूरा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 42.68 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ **(अनुलग्नक 1.2.7 (क))** क्योंकि निर्धारितियों द्वारा अन्तर्राज्यीय विक्रय दिखाया गया परंतु उनके द्वारा फॉर्म 09 में सांविधिक फॉर्मों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो मामलों में, अंतिम रिटर्न फाइल करने के अनुसार व्यापारियों के माल का अंतशेष ₹ 447.97 करोड़ था लेकिन वार्ड अधिकारियों ने डीवैट अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत ऐसे स्टॉक होने पर ₹ 72.05 करोड़ **(अनुलग्नक 1.2.7 (क))** के कर का आरोपण नहीं किया।

(ख) 86 मामलों में से सात की नमूना जाँच दर्शाती है कि डीटीटी ने वैट इंस्पैक्टरों द्वारा सत्यापित किये जाने के बाद डीवैट 11 जारी करके पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया। सत्यापित रिपोर्ट दर्शाती है कि ये व्यापारी, डीटीटी के साथ पंजीकृत उनके पते पर कार्य नहीं कर रहे थे। फिर भी इन व्यापारियों को डीवैट-11 जारी होने के बाद भी ₹ 196.37 करोड़ के फॉर्म डाउनलोड करने की अनुमति दी गई **(अनुलग्नक 1.2.7 (ख))**। यह भी देखा गया है कि इन व्यापारियों ने फॉर्मों के प्रति ₹ 247.38 करोड़ के अन्तर्राज्यीय विक्रय का दावा किया लेकिन व्यापारियों द्वारा फॉर्म 09 में सांविधिक फॉर्मों के विवरण को प्रस्तुत नहीं किया। सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत वार्ड अधिकारियों ने उन्हें फॉर्मों को डाउनलोड करने की अनुमति से पहले निर्धारण नहीं किया था जिसके परिणाणस्वरूप ₹ 12.37 करोड़ के कर का गैर-उद्ग्रहण हुआ **(अनुलग्नक 1.2.7(ख))**।

इस प्रकार सिस्टम प्रतिबंध की अनुपस्थिति तथा वार्ड अधिकारियों द्वारा गैर-निगरानी, उन व्यापारियों जिनका आरसी डीवैट-11 तथा डीवैट-09 के आधार पर पहले ही रद्द हुआ था, को ₹ 570.83 करोड़ के फॉर्मों को अनियमित जारी

करने का कारण बना। चूँकि सीएसटी अधिनियम के प्रावधानों तथा वार्ड अधिकारियों के विभागीय निर्देशों की अनुपालना नहीं हो रही थी जिसके कारण ₹ 636.49 करोड़ के अन्तर्राज्यीय विक्रय का निर्धारण नहीं हुआ फलस्वरूप ₹ 55.05 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

मामला विभाग को सितम्बर 2017 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

विभाग को जिन डीलरों की आरसी पहले ही रद्द थीं उनके निर्धारण और कर देनदारियों के निर्धारित करने में विफलता के लिए वार्ड अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। इसके अलावा विभाग को सांविधिक फॉर्मों का दुरूपयोग रोकने के लिए विद्यमान सिस्टम की समीक्षा भी करनी चाहिए।

1.2.7 सांविधिक फॉर्मों को जारी करने के लिए सिस्टम में कमी

डीटीटी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 और उसके बाद के लिए अपने पंजीकृत डीलरों को सांविधिक फॉर्मों को ऑनलाइन सृजित करने (अगस्त 2012) प्रारंभ किये। जोकि बाद में पहले की अवधि के लिए बढाया (अगस्त 2013) गया। व्यापारी फॉर्मों के प्रति किए गए अन्तर्राज्यीय क्रयों के विवरण अपलोड करके फॉर्मों को डाउनलोड कर सकते थे। अगस्त 2012 में जारी किए गए परिपत्र के अनुसार, ऑनलाइन जारी किए जाने वाले प्रत्येक सांविधिक फॉर्म को एक विशिष्ट संख्या, बारकोड, इलेक्ट्रानिक सील और वाटरमार्क देना था। डीवैट सिस्टम को व्यापारियों को दोषपूर्ण सांविधिक फॉर्मों के सृजित तथा जारी करने से रोकने के लिए आवश्यक वैधता जाँच से लैस होना था। 86 मामलों, जहाँ व्यापारी को ₹ 10 करोड़ से अधिक के सांविधिक फॉर्मों को जारी किया, का डाटा विश्लेषण दर्शाता है कि:-

(क) चार मामलों में, ₹ 61.75 करोड़ **(अनुलग्नक 1.2.8)** के सकल क्रय के पाँच लेनदेनों के लिए डीटीटी ने प्रत्येक क्रय राशि के प्रति विभिन्न सांविधिक फॉर्म जारी किये।

(ख) दो मामलों में, व्यापारियों को जारी ₹ 1.22 करोड़ **(अनुलग्नक 1.2.9 (क))** के 50 सांविधिक फॉर्मों में एक ही क्रम संख्या धारक थे। एक व्यापारी[10] को चार 'सी' फॉर्म तथा पांच 'एफ' फॉर्म एक ही क्रम संख्या वाले जारी किए जो सिस्टम डिजाइनिंग में कमियों को इंगित करता है क्योंकि सांविधिक फॉर्म जारी करने की मूल आवश्यकता के रूप में, विशेष पहचान संख्या की आवश्यकता को पूरा नहीं किया था।

[10] टिन 07310254878, वार्ड-64

(ग) एक अन्य मामले में, व्यापारी को 'शून्य' कीमत वाले चार 'एफ' फॉर्म जारी किए गए लेकिन सिस्टम में डीलर प्रोफाइल में ₹ 22.18 करोड़ **(अनुलग्नक 1.2.9 (ख))** की लेन-देन की कीमत दर्शाई।

उपरोक्त विसंगतियों के परिणामस्वरूप एक ही लेन-देन के प्रति बहु फॉर्म, अलग-अलग फॉर्मों के लिए एक ही क्रम संख्या सृजित तथा 'शून्य' कीमत के फॉर्म जारी किए।

डीटीटी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि दो मामलों में, सिस्टम ब्रांच क्रय के एकल लेन-देन के प्रति बहु सांविधिक फॉर्मों को जारी करने की जाँच कर रही है तथा आवश्यक वैधता जाँच कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि निर्धारण प्राधिकारी ने नियमानुसार मांगों तथा मांग की वसूली के सृजन के लिए नियम के अनुसार इन मामलों का निर्धारण/ पुनर्निर्धारण करने के निर्देश जारी किये गये हैं। दो मामलों में, जहाँ एक ही क्रम संख्या धारक सांविधिक फॉर्म जारी किए गए वहाँ डीटीटी ने कहा कि यह एक तकनीकी विसंगति है तथा सिस्टम ब्रांच, भविष्य में इस तरह के मामले दोहराए न जाएं, इसकी सुनिश्चितता के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

एकल खरीद मूल्य के प्रति कई फॉर्म को सृजित करना और कई फॉर्म एक ही क्रम संख्या का होना सामान्य रूप से स्वचालित वातावरण में संभव नहीं होते हैं तथा इसलिए धोखाधड़ी और/या अनाधिकृत नियंत्रण का उल्लंघन करने की संभावना की प्रभावी ढ़ंग से जाँच की जानी चाहिए।

1.2.8 निष्कर्ष

सांविधिक फॉर्मों को जारी करने में वार्ड अधिकारियों की उपयुक्त तत्परता तथा निगरानी के अपर्याप्त कारण थे। इसके साथ-साथ डीवैट सिस्टम में प्रकट कमियों का पता लगाने/मजबूत करने में असफल रहा। व्यापारियों को पिछली माँगों की वसूली की सुनिश्चितता तथा रिटर्नों में घोषित क्रय राशि के प्रति सत्यापन के बिना ही सांविधिक फॉर्मों को जारी किया गया। व्यापारियों द्वारा पंजीकरण के अपने प्रमाणपत्र में शाखा कार्यालय/माल एजेंटों और वस्तुओं जिनका व्यापार किया जाना है, का विवरण दिए बिना सांविधिक फॉर्म जारी किए गए। वार्ड प्राधिकारियों द्वारा फॉर्मों को डाउनलोड करने के दुरूपयोग की जाँच के लिए विभागीय निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जोकि व्यापारियों द्वारा फॉर्मों को अनियमित डाउनलोड करने का कारण बना। प्रतिकूल टिप्पणी के आधार पर आर सी को रद्द करने के बाद भी व्यापारियों को सांविधिक फॉर्म जारी किये गए। सिस्टम डिजाइन में कमियां तथा उचित

वैधता जाँच के अभाव के परिणामस्वरूप एक ही क्रम संख्या युक्त बहु फॉर्म जारी किए गए तथा एकल लेन-देन मूल्य को सांविधिक फॉर्म डाउनलोड करने के लिए दो बार इस्तेमाल हुए। इस प्रकार की कमियों के परिणामस्वरूप, ₹ 1,892.78 करोड़ के सांविधिक फॉर्म अनियमित जारी किए गए। इसी के परिणामस्वरूप कुछ मामलों में ₹ 248.08 करोड़ की राशि के कर/जुर्माने का उद्ग्रहण छूट गया। विभाग को ऐसे सभी उल्लंघनों की जाँच करनी चाहिए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा विभाग को सांविधक फॉर्मों के दुरूपयोग को रोकने के लिए विद्यमान सिस्टम की समीक्षा भी करनी चाहिए।

इसके अलावा, इस रिपोर्ट में इंगित कमियाँ नमूना के आधार पर है। हालाँकि डीटीटी ऐसे मुद्दों पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित इसी आधार पर गौर कर सकता है तथा वार्ड अधिकारियों की जवाबदेही लागू करने तथा कर के कम भुगतान पर वसूली, यदि कोई है, पर उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

मामला सरकार को अगस्त 2017 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

1.3 व्यापारियों द्वारा कर की रियायती दरों के अनियमित दावे के कारण राजस्व की हानि

रियायती कर के लिए व्यापारियों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारण अधिकारी की विफलता के कारण ₹ 20.91 लाख के कर का कम उद्ग्रहण, ₹ 11.11 लाख के ब्याज तथा ₹ 20.91 लाख के जुर्माने सहित ₹ 52.93 लाख के राजस्व की हानि हुई।

केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम,1956 की धारा 8(1) तथा 8(4) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यापारी जो अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान माल एक पंजीकृत व्यापारी को विक्रय करता है, वह उसकी टर्नओवर का दो *प्रतिशत* की दर से कर भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा बशर्ते कि माल विक्रेता व्यापारी, क्रय व्यापारी द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत भरे हुये 'सी' फार्म में घोषणा पत्र प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, दिल्ली मूल्यवर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 86(10) यह अनुबंध करता है कि व्यापारी दस हजार रूपये की राशि या कर की कमी की राशि, जो भी अधिक हो, जुर्माने के रूप में भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। डीवैट अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत किसी राशि के भुगतान में चूक के लिए ब्याज भी भुगतान योग्य होगा।

वार्ड-17 के रिकॉर्डो से पता चला कि तीन व्यापरियों[11] ने निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए फार्म 2ए/2बी में ऑनलाइन क्रय तथा विक्रय फाइल किया। इन व्यापरियों ने 'सी' फॉर्मो के प्रति ₹ 1.99 करोड़ के अन्तर्राज्यीय बिक्री तथा उन विक्रयों पर दो *प्रतिशत* की दर से रियायत दर के कर का भुगतान किया। राजस्थान विभागीय वेबसाइट का ऑनलाइन डाटा दर्शाता है कि क्रय व्यापारियों का पंजीकरण, विक्रय व्यापारियों से लेन-देन होने से पूर्व ही रद्द हो चुका था। वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान सरकार से लेखापरीक्षा द्वारा प्रति-सत्यापन में भी पुष्टि हुई कि दोनों क्रय व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका था। विभाग ने मार्च 2014 तथा मार्च 2017 के दौरान मामलों का निर्धारण किया परंतु इस अनियमितता का पता नहीं लगा सका। अत: विक्रय व्यापारियों द्वारा कर की रियायती दर का दावा अनुमत नहीं था। इस कारण से व्यापारी ₹ 11.11 लाख के ब्याज तथा ₹ 20.91 लाख के जुर्माने के साथ बाकी ₹ 20.91 लाख (₹ 1.99 करोड़ के 10.5 *प्रतिशत* की दर से) के कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।

इस प्रकार, रियायती कर के लिए व्यापारियों की पात्रता सुनिश्चित करने में निर्धारण प्राधिकारी की असफलता के कारण ₹ 20.91 लाख के कर के कम उद्ग्रहण, ₹ 11.11 लाख का ब्याज तथा ₹ 20.91 लाख के जुर्माने को शामिल करते हुये ₹ 52.93 लाख के राजस्व की हानि हुई।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए चूक निर्धारण द्वारा दो व्यापारियों[12] के प्रति ब्याज सहित ₹ 24.75 लाख की मांग सृजित की गयी है। अन्य दो मामलों में विभाग ने बताया कि माँग पहले ही सृजित की जा चुकी थी। उतर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित माँग 'सी' फॉर्मो में अंतर के लिए है जिसके लिए विभाग द्वारा कोई माँग सृजित नहीं की गयी है। उत्तर में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के पहलू को भी शामिल नहीं किया गया।

मामला सरकार को अगस्त 2017 में भेजा गया; उनका उतर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

---

[11] टिन- 07780109944, 07300245329, 07830376521

[12] टिन- 07780109944, 07300245329

1.4 इनपुट कर जमा का अनियमित दावा

निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रय व्यापारियों द्वारा कर जमा के विवरण का सत्यापन किए बिना निर्धारितियों को ₹ 18.80 लाख का इनपुट कर जमा अनुमत्य किया, परिणामस्वरूप ₹ 18.80 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 10.80 लाख के ब्याज तथा ₹ 18.80 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

दिल्ली मूल्यवर्धित कर (डीवैट) अधिनियम 2004 की धारा 9(2)(ए) अनुबंध करती है कि ऐसे व्यक्ति जो कि पंजीकृत व्यापारी नहीं है, से क्रय किए गए माल के लिए कर निर्धारितियों को कोई कर जमा अनुमत्य नहीं होगा। धारा 9(2)(जी) यह अनुबंध करती है कि व्यापारियों या व्यापारी वर्ग को कर जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक की क्रय व्यापारी द्वारा भुगतान किए गए कर को वास्तव में विक्रय व्यापारी द्वारा सरकार को जमा कर दिया गया है या आउटपुट कर देयता के प्रति कानूनी रूप से समोयोजित किया गया है तथा संबधित कर अवधि के लिए फ़ाइल रिटर्न में सही तरीके से दर्शाया नहीं गया है। डीवैट अधिनियम की धारा 86(10) यह अनुबंध करती है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष सामग्री में असत्य, भ्रामक या धोखापूर्ण रिटर्न प्रस्तुत करता है वह दस हज़ार रूपये की राशि या कर की कम राशि जो भी अधिक है, जुर्माने के रूप में भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। डीवैट अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत किसी राशि के भुगतान में चूक के लिए ब्याज देने के लिए भी उतरदायी होगा। व्यापार एवं कर विभाग (डीटीटी) ने हालाँकि निम्नलिखित मामलों में डीवैट अधिनियम के इन प्रावधानों का पालन नहीं किया:

1. दो वार्डों[13] के रिकॉर्डों से पता चला कि दो कर निर्धारितियों[14] ने निर्धारण वर्ष 2011-12 तथा 2014-15 के लिए क्रय तथा विक्रय के सारांश सहित त्रैमासिक रिटर्न फ़ाइल की। डीटीटी के सर्वर पर उपलब्ध निर्धारण वर्ष 2011-12 तथा 2014-15 के कर निर्धारण में इन कर निर्धारितियों के क्रय सारांश (अनुलग्नक 2 ए) के अनुसार निर्धारितियों ने ₹ 2.94 करोड़ के स्थानीय क्रय पर ₹ 14.71 लाख का इनपुट कर जमा (आइटीसी) का दावा किया। जबकि, प्रतिसत्यापन में पाया गया कि विक्रय व्यापारियों ने संबधित कर अवधि के निर्धारितियों को विक्रय नहीं दर्शाया था।

---

[13] वार्ड संख्या 14 तथा 95

[14] टिन- 07850108596,07760263409

2. इसी प्रकार, वार्ड 70 के तीन निर्धारितियों[15] ने ₹ 0.82 करोड़ का माल क्रय किया तथा 2010-11 के निर्धारण वर्ष में ₹ 4.09 लाख का आईटीसी का लाभ उठाया। लेखापरीक्षा ने इन कर निर्धारितियों के क्रय सारांश (फार्म डीवैट 30/अनुलग्नक 2 ए) को जांचा तथा पाया कि आईटीसी का दावा अनियमित था क्योंकि विक्रय व्यापारी डीटीटी में पंजीकृत नहीं थे तथा उनके पास करदाता पहचान संख्या नहीं थी।

इस प्रकार, कर निर्धारण प्राधिकारी का विक्रय व्यापारियों द्वारा जमा कर के विवरण को सत्यापित करने में असफल होने के परिणामस्वरूप ₹ 18.80 लाख (₹ 14.71 लाख + ₹ 4.09 लाख) के कर के उद्ग्रहण में कमी हुई तथा इसके अतिरिक्त ₹ 10.80 लाख के ब्याज तथा ₹ 18.80 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

विभाग ने दो कर निर्धारितियों[16] के मामले में तथ्यों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017) तथा ₹ 33.44 लाख की अतिरिक्त माँग का सृजन किया। शेष तीन कर निर्धारितियों[17] के मामले में विभाग ने बताया कि व्यापारियों का कर निर्धारण पहले ही किया जा चुका था तथा माँग का सृजन किया जा चुका था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकिं इन मामलों में निर्धारण केवल लम्बित सांविधिक फ़ार्मों तथा सम्पतियों के विक्रय के सबंधं में ही किया गया था। उत्तर मूक है क्योंकि निर्धारण प्राधिकारी ने विक्रय व्यापारी के कर जमा सत्यापन के बिना आईटीसी की अनुमति दी।

मामला सरकार को अगस्त 2017 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

1.5 माँग की गैर-वसूली तथा परिणामस्वरूप ब्याज की हानि

जिन व्यापारियों का पंजीकरण रद्द हो चुका था उनसे विभाग ₹ 3.90 करोड़ की माँग वसूल करने में विफल रहा।

दिल्ली मूल्यवर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 32(2) तथा 33(2) तथा केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956 की धारा 9(2) में यह प्रावधान है कि निर्धारित किये गये अतिरिक्त कर और जुर्माने की राशि आयुक्त द्वारा दिए गए निर्धारण आदेश में निर्धारित तिथि के भीतर देय तथा भुगतान योग्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कर की राशि, ब्याज या जुर्माना, संयोजन राशि या अन्य देय राशि जो कि देय तिथि के बाद भी

---

[15] टिन- 07320165487,07340340173,07700135402

[16] टिन- 07850108596,07760263409

[17] टिन- 07320165487,07340340173,07700135402

भुगतान के लिए शेष है, डीवैट अधिनियम 2004 की धारा 43 के अन्तर्गत वसूलनीय होगी। इसके बाद डीवैट अधिनियम 2004 की धारा 22(9) यह अनुबंध करती है कि पंजीकरण को रद्द करने से या जो निर्धारित है, ऐसे रद्द करने की तिथि पर किसी व्यक्ति की देयता को किसी अवधि के लिए देय कर के भुगतान करने तथा भुगतान न करने को प्रभावित नहीं करेगा या उसके बावजूद कि उस पर इस अधिनियम के अन्तर्गत वह अन्यथा कर भुगतान के लिए उतरदायी नहीं है।

वर्ष 2008-09 से 2013-14 के लिए तीन वार्डों[18] के रिकार्डो की संवीक्षा से पता चला है कि डीवैट अधिनियम 2004 की धारा 32 तथा 33 तथा सी एस टी अधिनियम की धारा 9(2) के अन्तर्गत मई 2013 तथा सितम्बर 2015 के बीच 12 व्यापारियों का निर्धारण किया गया तथा ₹ 3.90 करोड़ (कर ₹ 1.79 करोड़; ब्याज ₹ 0.39 करोड़ तथा जुर्माना ₹ 1.72 करोड़) की माँग सृजित की गई हालांकि विभाग ने उनके पंजीकरण को रद्द कर दिया था।

निर्धारण प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार, व्यापारी को निर्धारण नोटिस के जारी करने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर माँग जमा करनी थी। यदि माँग निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं की गई, तो विभाग डीवैट अधिनियम 2004 की धारा 43 के अन्तर्गत कर, ब्याज तथा जुर्माने की वसूली की आगे की प्रक्रिया के शुरू करने तथा वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी था। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द होने के 20 महीने से 49 महीने के बीत जाने के बावजूद भी व्यापारियों के प्रति माँग वसूली की कोई कार्रवाई नहीं की।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि वसूली की कार्रवाई पहले ही व्यापारियों को रिकवरी नोटिस/माँगो की रिट जारी करके शुरू की गई थी। ब्याज सहित माँग की वसूली के लिए उनके बैंक खाते के जब्ती के नोटिस जारी किए गए हैं। व्यापारियों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से शीघ्र भुगतान करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उतर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीवैट अधिनियम की धारा 43 के अन्तर्गत निर्धारण नोटिस के एक महीने के बीत जाने के तुरंत बाद, रिकवरी नोटिस/ मांगों की रिट जारी किए जाने थे, जबकि विभाग द्वारा 20 महीने से 49 महीने के बीत जाने के बाद जब लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया ऐसे नोटिस जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, 31 अक्तूबर 2017 तक निर्धारण माँग वसूल नहीं की जा सकी। डीवैट अधिनियम की धारा 43 के अन्तर्गत वसूली नोटिस जारी करने में देरी के लिए अधिकारियों की जवाबदेही को लागू करने की आवश्यकता है।

---

[18] वार्ड सं. 57, 62 और 86

मामला सरकार को जुलाई 2017 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

1.6 कर का भुगतान न करने के कारण राजस्व की हानि

एक व्यापारी की सही कर देयता का पता लगाने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.68 लाख के कर का कम भुगतान हुआ। व्यापारी द्वारा ₹ 4.75 लाख का ब्याज और ₹ 16.51 लाख का जुर्माना भी देय था।

दिल्ली मूल्यवर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 26 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, प्रत्येक कर अवधि के लिए आयुक्त को निर्धारित रूप में रिटर्न प्रस्तुत करेगा। डीवैट अधिनियम की धारा 42 (2) निर्धारित करती है कि जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किसी भी कर, जुर्माना या अन्य राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो वह निर्धारित राशि के अलावा, जब तक चूक कर रहा है तब तक के लिये उस चूक की तिथि से दैनिक आधार पर गणना समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित वार्षिक दर से ऐसी राशि पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, डीवैट अधिनियम की धारा 86 (12) अन्य बातों के साथ निर्धारित करती है कि, "जहां कोई कर कम दिया होता है, व्यापारी चूक की अवधि के लिये प्रति सप्ताह कर की कमी के एक *प्रतिशत* के बराबर या प्रति सप्ताह एक सौ रुपये, जो भी अधिक हो" जुर्माने का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

वार्ड 96 के निर्धारण वर्ष 2010-11 (2014-15 के दौरान निर्धारित) के वैटो के रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला है कि एक व्यापारी द्वारा अप्रैल, जून और जुलाई 2010 के महीनों से संबंधित ₹ 12.90 लाख का कुल देय कर दिखाया गया था लेकिन व्यापारी ने केवल ₹ 8.22 लाख का भुगतान किया। निर्धारण प्राधिकारी (एए) ने हालांकि, व्यापारी द्वारा प्रदत्त कर की सत्यता का निर्धारण करने के लिए उसकी रिटर्न की संवीक्षा नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.68 लाख के कर का कम भुगतान हुआ, जिस पर ₹ 4.75 लाख के ब्याज और ₹ 16.51 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

इस प्रकार, निर्धारण प्राधिकारी कि एक व्यापारी की सही कर दायित्व का पता लगाने में विफलता के कारण ₹ 4.68 लाख के कर का कम भुगतान हुआ इसके अतिरिक्त ₹ 4.75 लाख का ब्याज और ₹ 16.51 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

इस मामले को विभाग/सरकार को जून 2017 में भेजा गया; विभाग ने कहा (अक्तूबर 2017) कि इनपुट टैक्स की गलत गणना हो गई, खरीद सामान की वापसी को दो बार गिन लिया गया, जिसके कारण सामान की वापसी में शुद्ध कर और देय वास्तविक कर के बीच अंतर दिखा। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इनपुट कर और खरीद रिटर्न की राशि सही रूप से रिटर्न में परिलक्षित हो रही है लेकिन नियमित कर का कम भुगतान हुआ जिसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सही तरीके से पता नहीं लगाया गया। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

1.7 फार्म 'सी' के ब्यौरे को जमा न करने के कारण कर की रियायती दर की अतिरिक्त अनुमति

फॉर्म 'सी' पर कर के रियायती दर की अतिरिक्त अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 63.79 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अलावा, ₹ 37.70 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

सीएसटी अधिनियम, 1956 की धारा 8(1) के अनुसार, प्रत्येक व्यापारी, जो अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, माल एक पंजीकृत व्यापारी को बेचता है वह उसकी टर्नओवर के दो *प्रतिशत* की दर से या उस राज्य के बिक्री कर नियम के अंतर्गत उस राज्य के भीतर ऐसे माल के क्रय या विक्रय पर उपयुक्त दर जो भी दर कम हो, पर कर का भुगतान का उत्तरदायी होगा। सीएसटी अधिनियम, 1956 की धारा 8(4) यह प्रावधान करती है कि व्यापारी निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित प्रारूप में निर्धारित विवरण शामिल करते हुये जिसको माल विक्रय किया गया है को पंजीकृत व्यापारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा विधिवत भरे हुये फॉर्म 'सी' में एक घोषणापत्र प्रस्तुत करे। इसके अतिरिक्त, सीएसटी (दिल्ली) नियमावली, 2005 का नियम 4(1) बताता है कि प्रत्येक व्यापारी छ: महीने की अवधि, जिस वर्ष के अंत से यह संबंधित है, के भीतर घोषणा/प्रमाण-पत्र (सांविधिक फॉर्म) की प्राप्ति से संबंधित फॉर्म 9 में एक वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक मिलान रिटर्न प्रस्तुत करनी होगी। वर्ष 2012-13 के लिए व्यापारियों द्वारा फॉर्म-9 विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2014 थी।

वार्ड 202 के रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि एक व्यापारी[19] द्वारा निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए फॉर्म 'सी' के प्रति ₹ 33.91 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री का दावा किया गया लेकिन नवम्बर 2015 और जनवरी 2016 के बीच फॉर्म-9 में केवल ₹ 12.65 करोड़ के 'सी' फॉर्म का विवरण

[19] *टिन*-07870184051

दिखाया जिसका तात्पर्य है कि व्यापारी ने ₹ 21.26 करोड़ के फार्म 'सी' का विवरण नहीं दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.26 करोड़ की रियायती बिक्री की अधिक अनुमति हुई जिसमें ₹ 63.79 लाख का कर प्रभाव निहित था। इसके अलावा, ₹ 37.70 लाख का ब्याज भी उदग्रहणीय था।

विभाग ने बताया (सितंबर 2017) कि डीवैट अधिनियम 2004 और इसके अंतर्गत नियमों के निष्पादन सॉफ्टवेयर/मॉड्यूल आधारित है, जिसमें निर्धारण और समयबाधित मामलों के निर्धारण शामिल है (जैसा कि निर्दिष्ट व्यापारी और अवधि के संबंध में भी लागू है)। कथित सॉफ्टवेयर/मॉड्यूल उन व्यापारियों की सूची तैयार करता है जिन्होंने फॉर्म-9 भरा है और जिन्होंने फॉर्म-9 नहीं भरा है। तात्कालिक मामले में, कथित व्यापारी दोनों सूचियों में दर्शाये गये है और इस संबंध में वास्तविक स्थिति के पुर्नमिलान के बाद अनुवर्ती संशोधन के साथ कार्रवाई की गई। इसके अलावा, इसी बीच में, लेखापरीक्षा ने व्यापारी के संबंध में अपनी जाँच रिपोर्ट पेश की। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों और आंकड़ों की संवीक्षा तथा जाँच के बाद, व्यापारी का निर्धारण किया गया और वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 1.01 करोड़ की मांग सृजित की गई। हालांकि, विभाग द्वारा सृजित की गई मांग को नवंबर 2017 तक वसूल नहीं किया गया। इसके अलावा, डीटीटी के अधिकारियों की जवाबदेही को लागू करने की आवश्यकता है जो इस मामले का सही ढंग से निर्धारण करने में विफल रहे क्योंकि राजस्व हानि का पता चलाना संभव नहीं था यदि लेखा परीक्षा ने विभाग को नहीं बताया होता।

मामला सरकार को जुलाई 2017 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

परिवहन विभाग

1.8 सरकारी खातों में प्राप्तियाँ जमा करने में विलम्ब होने के कारण ब्याज की हानि

सरकारी खातों में प्राप्तियाँ जमा करने में विलम्ब होने के कारण ₹ 20.20 लाख के ब्याज की हानि हुई।

केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्तियाँ एवं भुगतान) नियमावली, 1983 का नियम 6(1) निर्धारित करता है कि सरकार के राजस्व या रसीदों या देय राशि के कारण से सरकारी अधिकारियों को दिए गए या प्राप्त सभी धन, अनुचित देरी के बिना सरकारी खाते में शामिल करने के लिए अधिकृत बैंक में पूर्ण रूप से भुगतान करें।

परिवहन विभाग (विभाग) दिल्ली के वर्ष 2015-16 और 2016-17 के रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि विभाग को मासिक आधार पर चैक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा राष्ट्रीय परमिट लेखा में जमा कराये समेकित शुल्क का इसका शेयर तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय), शिपिंग मंत्रालय, सड़क परिवहन व राजमार्ग नई दिल्ली तथा नगर निगम दक्षिणी दिल्ली से पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार प्राप्त होते हैं। विभाग ने राष्ट्रीय परमिट शुल्क के लेखे के ₹ 123.91 करोड़ और पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार के लेखे के ₹ 31.40 करोड़, कुल लेखे के ₹ 155.31 करोड़ के चैक/डिमांड ड्राफ्ट जमा कराए। लेखापरीक्षा ने बताया कि इन उच्च मूल्य की मासिक प्राप्तियाँ 24 महीनों में से 22 महीनों में समय पर जमा नहीं की गयी। इन 22 मामलों में से 6 मामलों में जमा करने में 11 दिनों से 68 दिनों के बीच तक की देरी हुई। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.35 लाख की ब्याज[20] की हानि हुई।

इसके अतिरिक्त विभाग ने उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) परियोजना को लागू करते हुए रियायतग्राही के साथ अप्रैल 2012 में समझौता किया था। समझौते की धारा 5.17.1 निर्धारण करती है कि रियायतग्राही द्वारा एकत्र कुल शुल्क में से कर से पूर्व की कुल राशि के दो *प्रतिशत* के बराबर राशि विभाग को रॉयल्टी के रूप में भुगतान की जाएगी। लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2017) कि रियायतग्राही द्वारा वाहन में एच.एस.आर.पी. को लगाने के लिए विभाग के संचालन ब्रांच को ₹ 10.46 लाख के रॉयल्टी चैक का भुगतान किया। 9 मार्च 2015 और 4 जनवरी 2016 के दौरान ₹ 10.46

[20] ब्याज की गणना 31 मार्च 2016 तक 9.5 *प्रतिशत* की दर से प्रतिवर्ष तथा 1 अप्रैल 2016 से 31 जुलाई 2017 तक 8.8 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर से की गई जो राज्य और संघ शासित प्रदेशों को दिये गये केन्द्रीय ऋण के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाता है।

लाख के चैक लेखा कार्यालय को निर्धारित तीन माह की वैधता की समाप्ति के बाद 13 अप्रैल 2016 को भेजे गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.85 लाख के ब्याज[21] की हानि हुई।

विभाग ने उत्तर (जुलाई 2017) में कहा कि राष्ट्रीय परमिट शुल्क और पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार के संबंध में चैक राज्य परिवहन प्राधिकरण और लेखा शाखा के विभिन्न अधिकारियों से मार्क होते हुए चार से पाँच दिन बाद लेखा शाखा में पहुंचे। डाक की नियमित प्रक्रिया पर लगने वाला समय प्रेषण में देरी नहीं माना जा सकता तथा भविष्य में वेतन एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय), शिपिंग मंत्रालय, सड़क परिवहन व राजमार्ग को सूचित किया जाएगा कि चैक सीधे वरिष्ठ लेखा अधिकारी, परिवहन विभाग को भेजा जाए। विभाग ने एचएसआरपी के मामले में तथ्यों और आंकड़ों को स्वीकार करते हुए कहा (नवंबर 2017) कि चैक/डीडी ऑपरेशन शाखा को पुन: सत्यापन के लिए लौटा दिये थे तथा अब पुन: सत्यापन के बाद प्राप्त हो गये है। उसे 9 नवंबर 2017 को बैंक में जमा कर दिए गए तथा इस प्रकार सरकारी प्राप्ति को बैंक में जमा करने में कोई विलंब नहीं हुआ।

विभाग के उत्तर दोनों ही मामलों में स्वीकार्य नहीं हैं। राष्ट्रीय परमिट शुल्क और पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार के चैक/डिमांड ड्राफ्ट विभाग के पास ही थे और अकाउंट शाखा उन्हीं का अंश है तथा यह उपरोक्त नियमों के अनुरूप सरकारी लेखा को प्रेषित किया जाना चाहिए था। एचएसआरपी के मामले में ₹ 10.46 लाख के चैक हालाँकि बैंक में जमा करा दिये गए किन्तु तथ्य यही रहा कि ये समय पर जमा न करने से विभाग ने इन चैकों पर ₹ 1.85 लाख के ब्याज की हानि वहन की।

मामला सरकार को अगस्त 2017 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

[21] ब्याज की गणना 31 मार्च 2016 तक 9.5 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष तथा 1 अप्रैल 2016 से 31 जुलाई 2017 तक 8.8 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर से की गई।

भाग 'ख'

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

अध्याय-II

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

अध्याय - II

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

2.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली

2.1.1 प्रस्तावना

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) को आर्थिक प्रकृति के कार्यकलाप करने एवं राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए स्थापित किया जाता है। 31 मार्च 2017 को दिल्ली के रा.रा.क्षे. में 17 सा.क्षे.उ., सभी कार्यशील थे। इनमें से कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2016-17 के दौरान कोई भी सा.क्षे.उ. निगमित या बंद नहीं किया गया। 31 मार्च 2017 को दिल्ली के रा.रा.क्षे. में राज्य सा.क्षे.उ. की स्थिति का विवरण **तालिका 2.1.1** में दिया गया हैः

तालिका 2.1.1: 31 मार्च 2017 को कुल सा.क्षे.उ. की संख्या

सा.क्षे.उ. के प्रकार	कार्यशील सा.क्षे.उ.	कुल
सरकारी कंपनियाँ	15	15
सांविधिक निगम	2	2
कुल	**17**	**17**

कार्यशील सा.क्षे.उ. ने उनके 30 सितंबर 2017 को नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार ₹ 7,718.33 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर 2016-17 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.24 *प्रतिशत* था। कार्यशील सा.क्षे.उ. ने उनके 30 सितंबर 2017 को नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार ₹ 2,520.95 करोड़ की हानि वहन की। मार्च 2017 के अंत में उनके पास 0.36 लाख कर्मचारी थे।

2.1.2 उत्तरदायित्व संरचना

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143(6) द्वारा शासित होती है। अधिनियम की धारा 2 (45) के अनुसार एक सरकारी कंपनी वह है जिसमें प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 51 *प्रतिशत* सरकार/सरकारों के पास होता है और जिसमें सरकारी कंपनी की अनुषंगी कंपनी भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 143(7) के अनुसार केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक तौर पर धारित किसी भी अन्य कंपनी के मामले में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) एक आदेश द्वारा ऐसी कंपनी के लेखों की नमूना जांच करा सकते हैं और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान इस नमूना लेखापरीक्षा पर लागू होंगे। 1

अप्रैल 2014 से पहले आरंभ हुए वित्त वर्षों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों से शासित होती रहेगी।

2.1.3 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनियों (जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित है) के वित्त लेखों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है। अधिनियम की धारा 143(6) के अनुसार यह वित्तीय लेखे, धारा 143(5) के अंतर्गत प्राप्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर नि.म.ले.प. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होगें।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित कानूनों के अधीन है। नि.म.ले.प. दिल्ली परिवहन निगम का एकल लेखापरीक्षक है। दिल्ली वित्तीय निगम की लेखापरीक्षा राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत नियुक्त किए गए चार्टर्ड अकाउंटैंट द्वारा एवं पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है।

2.1.4 सरकार और विधानमंडल की भूमिका

राज्य सरकार अपने प्रशासकीय विभागों द्वारा इन सा.क्षे.उ. के मामलों पर नियंत्रण रखता है। मुख्य कार्यपालक एवं बोर्ड निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं।

राज्य विधानमंडल सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग की भी निगरानी करता है। इसके लिए राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में, वार्षिक प्रतिवेदनों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और नि.म.ले.प. की अभ्युक्तियां और सांविधिक निगमों के संबंध में, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, उनको अंतिम रूप दिये जाने के तीन महीने के भीतर या संबंधित अधिनियमों के अनुसार विधायिका में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

2.1.5 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का अंश

रा.रा.क्षे.दि.स. का इन सा.क्षे.उ. में उल्लेखनीय वित्तीय अंश है। यह अंश मुख्यतः तीन प्रकार का हैः

- **शेयर पूंजी और ऋणः** शेयर पूंजी में योगदान के अतिरिक्त रा.रा.क्षे.दि.स. सा.क्षे.उ. को ऋणों के माध्यम से समय-समय पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

- **विशेष वित्तीय सहायताः** रा.रा.क्षे.दि.स. आवश्यकतानुसार सा.क्षे.उ. को अनुदानों और सब्सिडी के माध्यम से बजटीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **गारंटीः** रा.रा.क्षे.दि.स. सा.क्षे.उ. द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए सब्याज ऋण के पुनर्भुगतान की भी गारंटी देती है।

2.1.6 राज्य सा.क्षे.उ. में निवेश

31 मार्च 2017 को 17 सा.क्षे.उ. में निवेश (प्रदत्त पूंजी, निर्बाध आरक्षित निधियाँ एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 30,433.81 करोड़ था, जैसा कि **तालिका 2.1.2** में दर्शाया गया हैः

तालिका 2.1.2: सा.क्षे.उ. में निवेश

(₹ करोड़ में)

सा.क्षे.उ. का प्रकार	सरकारी कंपनियां				सांविधिक निगम				कुल योग
	प्रदत्त पूंजी	दीर्घावधि ऋण	निर्बाध आरक्षित निधियाँ	कुल	प्रदत्त पूंजी	दीर्घावधि ऋण	निर्बाध आरक्षित निधियाँ	कुल	
कार्यशील सा.क्षे.उ.	7,588.43	5,897.97	3,207.38	16,693.78	2,010.27	11,723.14	6.62	13,740.03	30,433.81

स्त्रोतः सा.क्षे.उ. एवं वार्षिक लेखों से एकत्रित सूचना

31 मार्च 2017 को, कुल निवेश में 31.54 *प्रतिशत* प्रदत्त पूंजी, 10.56 *प्रतिशत* निर्बाध आरक्षित निधियाँ एवं 57.90 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋण थे। यह निवेश 2012-13 में ₹ 26,995.92 करोड़ से 12.73 *प्रतिशत* बढ़कर 2016-17 में ₹ 30,433.81 करोड़ हो गया, जैसा कि **चार्ट 2.1.1** में दर्शाया गया हैः

चार्ट 2.1.1: सा.क्षे.उ. में कुल निवेश

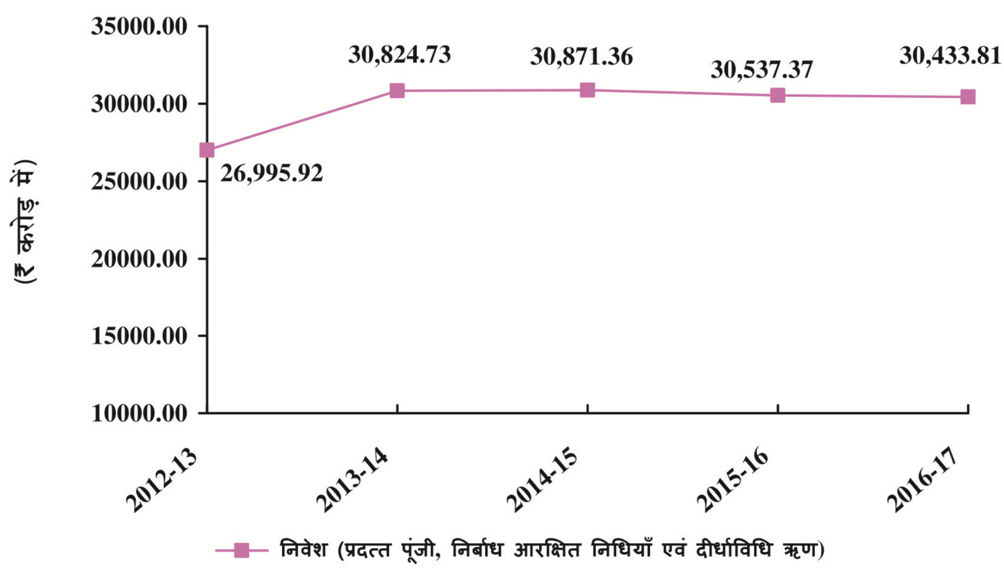

चार प्रमुख क्षेत्रों में 31 मार्च 2013 और 31 मार्च 2017 के अंत में निवेश **चार्ट 2.1.2** में दर्शाया गया हैः

चार्ट 2.1.2: सा.क्षे.उ. में क्षेत्रवार निवेश

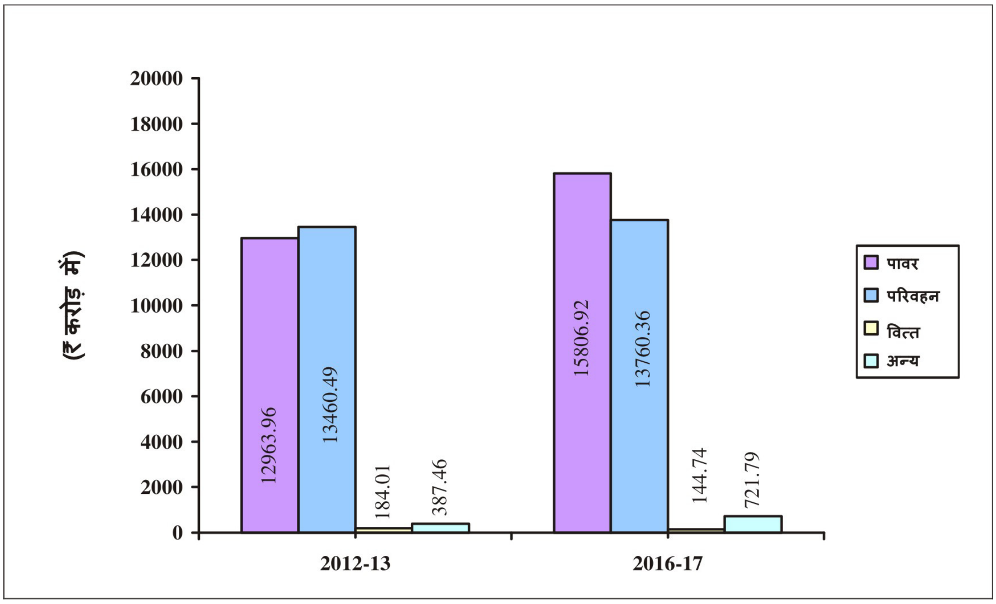

यह देखा जा सकता है कि पावर क्षेत्र[1] में निवेश 2012-13 में ₹ 12,963.96 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 15,806.92 करोड़ हो गया और परिवहन क्षेत्र[2] में यह 2012-13 में ₹ 13,460.49 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 13,760.36 करोड़ हो गया।

2.1.7 वर्ष के दौरान विशेष सहायता और रिटर्न

रा.रा.क्षे.दि.स. सा.क्षे.उ. को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सा.क्षे.उ. के संबंध में इक्विटी, अंश पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के प्रति बजटीय व्यय का सारकृत विवरण, 2016-17 को समाप्त तीन वर्षों के लिए, **तालिका 2.1.3** में दिया गया हैः

तालिका 2.1.3: सा.क्षे.उ. को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		सा.क्षे.उ. की संख्या	धनराशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	धनराशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	धनराशि
1.	बजट से अंश पूंजी पर व्यय	-	-	-	-	-	-
2.	बजट से प्रदत्त ऋण	2	200.00	3	565.00	3	469.98
3.	बजट से अनुदान/ सब्सिडी	6	1,603.35	4	1,339.41	5	1,744.77
	कुल व्यय (1+2+3)		**1,803.35**		**1,904.41**		**2,214.75**

स्त्रोतः सा.क्षे.उ. से एकत्रित सूचना

[1] डीपीसीएल, डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल और डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड।

[2] दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड एवं दिल्ली परिवहन निगम।

2.1.8 वित्त लेखों से मिलान

राज्य के सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार अंश पूंजी और बकाया ऋण के आंकड़े राज्य के वित्त लेखों के आंकड़ों के समान होने चाहिए। यदि आंकड़ें समान नहीं हैं तो संबंधित सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2017 को इस संबंध में स्थिति **तालिका 2.1.4** में दिया गया है।

तालिका 2.1.4: सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के सापेक्ष वित्त लेखों के अनुसार अंश पूंजी व बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

निम्नोक्त का बकाया	वित्त लेखों के अनुसार धनराशि	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार धनराशि*	अंतर
अंश पूंजी[3]	9,297.92	9,197.64	100.28
ऋण[4]	18,084.93	15,612.23	2,472.70

*स्त्रोतः सा.क्षे.उ. से एकत्रित सूचना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये अंतर आठ[5] सा.क्षे.उ. के संबंध में थे। इन आंकड़ों का गैर-मिलान, विधानमंडलीय परिप्रेक्ष्य एवं अन्य उपयोगकर्ताओं के प्रयोग के लिए सही सरकारी व्यय उपलब्ध नहीं कराता है। सरकार और सा.क्षे.उ. को इन अंतरों का मिलान समयबद्ध तरीके से करने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए।

2.1.9 लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के साथ धारा 129(2) के अनुसार, प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्त वर्ष के अंत से छः माह के भीतर अर्थात् सितंबर के अंत तक अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने पर इस अधिनियम की धारा 99 के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएंगे। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में, उनके लेखों को अंतिम रूप दिया जाना, उनकी लेखापरीक्षा एवं विधानमंडल में प्रस्तुति संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

तालिका 2.1.5 में 30 सितंबर 2017 को लेखों को अंतिम रूप दिया जाने में सा.क्षे.उ. द्वारा की गई प्रगति का विवरण दिया गया हैः

---

[3] पूंजी आंकड़ों में सिर्फ राज्य सरकार का अंश शामिल है।

[4] ऋण के आंकड़े कंपनी के अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं और वे.ले.का. के द्वारा प्रदत्त सूचना से मिलाए गए हैं।

[5] डीएससीएफडीसी, पीपीसीएल और डीटीआईडीसी इक्विटी आंकड़ों के लिए और डीएससीएफडीसी, पीपीसीएल, डीटीआईडीसी, डीटीएल, आईपीजीसीएल, डीपीसीएल, डीएससीएससी और डीटीटीडीसी ऋण आंकड़ों के लिए।

तालिका 2.1.5: कार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखों को अंतिम रूप देने से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	कार्यशील सा.क्षे.उ. की संख्या	17	17	17	17	17
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखों की संख्या	21	15	9	12	15
3.	बकाया लेखों की संख्या	12	14	22	27	29
4.	कार्यशील सा.क्षे.उ. की संख्या, जिनमें बकाया लेखे हैं	3	4	11	14	15
5.	बकाया की स्थिति (संख्या वर्षों में)	1 से 9	1 से 10	1 से 11	1 से 12	1 से 13

जिन सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे हैं, उन्हें पिछले बकायों के निपटान और अपने लेखों को अद्यतन करने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए। सा.क्षे.उ. को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम एक वर्ष के लेखों का निपटान कर दें, जिससे बकाया संचित न हो।

प्रशासकीय विभागों के पास इन निकायों की गतिविधियों की निगरानी और यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है कि सा.क्षे.उ. लेखों को निर्धारित अवधि के भीतर निपटाए और अंगीकार करें। यद्यपि वित्त विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा मासिक रूप से लेखों के निपटान के बकाया के बारे में सूचित किया गया, लेकिन पर्याप्त उपचारी कार्यवाही नहीं की गई। इसके फलस्वरूप इन सा.क्षे.उ. का निवल मूल्य लेखापरीक्षा में ज्ञात नहीं हो सका। इस मामले को मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के समक्ष भी नवम्बर 2017 में उठाया गया।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने उन वर्षों के दौरान जिनके लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, सात सा.क्षे.उ. में ₹ 2,373.31 करोड़ {अंश पूँजी: ₹ 19.28 करोड़ (एक सा.क्षे.उ.), ऋणः ₹ 522.47 करोड़ (चार सा.क्षे.उ.) और अनुदान/सब्सिडी ₹ 1,831.56 करोड़ (छः सा.क्षे.उ.)} का निवेश किया, जैसा कि **अनुलग्नक 2.1 (i)** में विवरण प्रस्तुत है। लेखों को अंतिम रूप न दिए जाने और इसके पश्चात लेखापरीक्षा न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि क्या लेखों में, किए गए निवेश व व्यय को उचित प्रकार से अंकित किया गया है और क्या जिस प्रयोजन से धनराशि का निवेश किया गया था, वह प्राप्त हुआ या नहीं। इस प्रकार इन सा.क्षे.उ. में सरकार का निवेश राज्य विधायिका के नियंत्रण के बाहर रहा।

2.1.10 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

तालिका 2.1.6 सांविधिक निगमों के लेखों पर नि.म.ले.प. द्वारा जारी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को विधायिका में प्रस्तुत करने की स्थिति दर्शाता है।

तालिका 2.1.6: विधायिका में एसएआर की प्रस्तुति की स्थिति

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक के एसएआर विधायिका में प्रस्तुत हो चुके हैं	जिस वर्ष के एसएआर विधायिका में प्रस्तुत नहीं हुए हैं	
			एसएआर का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि/वर्तमान स्थिति
1.	दिल्ली परिवहन निगम	2014-15	2015-16	17.05.2017
2.	दिल्ली वित्तीय निगम	2014-15	2015-16	15.11.2016

2.1.11 लेखों को अंतिम रूप न दिये जाने का प्रभाव

लेखों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण संबंधित कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे एवं जनधन के रिसाव का जोखिम भी हो सकता है। उपरोक्त बकाया लेखों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016-17 में सा.क्षे.उ. का राज्य जीडीपी में योगदान भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका और उनका राज्य राजकोष में योगदान विधानमंडल को भी सूचित नहीं किया गया।

2.1.12 अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार सा.क्षे.उ. का निष्पादन

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति और कार्यशील परिणामों का विवरण **अनुलग्नक 2.1(ii)** में है। राज्य जीडीपी से सा.क्षे.उ. टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सा.क्षे.उ. की गतिविधियों का विस्तार बताता है। **तालिका 2.1.7** 2016-17 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि का कार्यशील सा.क्षे.उ. और राज्य जीडीपी का विवरण प्रदान करती है।

तालिका 2.1.7: कार्यशील सा.क्षे.उ. टर्नओवर का राज्य जीडीपी के सापेक्ष विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
टर्नओवर[6]	8,465.57	8,415.09	8,210.02	8,597.77	7,718.33
राज्य जी.डी.पी*.	3,91,238	4,43,783	4,92,424	5,51,963	6,22,385
राज्य स.घ.उ. से टर्नओवर की प्रतिशतता	2.16	1.90	1.67	1.56	1.24

स्त्रोतः सा.क्षे.उ. से संकलित सूचना एवं राज्य जी.डी.पी. आंकड़े

यह पाया गया कि राज्य सा.क्षे.उ. के टर्नओवर से राज्य जीडीपी का *प्रतिशत* 2012-13 में 2.16 *प्रतिशत* से घटकर 2016-17 में 1.24 *प्रतिशत* हो गया।

2012-13 से 2016-17 के दौरान राज्य के कार्यशील सा.क्षे.उ. द्वारा वहन किया गया कुल घाटा **चार्ट 2.1.3** में दिया गया है:

6 30 सितंबर को अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार टर्नओवर

* राज्य जीडीपी आंकड़े आधार वर्ष 2011-12 की वर्तमान दरों के आधार पर हैं।

चार्ट 2.1.3: कार्यशील सा.क्षे.उ. का घाटा

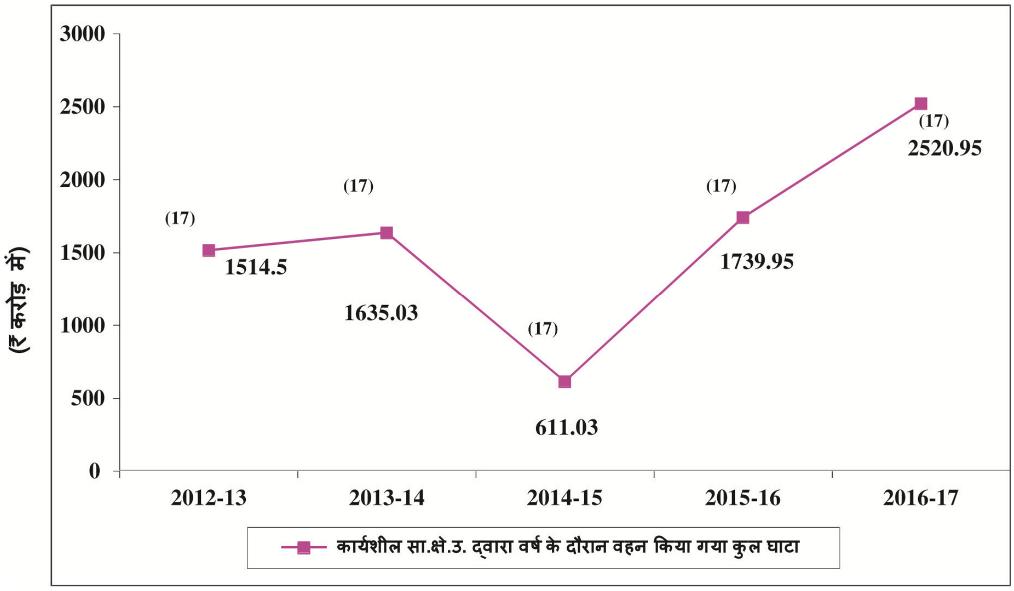

(कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित वर्ष में कार्यशील सा.क्षे.उ. की संख्या दर्शाते हैं)

यह देखा जा सकता है कि सा.क्षे.उ. द्वारा वहन किया गया कुल घाटा 2012-13 में ₹ 1,514.50 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 2,520.95 करोड़ हो गया।

अंतिम लेखों के अद्यतन वर्ष के सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के सारकृत वित्तीय परिणाम **अनुलग्नक** 2.1(ii) में दिए गए हैं। 01 अक्तूबर 2016 से 30 सितंबर 2017 की अवधि के दौरान 17 कार्यशील सा.क्षे.उ. में से एक कार्यशील सा.क्षे.उ.[7] ने लेखों को 'न लाभ, न हानि' के आधार पर बनाया, दस सा.क्षे.उ. ने ₹ 967.60 करोड़ का लाभ कमाया और छः सा.क्षे.उ. को ₹ 3,488.55 करोड़ की हानि हुई, जैसा कि **तालिका 2.1.8 (क)** और **(ख)** में दर्शाया गया हैः

[7] शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम

तालिका 2.1.8 (क): लाभ दर्ज करने वाले कार्यशील सा.क्षे.उ. का विवरण

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया	निवल लाभ
दिल्ली अजा/अजजा/अपिव अल्पसंख्यक, विकलांग वित्तीय व विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2013-14	5.57
दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	38.46
दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	2015-16	2016-17	81.91
दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड	2015-16	2016-17	545.31
प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	2016-17	250.75
दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	8.49
दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	2.48
जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड	2015-16	2016-17	4.77
दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2016-17	28.16
दिल्ली वित्तीय निगम	2015-16	2016-17	1.70
कुल			**967.60**

तालिका 2.1.8 (ख): हानि दर्ज करने वाले कार्यशील सा.क्षे.उ. का विवरण

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया	निवल लाभ
इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	2015-16	2016-17	77.45
डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.00[8]
दिल्ली क्रिएटिव आर्टस लिमिटेड	2015-16	2016-17	0.00[9]
डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड	2015-16	2016-17	0.00[10]
डीएसआईआईडीसी मेंटनेंस सर्विसेज लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.00[11]
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन	2015-16	2017-18	3,411.10
कुल			**3,488.55**

- लाभ में प्रमुख भागीदार थे दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (₹ 545.31 करोड़), प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 250.75 करोड़), दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (₹ 81.91 करोड़) और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 38.46 करोड़)।
- दिल्ली परिवहन निगम (₹ 3,411.10 करोड़) और इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (₹ 77.45 करोड़) द्वारा हानि वहन की गई।

सा.क्षे.उ. के अन्य प्रमुख मानदंड **तालिका 2.19** में दिये गए हैं।

[8] ₹ 17,410

[9] ₹ 29,500

[10] ₹ 29,500

[11] ₹ 28,750

तालिका 2.1.9: राज्य सा.क्षे.उ. के प्रमुख मानदंड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
इक्विटी	-8,263.37	-9,614.56	-10,964.73	-13,043.99	-15,873.47
निवेश	26,995.92	30,824.73	30,871.36	30,537.37	30,433.81
कर,ब्याज एवं लाभांश से पहले निवल लाभ	965.65	1,167.13	2,636.33	1,796.98	1,489.39
कर एवं अधिमान लांभांश के बाद निवल लाभ	-1,775.79	-2,034.72	-942.44	-2,049.74	-2,867.88
निवेश पर प्रतिफल[12]	0.04	0.04	0.09	0.06	0.05
पूंजी पर प्रतिफल[13]	मापन योग्य नहीं है क्योंकि सभी वर्ष की इक्विटी नकारात्मक है।				
ऋण	16,554.03	18,776.68	18,809.72	17,789.86	17,621.11
टर्नओवर[14]	8,465.57	8,415.09	8,210.02	8,597.77	7,718.33
ऋण/टर्नओवर अनुपात	1.96:1	2.23:1	2.29:1	2.07:1	2.28:1
ब्याज भुगतान	2,478.64	2,801.25	3,243.56	3,537.25	4,010.34
संचित लाभ (घाटा)	(16,907.61)	(19,211.44)	(20,561.61)	(22,642.63)	(25,470.56)

स्त्रोत: सा.क्षे.उ. के अद्यतन अंतिम वार्षिक लेखों के अनुसार

अपने अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार, 10 सा.क्षे.उ. ने ₹ 967.60 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया और एक सा.क्षे.उ. अर्थात दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने ₹ 0.50 करोड़ का लाभांश घोषित किया। शेष नौ सा.क्षे.उ. ने ₹ 959.11 करोड़ का लाभ अर्जित करने के बाद भी कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

2.1.13 लेखा अभ्युक्तियाँ

चौदह कार्यशील कंपनियों ने अक्तूबर 2016 से सितंबर 2017 की अवधि के दौरान 19 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को भेजे। इनमें से 14 कंपनियों के 15 लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए और चार लेखे नॉन रिव्यू सर्टिफिकेट जारी करने के लिए चुने गए। इनमें से 12 लेखों (दस[15] सा.क्षे.उ.) को अंतिम रूप दिया गया और शेष सात[16] लेखों को 30 सितम्बर 2017 को अंतिम रूप दिया जाना था। दस कंपनियों के दस लेखों को, जो 30 सितंबर 2016 तक प्रक्रियाधीन थे, उक्त अवधि के दौरान अंतिम रूप दिया गया।

[12] निवेश पर प्रतिफल= लाभांश, कर एवं ब्याज से पहले लाभ/ निवेश जहाँ निवेश= प्रदत्त पूंजी+ निर्बाध आरक्षित निधियाँ+ दीर्घावधि ऋण।

[13] इक्विटी पर प्रतिफल = (कर एवं अधिमान लांभाश के बाद निवल लाभ)/ इक्विटी जहाँ इक्विटी =प्रदत्त पूंजी +निर्बाध आरक्षित निधियाँ- संचित घाटा- आस्थागित राजस्व व्यय

[14] 30 सितम्बर 2017 को कार्यशील सा.क्षे.उ. के अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार टर्नओवर

[15] डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल, डीएससीएससी, डीपीसीएल, डीएसआईआईडीसी, डीएसआईआईडीसी मेंटनेंस सर्विसेज लि., दिल्ली क्रिएटिव आर्टस् लिमिटेड डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड वर्ष 2015-16 हेतु और डीएसआईआईडीसी मेंटनेंस सर्विसेज लिमिटेड और डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड वर्ष 2016-17 हेतु।

[16] जीएसडीएल, एसआरडीसी, डीटीटीडीसी, डीएसआईआईडीसी, डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड और दिल्ली क्रिएटिव आर्टस् लिमिटेड वर्ष 2016-17 हेतु और डीटीआईडीसी (2014-15)।

नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और नि.म.ले.प. की पूरक लेखापरीक्षा से इंगित होता है कि लेखों के रखरखाव की गुणवत्ता में बहुत सुधार आवश्यक है। लेखापरीक्षित लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की अभ्युक्तियों का कुल मूल्य **तालिका 2.1.10** में दिया गया है।

तालिका 2.1.10: कार्यशील कंपनियों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17[17]	
		लेखों की सं.	धनराशि	लेखों की सं.	धनराशि	लेखों की सं.	धनराशि
1.	लाभ में कमी	-	-	6	359.42	6	716.74
2.	लाभ में वृद्धि	2	0.25	3	339.47	2	433.77
3.	घाटे में कमी	-	-	-	-	2	230.00
4.	घाटे में वृद्धि	1	2.59	-	-	1	91.04
5.	महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट न होना	1	3.15	1	57.43	4	153.54
6.	श्रेणी विभाजन में त्रुटि	1	3.54	2	31.36	-	-

- वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने छः लेखों[18] हेतु बिना शर्त प्रमाणपत्र, बारह लेखों[19] के लिए सशर्त प्रमाणपत्र और एक लेखे[20] को प्रतिकूल (अर्थात् लेखों में सत्य व निष्पक्ष स्थिति नहीं दर्शाई गई है) प्रमाणपत्र जारी किए।

- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अर्हता प्रदान करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 हेतु डीपीसीएल द्वारा सूचित लाभ (₹ 81.91 करोड़) में ₹ 690.02 करोड़ की कमी हुई। नि.म.ले.प. द्वारा अर्हता प्रदान करने के परिणामस्वरूप इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के वर्ष 2015-16 के लिए सूचित घाटा (₹ 77.45 करोड़) ₹ 91.04 करोड़ तक बढ़ गया।

- कंपनियों द्वारा लेखांकन मानदण्डों की अनुपालना में कमी रही। छः लेखों में अनुपालना न होने के 15 मामले थे।

---

17 डीटीआईडीसी की लेखा अभ्युक्तियों का प्रभाव वर्ष 2013-14 के लिए है।

18 डीएससीएससी, डीसीएएल, डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड (2015-16) और डीटीटीडीसी, जीएसडीएल, एसआरडीसी (2016-17)

19 डीपीसीएल, डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल, डीएसआईआईडीसी, डीएसआईआईडीसी मेंटनेंस सर्विसेज लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड (2015-16) और डीएसआईआईडीसी मेंटनेंस सर्विसेज लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड, दिल्ली क्रिएटिव आर्टस् लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड और डीएसआईआईडीसी (2016-17)।

20 डीटीआईडीसी (2013-14)

इसी प्रकार, दो सांविधिक निकायों ने लेखापरीक्षा के लिए अपने दो लेखे अक्तूबर 2016 से सितंबर 2017 की अवधि में भेजे। इनमें से दिल्ली परिवहन निगम का एक लेखा नि.म.ले.प. द्वारा एकल लेखापरीक्षा के संदर्भ में था, जो समाप्त की गई और वर्ष 2015-16 हेतु एस.ए.आर. जारी किया गया। शेष वर्ष 2016-17 हेतु दिल्ली वित्तीय निगम के एक लेखे को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया जो 30 सितंबर 2017 तक प्रक्रियाधीन थी। सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा और नि.म.ले.प. की एकल/पूरक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से यह संकेत मिलता है कि लेखों के अनुरक्षण में सुधार आवश्यक है। सांविधिक लेखापरीक्षकों व नि.म.ले.प. द्वारा दी गई पिछले तीन वर्षों की अभ्युक्तियों की कुल धनराशि का विवरण **तालिका 2.1.11** में दिया गया है।

तालिका 2.1.11: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17[21]	
		लेखों की सं.	धनराशि	लेखों की सं.	धनराशि	लेखों की सं.	धनराशि
1.	लाभ में कमी	-	-	1	0.16	1	3.79
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	घाटे में कमी	1	24.56	-	-	1	15.10
4.	घाटे में वृद्धि	1	2,695.74	1	1,978.50	1	2,389.34
5.	महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट न होना	-	-	1	964.04	2	127.94
6.	श्रेणी विभाजन में त्रुटि	-	-	-	-	1	25.24

2.1.14 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के प्रतिवेदन हेतु संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव को एक निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) और आठ अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ (एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित) छः सप्ताह के भीतर जवाब देने के अनुरोध के साथ जारी किये गए। यद्यपि निष्पादन लेखापरीक्षा और छः अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ के संबंध में राज्य सरकार के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2018)।

2.1.15 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) यह निर्धारित करता है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत होने के बाद, विभाग लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे और इसपर सरकार द्वारा

[21] डीटीसी एवं डीएफसी के लेखा अभ्युक्तियों का प्रभाव वर्ष 2015-16 के लिए है।

कार्रवाई नोट (एटीएन) प्रतिवेदन की प्रस्तुति के चार माह के भीतर सीमति के विचार हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यद्यपि 30 सितंबर 2017 तक 20 *प्रतिशत* निष्पादन लेखापरीक्षाओं और 33 *प्रतिशत* लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर कार्रवाई नोट प्राप्त नहीं हुए थे, जैसा कि **तालिका 2.1.12** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.12: 30 सितंबर 2017 तक प्राप्त नहीं हुए कार्रवाई नोट

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	राज्य विधायिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति की तिथि	समीक्षा/पैराग्राफों की संख्या			
		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत		लंबित एटीएन	
		नि.ले.प.	पैराग्राफ	नि.ले.प.	पैराग्राफ
2012	02.04.2013	1	3	1	शून्य
2013	01.08.2014 (संसद में)	1	7	शून्य	शून्य
2014	30.06.2015	1	2	शून्य	2
2015	13.06.2016	1	6	शून्य	3
2016	10.03.2017	1	6	शून्य	3
कुल		**5**	**24**	**1**	**8**

2.1.16 सरकारी उपक्रमों पर समिति (कोगू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) में प्रस्तुत किए गए नि.ले.प. और लेखापरीक्षा पैराग्राफ और इन पर कोगू द्वारा चर्चा की 30 सितंबर 2017 की स्थिति **तालिका 2.1.13** में दी गई है:

तालिका 2.1.13: 30 सितंबर 2017 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत समीक्षा/पैरे और इनपर चर्चा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	समीक्षा/पैराग्राफों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत		चर्चा किए गए	
	नि.ले.प.	पैराग्राफ	नि.ले.प.	पैराग्राफ
2012	1	3	शून्य	शून्य
2013	1	7	1	3
2014	1	2	1	शून्य
2015	1	6	शून्य	शून्य
2016	1	6	शून्य	शून्य
कुल	**5**	**24**	**2**	**3**

2.1.17 सा.क्षे.उ. का विनिवेश, पुनर्संगठन और निजीकरण

राज्य सरकार ने 2016-17 के दौरान किसी भी राज्य सा.क्षे.उ. में विनिवेश, पुनर्संगठन व निजीकरण की गतिविधि नहीं की।

2.1.18 अध्याय का क्षेत्र

इस अध्याय में आठ पैराग्राफ (दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित) और 'दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के कार्य' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा है जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 102.38 करोड़ का है।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

2.2 दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली

दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) की राज्य द्वारा शासित कंपनी है जो एक प्रोत्साहक एवं अभिकर्मक के रूप में कार्य करते हुए आर्थिक विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर और संस्थागत क्रेडिट के संगठन द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/सफाई कर्मचारियों और अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों के सर्वतोमुखी विकास और आर्थिक उन्नयन हेतु आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्त पोषण, प्रोत्साहन और सहायता करती है। कुछ महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्राप्तियों का सार निम्नवत हैः

मुख्य बिन्दु

कंपनी ने लक्षित समूहों की पहचान के लिए न तो कोई सर्वेक्षण किया और न ही अभीष्ट लाभार्थियों का कोई डाटाबेस बनाया।

(पैराग्राफ 2.2.2)

कंपनी ने नियमित रूप से अपने वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया। वर्ष 2004-05 तथा उसके बाद के वर्षों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई हैं।

(पैराग्राफ 2.2.3.1)

ऋण के संवितरण का *प्रतिशत* जो 2012-13 में कुल उपलब्ध निधियों का 45.41 *प्रतिशत* था, कम होकर 2016-17 में 12.90 *प्रतिशत* रह गया।

(पैराग्राफ 2.2.3.2)

कंपनी की ऋण गतिविधियों के भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति में काफी कमी रही। यह प्राप्ति 2012-17 की अवधि में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एक से 61 *प्रतिशत* तक रही।

(पैराग्राफ* 2.2.4.1*)

वित्तीय सहायता को बढ़ाने में कमियाँ थीं और ऋणों के संवितरण में काफी विलंब हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.4.4)

लाभार्थियों से वसूली के बाद की कार्रवाई की प्रणाली संतोषप्रद नहीं थी क्योंकि वर्ष 2016-17 के दौरान की गई कुल वसूली मात्र 11 *प्रतिशत* थी। 31 मार्च 2017 तक अधिक लंबितता वाले मामलों के संबंध में ₹ 23.77 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई।

(पैराग्राफ 2.2.5)

5,192 मामलों में से अधिकतम 3,533 मामले जिन्हें अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे, वसूली प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई।

(पैराग्राफ 2.2.5.2)

शिकायत निवारण प्रणाली अपर्याप्त थी और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमज़ोर और अप्रभावी थी।

(पैराग्राफ 2.2.7)

2.2.1 प्रस्तावना

दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड को 1983 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित किया गया और इसका नाम बदलकर दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) कर दिया गया। इस कंपनी की स्थापना उन अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यक तथा विकलांग वर्ग के सदस्यों जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, संस्थागत क्रेडिट हेतु वित्त प्रदान करके व संग्रह करके, आर्थिक गतिविधियों को सरल तथा उन्नत बनाकर, युवाओं को विभिन्न आय उत्पति तथा रोजगार परक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देकर तथा उनके सर्वत्तोमुखी विकास व आर्थिक उत्थान के लिए प्रोत्साहक तथा उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके सहायता प्रदान करने हेतु किया गया।

इस कंपनी को राष्ट्रीय शीर्ष निगमों अर्थात् राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) और राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) द्वारा वित्तपोषित योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) के रूप में नियुक्त किया गया है।

यह कंपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु शीर्ष निगमों से निधियां प्राप्त करती है जिस पर तीन *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाती है। कंपनी अपने लाभार्थियों से छः *प्रतिशत* की दर से ब्याज प्रभारित करती है। इससे कंपनी की ऋण गतिविधियों पर तीन *प्रतिशत* की सीमा तक आय सृजित करती है। इसके अतिरिक्त कंपनी बैंकों में डिपोजिट निधियों पर ब्याज से और अपने कार्यालय भवन में खाली स्थानों को किराए पर देकर भी आय अर्जित करती है।

2.2.1.1 संगठनात्मक ढाँचा

कंपनी का प्रबंध 12 निदेशकों के निदेशक मंडल (बीओडी) से गठित किया जाता है जिसका अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) कंपनी का मुख्य कार्यपालक होता है। सीएमडी के अतिरिक्त बीओडी में रा.रा.क्षे.दि.स. और भारत सरकार से दो नामांकित सदस्य, एनएचएफडीसी, एनएमडीएफसी और एनबीसीएफडीसी से प्रत्येक से एक सदस्य और लक्षित लाभार्थियों के समूहों में से चार सदस्य होते हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मंत्री अध्यक्ष होता हैं और प्रधान सचिव/सचिव (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व/ अल्पसंख्यक) और विशेष सचिव (वित्त विभाग) रा.रा.क्षे.दि.स. का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2.2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य यह निर्धारित करना थे किः

(i) कंपनी ने निर्धारित वित्तीय सहायता योजनाओं की योजना, निर्माण व कार्यान्वयन प्रभावी, मितव्ययी तथा कुशल रूप से किया था और

(ii) लक्षित लाभार्थियों को प्रदान किए गए क्रेडिट के चयन, निर्गमन और वसूली के लिए प्रभावी पर्यवेक्षण व निगरानी प्रणाली थी।

2.2.1.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कार्यविधि

यह निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2017 से सितंबर 2017 के दौरान कंपनी की अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक पाँच वर्ष की गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए आयोजित की गई। इस अवधि के दौरान कंपनी ने शिक्षा ऋण योजना,परिवहन ऋण, दिल्ली स्वरोजगार योजना, संयुक्त ऋण और बड़ा ऋण योजना के अंतर्गत क्रमशः 89, 72, 173, 501 और दो ऋण संवितरित किए जिनमें से लेखापरीक्षा के लिए क्रमशः 23, 22, 25, 60 और दो ऋण मामले चुने गए, जिससे इस अवधि के दौरान संवितरित कुल ऋणों के 16 *प्रतिशत* मामले शामिल हुए। कंपनी के मुख्यालय और तीन जोनल कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच की गई।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा कार्यविधि, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंड की चर्चा हेतु कंपनी के साथ एक प्रवेश सम्मेलन किया गया (मई 2017) था। लेखापरीक्षा प्राप्तियों से प्रबंधन को अवगत कराया गया (सितंबर 2017) था और एक समापन सम्मेलन भी किया गया (सितंबर 2017) था जिसमें कार्यकारी निदेशक के साथ कंपनी के अधिकारियों ने भाग लिया। दिनांक 30 जनवरी 2018 के कंपनी के जवाबों को इस प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

2.2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित से प्राप्त मानदंडों पर परखा गयाः

(i) कंपनी के बोर्ड की बैठकों का एजेंडा और कार्यवृत और शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(ii) राज्य/केंद्र सरकार/राष्ट्रीय शीर्ष निगमों द्वारा निर्धारित नीति/नीतिगत ढांचा/मानदंड/दिशानिर्देश;

(iii) ऋणों की संस्वीकृति, संवितरण, वसूली और निगरानी हेतु कंपनी की प्रक्रियाएं; और

(iv) कंपनी द्वारा जारी कार्यालय अभिलेख/आदेश/परिपत्र/अनुदेश।

लेखापरीक्षा प्राप्तियां

2.2.2 अपर्याप्त योजना

योजना में अपर्याप्तताएं थीं। कंपनी ने अपने उद्देश्यों की सूचना देते हुए प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) तैयार किया और उन्हें प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किया परन्तु उनको कार्यान्वित नहीं किया जा सका। प्रस्तावित एमओयू उद्दिष्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रशासनिक मंत्रालय से वापिस प्राप्त किए गए। परिणामस्वरूप एमओयू को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

कंपनी ने अपनी वार्षिक योजनाओं के साथ-साथ पंचवर्षीय योजना (2012-17) भी तैयार की यद्यपि ऋण गतिविधियों का लक्ष्य प्राप्त करने में 2012-17 की अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 38.80 और 99.04 *प्रतिशत* के बीच की रेंज में अत्यधिक कमियां थी। यह दर्शाता है कि कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन कमजोर था जिससे लक्षित लाभार्थी अभीष्ट लाभों से वंचित रहे जैसाकि निष्पादन लेखापरीक्षा में चर्चा की गई।

इसके अतिरिक्त कंपनी को रा.रा.क्षे.दि.स. में रह रहे लक्षित समूहों की जनसंख्या की रूपरेखा तैयार करने तथा कथित योजनाओं के अंतर्गत सहायता संवितरित करने तथा कथित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए

कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए प्रगामी लक्ष्यों के नियत करने की आवश्यकता थी। लाभार्थियों की पहचान इसलिए महत्वपूर्ण थी कि विकास योजनाओं ने समाज की गिरती हुई स्थिति को लक्षित किया जिसमें उनकी जागरूकता की कमी के कारण अपवर्जन का जोखिम बहुत अधिक था। इसे उचित सर्वेक्षण के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व/अल्पसंख्यक/विकलांग लोगों के विश्वसनीय डाटाबेस के अनुरक्षण हेतु किया गया जो वित्तीय सहायता की योजना तथा विस्तार के लिए आधार प्रदान करेगा तथा समस्त लक्षित जनसंख्या को चरणबद्ध तरीके से कवर करेगा। कंपनी ने जबकि लक्षित समूहों की पहचान के लिए तथा व्यवहार्य व्यवसायों व व्यापारों जिनको ऋण दिया जा सकता है, की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया। इसने अभीष्ट लाभार्थियों का कोई डाटाबेस भी नहीं रखा।

कंपनी ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि लक्ष्यों को मुख्यतः 2013 और 2015 के बीच चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन, एक वर्ष से अधिक संस्वीकृति प्राधिकारी की गैर-उपलब्धता, दिल्ली स्वरोजगार योजना में संशोधन करने के लिए जाने वाले समय के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसाकि कंपनी को इन मामलों का प्रबंधन करने के लिए पहले ही अधिक सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। इसके अतिरिक्त कंपनी लेखापरीक्षा में सम्मिलित सभी पांच वर्षों में ऋणों के संवितरण के अपने प्रत्यक्ष लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।

2.2.3 वित्तीय प्रबंधन

2.2.3.1 वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

कंपनी ने केवल वर्ष 2003-04 तक अपने वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप दिया है। 2004-05 तथा इसके बाद की अवधि के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अभाव में वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभाविता और प्राप्ति, व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं का जिसमें कथित प्रयोजन हेतु निधियों का निवेश व उपयोग भी शामिल है, लेखांकित नहीं किया जा सका। कंपनी के पास 31 मार्च 2011 को अलेखापरीक्षित लेखों के अनुसार ₹ 5.20 करोड़ की अचल परिसंपत्ति थी लेकिन इसने अचल संपत्ति पंजिका का रखरखाव नहीं किया और न ही इसकी परिसंपत्तियों का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन इसके आरंभ से किया गया था।

कंपनी ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा कि योग्य अधिकारियों की गैर-उपलब्धता के कारण लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2015-16 के लेखों को अब अंतिम रूप दे दिया गया है

और कंपनी अधिनियम के अनुसार स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार किया जा रहा है तथा प्रत्यक्ष सत्यापन जल्दी ही किया जाएगा। प्रबंधन के उत्तर को प्रमाणों के समर्थन के किसी अभिलेख के अभाव में सत्यापित नहीं किया जा सका। हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लेखों को 30 जनवरी 2018 तक सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है।

2.2.3.2 प्राप्तियां तथा संवितरण

कंपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ऋण प्रदान करती है जैसाकि नीचे बताया गया हैः

संयुक्त ऋण योजनाः इस योजना के अंतर्गत ₹ 50,000 से केवल ₹ दो लाख तक की रेंज में ऋण सहायता अनुसूचित जातियों के सदस्यों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, सफाई कर्मचारियों तथा शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए संस्वीकृत किया जाता है तथा दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी) द्वारा अनुमोदित विभिन्न व्यापारों जैसे सब्जियां/फल/फूलों की दुकान, बेकरी उत्पाद, किराना/जनरल स्टोर, डेयरी उत्पादों/फोटोस्टेट/साइबर कैफे, दवाई की दुकान, पान की दुकान, सिलाई की दुकान, आटा चक्की, लौंड्री इत्यादि में किसी आय उत्पन्न गतिविधि के लिए वितरित किया जाता है।

परिवहन ऋण योजनाः इस योजना के अंतर्गत कंपनी अनुमोदित वाणिज्यिक वाहनों के लिए ऋण प्रदान करती है। वितरित ऋण की धनराशि वाहन की लागत की राशि पर निर्भर करती है। इस लक्षित श्रेणी में अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, सफाई कर्मचारियों तथा शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य आते है।

शिक्षा ऋण योजनाः इस योजना के अंतर्गत कंपनी लक्षित समूहों के विद्यार्थियों को व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए ऋण प्रदान करती है। कंपनी भारत में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को अधिकतम **₹** 7.50 लाख तथा भारत से बाहर के लिए **₹** 15.00 लाख तक के ऋण अग्रिम प्रदान करती है।

बड़ी ऋण योजनाः इस श्रेणी के अंतर्गत लघु उद्योग (**₹** पांच लाख तक की लागत की परियोजना) में आर्थिक गतिविधियों की स्थापना हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत ऋण कृषि तथा संबंध क्षेत्र, पारंपरिक व्यवसायों तथा लघु व सूक्ष्म उद्योगों में प्रदान किया जाता है।

दिल्ली स्वरोजगार योजनाः इस योजना के अंतर्गत **₹** पाँच लाख तक का ऋण अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, सफाई कर्मचारियों तथा

शारीरिक रूप से विकलांगो के लिए संस्वीकृत किया जाता है तथा एम.सी.डी. द्वारा अनुमोदित विभिन्न व्यापारों में किसी आय उत्पन्न गतिविधि के लिए संवितरित किया जाता है। यह योजना कंपनी द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त ₹ 50 करोड़ के संग्रह के प्रति प्राप्त ब्याज आय से चलाई जाती है।

प्राप्तियों की वर्षवार स्थिति जिसमें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शीर्ष निगमों[22] से प्राप्त निधियां तथा ऋण वसूलियां और कंपनी के संवितरण शामिल है, **तालिका 2.2.1** में प्रदर्शित है।

तालिका 2.2.1: प्राप्तियों व संवितरणों का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
प्राप्तियां	आरंभिक शेष	161.31	541.62	1029.04	1567.3	2831.25
	संयुक्त ऋण योजना	209.75	8.50	0.00	1080.00	110.00
	परिवहन ऋण योजना	323.30	0.00	0.00	0.00	54.36
	शिक्षा ऋण योजना	0.00	9.25	16.53	4.65	1.65
	बड़ा ऋण योजना	0.00	0.00	0.00	4.00	3.90
	दिल्ली स्वरोजगार योजना	200.96	455.00	450.00	388.56	397.25
	वसूलियां	379.89	487.48	454.24	339.65	303.37
कुल प्राप्तियां		1275.21	1501.85	1949.81	3384.16	3701.78
संवितरण	संयुक्त ऋण योजना	173.70	67.70	20.70	45.55	238.92
	परिवहन ऋण योजना	221.98	3.48	0.00	0.00	15.73
	शिक्षा ऋण योजना	10.87	40.45	29.74	36.93	18.69
	बड़ा ऋण योजना	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
	दिल्ली स्वरोजगार योजना	0.00	4.50	41.10	173.45	165.02
	पुनर्भुगतान/शीर्ष को वापसी	327.04	356.68	290.97	292.98	273.74
कुल संवितरण		733.59	472.81	382.51	552.91	712.1
अंत शेष		541.62	1029.04	1567.3	2831.25	2989.68
उपलब्ध निधियों का संवितरण %		57.52	31.48	19.62	16.34	19.24

[22] एनएसएफडीसी, एनएसटीएफडीसी, एनबीसीएफडीसी, एनएमडीएफसी, एनएसकेएफडीसी तथा एनएचएफडीसी ।

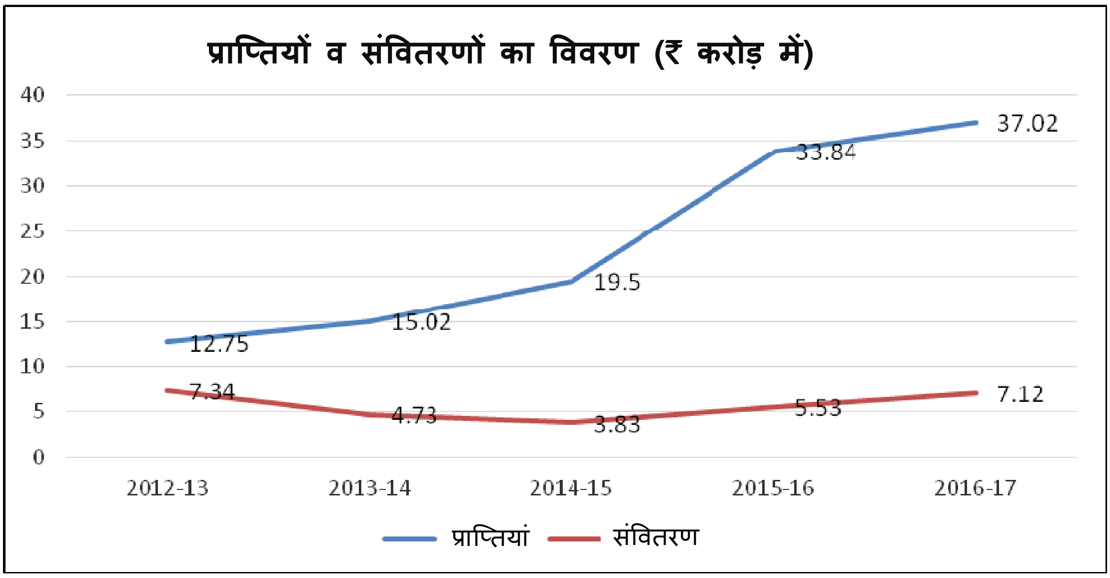

उपरोक्त तालिका के साथ रेखाचित्र को पढ़ने से यह देखा जा सका किः

(क) ऋणों के संवितरण के लिए पर्याप्त निधियां थीं और वे वर्ष प्रतिवर्ष संचित हो रही थीं। 2012-17 के दौरान सभी शीर्ष निगमों/रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त कुल निधि केवल ₹ 37.18 करोड़ थी, जिसपर कंपनी इस अवधि में ₹ 13.13 करोड़ का ही संवितरण कर सकी। वर्ष के अंत में अधिशेष 2012-13 में ₹ 5.42 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 29.90 करोड़ हो गया। ऋण संवितरण का *प्रतिशत* 2012-13 में 45.41 *प्रतिशत* था, जो 2016-17 में 12.90 *प्रतिशत* हो गया।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि रियायती ऋणों के संवितरण हेतु योग्य लाभार्थी ढूंढने के बजाय कंपनी ने अधिशेष निधियों को बैंकों में निवेश कर दिया और ब्याज अर्जित किया। कंपनी ने बैंकों में जमा निधियों पर ₹ 35.53 करोड़ ब्याज के रूप में अर्जित किया जो इसकी कुल आय का 91 *प्रतिशत* था।

(ख) 2012-17 के दौरान 'परिवहन ऋण' की योजना के अंतर्गत ₹ 3.78 करोड़ प्राप्त किया गया, जिसमें से ₹ 1.36 करोड़ का उपयोग नहीं हुआ। 2014-16 के दौरान कोई संवितरण नहीं किया गया।

(ग) 2012-17 की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा दिल्ली स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ₹ 18.92 करोड़ प्राप्त किया गया जिसमें से मात्र ₹ 3.84 करोड़ का संवितरण किया जा सका।

(घ) 2012-17 के दौरान कंपनी द्वारा संयुक्त ऋण योजनाओं के अंतर्गत ₹ 14.08 करोड़ प्राप्त किया गया, जिसमें से मात्र ₹ 5.46 करोड़ का संवितरण किया जा सका।

लाभार्थियों को ऋणों के उल्लेखनीय रूप से कम संवितरण के कारण लक्षित लाभार्थियों का डाटाबेस बनाने के लिए उनकी रूपरेखा को तैयार न करना, पर्याप्त जागरूकता कार्यक्रम की कमी, आय मानदंड का गैर परिवर्तन जो रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नियत न्यूनतम वेतन की अपेक्षा से भी कम है, समयबद्ध ढंग से लक्षित लाभार्थी समूह को शामिल करने हेतु हो सकते है।

प्रबंधन ने कहा कि ऋण प्राप्त करने के लिए कुछ शर्ते बोझिल थी तथा निदेशक मंडल ने उत्तम संभव सुधारक उपायों के सुझाव के लिए एक समिति का गठन किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि संवितरण के लिए उपलब्ध निधियों के संवितरण की प्रतिशतता 2012-13 में 45.41 *प्रतिशत* से तेजी से कम होकर 2016-17 में मात्र 12.90 *प्रतिशत* रह गई थी जो लेखापरीक्षा विचारधारा का समर्थन करती है। यहाँ तक कि यदि प्रबंधन की बोझिल प्रक्रियागत मामलों की विचारधारा स्वीकार की जाए तब भी यह लाभार्थियों की रूपरेखा तैयार न करने तथा इसकी योजनाओं की जागरूकता की कमी के कारण लक्षित जनसंख्या तक पहुँचने में समर्थ नहीं हो सका है।

2.2.3.3 निधि का अवरोधन और अनुवर्ती ब्याज की हानि

भारत सरकार (भा.स.) के सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय ने गरीबी रेखा के नीचे रह रहे अ.जा. हेतु आर्थिक विकास की पूर्ण वित्तपोषित परिवार केंद्रित योजनाओं को आरंभ किया (1986-87)। इस योजना के अनुसार भा.स. से प्राप्त निधि में से कंपनी को अ.जा. लाभार्थी को दिए जाने वाले ऋण के 50 *प्रतिशत* की सीमा तक या ₹ 10,000, जो भी कम हो, गैर-वापसी रियायत के रूप में प्रदान करना था। अ.जा. अभ्यर्थियों को विभिन्न रोजगार-केंद्रित व्यवसायों के अंतर्गत प्रशिक्षण भी दिया जाना था। इस योजना के अंतर्गत कंपनी को 1997-98 से 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 9.68 करोड़ की निधियाँ प्राप्त हुई, जबकि प्रशिक्षण और रियायत भुगतान पर ₹ 18.05 करोड़ धनराशि व्यय की गई थी। जिससे 31 मार्च 2017 तक ₹ 8.37 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। अतिरिक्त व्यय की पूर्ति कंपनी की अधिशेष निधियों पर अर्जित ब्याज से की गई। अधिकांश व्यय 2001-05 की अवधि के दौरान किया गया जब कंपनी को भा.स. से ₹ 3.68 करोड़ की निधियाँ प्राप्त हुई जबकि इसने कंपनी की निधियों का उपयोग करने के लिए ₹ 13.39 करोड़ व्यय किया जिसमें अतिरिक्त व्यय के लिए बोर्ड की पूर्वानुमति नहीं प्राप्त की गई। कंपनी ने अतिरिक्त व्यय की वापसी की मांग भी नहीं की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-13 को छोड़कर कंपनी को 2007-08 के बाद भा.स. से निधि प्राप्त नहीं

हुई, जबकि योजना के अंतर्गत व्यय अब भी जारी है। निधियां न प्राप्त होने का कारण कंपनी के लेखापरीक्षित लेखों और उपयोगिता प्रमाणपत्र को प्रस्तुत न करना बताया गया, जैसा कि इस निष्पादन लेखापरीक्षा के पैराग्राफ 2.2.3 में टिप्पणी थी। भा.स. से निधि न प्राप्त होना और अपने संसाधनों से व्यय करने के फलस्वरूप 2005-06 से 2016-17 के दौरान ₹ 8.37 करोड़ के अतिरिक्त व्यय पर ₹ 9.10 करोड़ के ब्याज की आय की हानि हुई। कंपनी ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि भा.स. ने लेखों को अंतिम रूप देने तथा लेखों की सांविधिक लेखापरीक्षा में विलंब के कारण निधियां प्रदान नहीं की।

2.2.3.4 अधिशेष निधियों के निवेश में विलंब के कारण ब्याज की हानि

कंपनी को वर्ष के आरंभ में शीर्ष निगमों से विभिन्न योजनाओं हेतु निधियों का वार्षिक आवंटन होता है, जिसके बाद निधियाँ संस्वीकृत और जारी की जाती है। कंपनी द्वारा कल्याण योजनाओं के खराब कार्यान्वयन के कारण अवितरित निधि संचित हो गई जैसा कि ऊपर उल्लिखित है। हालांकि कंपनी के पास अधिशेष निधियों के उपयोग पर कोई निवेश नीति नहीं है और इसके फलस्वरूप बैंक जमा की अवधि का विस्तार सहित अन्य निवेश संबंधी निर्णयों में विलंब हुआ। अधिशेष निधियों के निवेश में विलंब को **तालिका 2.2.2** में दिया गया हैं।

तालिका 2.2.2: निधियों के निवेश में विलंब के विवरण

अधिशेष निधि (₹ करोड़ में)		निवेश की तिथि	दिनों का विलंब	लागू ब्याज दर (%)	हानि (₹ लाख में)
राशि	निम्न तिथि को उपलब्ध				
50	19.10.2012	02.11.2012	14	9	17.26
20	23.12.2012	02.01.2013	9	9.25	4.56
7	23.12.2012	24.01.2013	32	9	5.52
15	26.06.2013	03.07.2013	7	9.10	3.69
45	02.11.2013	07.11.2013	5	9.10	5.6
5	02.11.2013	07.11.2013	5	9.25	0.63
7	11.04.2016	27.04.2016	16	7.5	2.30
5	11.04.2016	27.04.2016	16	7.55	1.65
5	11.04.2016	27.04.2016	16	7.60	1.66
10	09.11.2016	06.01.2017	58	6.9	10.96
10	09.11.2016	06.01.2017	58	7	11.12
कुल					**64.95**

कंपनी ने अधिशेष निधियों के निवेश के समय निर्णय प्रक्रिया में विलंब के कारण ₹ 64.95 लाख के ब्याज की हानि वहन की। कंपनी ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा विलंब के लिए प्रशासनिक व प्रक्रियागत कारणों को उत्तरदायी ठहराया और सूचित किया कि प्रत्येक निवेश की परिपक्वता से कम से कम 30 दिन पहले निवेश प्रस्तावों को पेश करने का निर्णय लिया गया है।

2.2.3.5 किराया समझौता के विलंबित कार्यान्वयन के कारण ₹ 2.15 करोड़ की वसूली न होना

कंपनी ने जुलाई 2007 में कल्याण भवन, रायगढ़ पुरा, नई दिल्ली में 227.05 व.मी. का परिसर दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग (डीसीएसके) को किराया समझौता किए बिना आवंटित किया। कंपनी ने अप्रैल 2009 तक इस परिसर के किराये के निर्धारण का मामला लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के साथ आगे नहीं बढ़ाया। किराए का निर्धारण लो.नि.वि. की किराया निर्धारण समिति द्वारा जून 2015 में किया गया तथा किराया समझौते पर 23 मार्च 2017 में कंपनी और डीसीएसके के बीच हस्ताक्षर हुआ, जब इस स्थान पर कब्जे के दस वर्ष बीत गए थे। ₹ 2.29 लाख प्रतिमाह के किराए के आधार पर कुल किराया वसूली ₹ 3.53 करोड़ थी जिसमें से कंपनी ने मार्च 2017 में ₹ 1.38 करोड़ वसूल किया। किराया निर्धारण और वसूली में अनावश्यक विलंब के फलस्वरूप मार्च 2017 तक ₹ 1.69 करोड़ की ब्याज आय की हानि हुई। कंपनी ने कहा (जनवरी 2018) कि शेष राशि की वसूली के लिए नियमित अनुवर्तन किया जा रहा है।

2.2.3.6 स्टाफ कारों के क्रय/रखरखाव पर ₹ 98.66 लाख का अनावश्यक व्यय

बोर्ड ने अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए अधिकारियों समेत अधिकारियों को कार प्रदान करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई। कंपनी का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक और एकमात्र कार्यकारी निदेशक कार्यालयी कार के हकदार होंगे। 31 मार्च 2017 को अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक कार्यालयी कारों का उपयोग कर रहे थे। यद्यपि कंपनी के पास 31 मार्च 2017 को 10 स्टाफ कारों का जत्था था। इस प्रकार हकदारी के अनुसार कंपनी के पास आवश्यकता से अधिक आठ कारें थीं। यह भी पाया गया कि अतिरिक्त आठ कारों के प्रति कंपनी के पास निरीक्षण दलों तक जाने और किसी जागरूकता कार्यक्रम को करने के लिए कोई विशेष वाहन नहीं था। इन आठ कारों के लागत मूल्य और उनके रखरखाव का व्यय ₹ 98.66 लाख था। इसके अतिरिक्त फलदायी प्रयोग हेतु सामान्य पूल की कारों के प्रयोग की अनुमति नहीं है क्योंकि लक्षित समूहों की वित्तीय सहायता योजनाओं का क्रियान्वयन खराब था और कंपनी को शीर्ष निगम से प्राप्त निधियों का अधिकांश हिस्सा बैंकों में स्थायी जमा के रूप में रखा गया था।

इसके अतिरिक्त 29 जुलाई 2015 को नई कार के क्रय के समय यह दर्ज किया गया कि कार का क्रय वसूलियों और जागरूकता शिविर के लिए प्रयोग होने वाले एक ग्रामीण परिवहन वाहन (आरटीवी) के क्षतिग्रस्त होने के कारण किया जा रहा था जबकि कार को सीएमडी के लिए नियोजित किया गया था।

इस प्रकार कंपनी की योजनाओं की जानकारी फैलाने के प्रयोजन के लिए आरटीवी के स्थान पर स्टाफ कार का क्रय अनुचित था। अप्रैल 2016 में सीएमडी के लिए एक अन्य कार ₹ 6.88 लाख की लागत पर क्रय की गई जबकि कार 2015 में क्रय हो चुकी थी।

कंपनी ने कहा कि कारें निगम की आवश्यकता के अनुसार ही खरीदी गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी के दो हकदार अधिकारियों के लिए केवल दो वाहन ही अपेक्षित है।

2.2.4 योजनाओं का कार्यान्वयन

जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली में अ.जा. और विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या क्रमशः 28.12 लाख और 2.35 लाख थी। अल्पसंख्यक जनसंख्या 21.72 लाख थी। विधवा, तलाकशुदा और अलग रह रही महिलाएं 10.78 लाख थीं। दिल्ली लेखों में 54 अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) दिल्ली की कुल जनसंख्या (1.67 करोड़) का लगभग 51 *प्रतिशत* है। केवल दिल्ली के तीन नगर निगमों में ही 64,000 सफाई कर्मचारी हैं। इस प्रकार लक्षित समूहों की एक बड़ी जनसंख्या ऐसी थी जो कंपनी द्वारा कार्यान्वित विभिन्न क्रेडिट योजनाओं के अंतर्गत लाई जा सकती थी। इन लक्षित समूहो को क्रेडिट प्रदान करने हेतु शीर्ष निगमों से पर्याप्त निधियां प्राप्त हुई थीं **(तालिका 2.2.1** और **2.2.4** देखें**)**। यद्यपि, जैसा कि नीचे उल्लिखित है, कंपनी में इन क्रेडिट योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कोई शीघ्रता या चिंता नहीं देखी गई।

2.2.4.1 लक्ष्य व उपलब्धियां

वार्षिक आवंटनों के समय शीर्ष निगम राज्यवार और लाभार्थी श्रेणीवार भौतिक व वित्तीय लक्ष्य भी निर्धारित करते हैं। एनएसएफडीसी के मामले में अ.जा. लाभार्थियों के लिए औसत ऋण धनराशि का लक्ष्य ₹ 0.45 लाख रखा गया। एनबीसीएफडीसी के मामले में पिछड़ा वर्ग लाभार्थियों को औसत ऋण धनराशि का लक्ष्य ₹ 0.45 लाख था। एनएचएफडीसी के मामले में विकलांग लाभार्थियों को औसत ऋण धनराशि का लक्ष्य ₹ 0.60 लाख रखा गया, जबकि एनएमएफडीसी के मामले में अल्पसंख्यक लाभार्थियों को औसत ऋण धनराशि का लक्ष्य ₹ 1.11 लाख रखा गया।

2012-17 के दौरान कंपनी के लक्ष्य व उपलब्धियां **तालिका 2.2.3** में दिए गए हैं।

तालिका 2.2.3: लक्ष्यों व उपलब्धियों का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

मार्च में समाप्त वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि		उपलब्धि (%)	
	भौतिक (मामलों की संख्या)	वित्तीय (धनराशि)	भौतिक (मामलों की संख्या)	वित्तीय (धनराशि)	भौतिक (मामलों की संख्या)	वित्तीय (धनराशि)
अनुसूचित जातियों के लिए एनएसएफडीसी योजनाएं						
2013	701	277.46	207	368.88	30	133
2014	766	337.64	56	57.88	7	17
2015	833	375.99	16	15.90	2	4
2016	875	437.70	40	39.70	5	9
2017	*	615.55	140	219.34	ला.न.	36
कुल		**2044.34**	**459**	**701.70**		**34**
अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु एनबीसीएफडीसी योजनाएं						
2013	300	150	22	17.00	7	11.33
2014	250	150	12	3.40	5	2.27
2015	115	150	9	9.35	8	6.23
2016	430	200	12	1.90	3	0.95
2017	925	255.43	23	10.61	2	4.15
कुल	**2020**	**905.43**	**78**	**42.26**	**4**	**4.67**
विकलांगों के लिए एनएचएफडीसी योजनाएं						
2013	109	60.00	4	4.00	3	7
2014	127	70.00	2	4.75	2	7
2015	108	81.00	4	12.65	4	16
2016	141	105.00	5	8.89	4	8
2017	211	105.00	9	6.28	4	4
कुल	**696**	**421**	**24**	**36.57**	**3**	**23**
अल्पसंख्यक हेतु एनएमएफडीसी की योजनाएं						
2013	105	100	4	3.80	4	4
2014	105	100	6	6.50	6	6
2015	105	100	1	0.69	1	1
2016	67	100	7	12.58	10	13
2017	67	100	41	29.80	61	30
कुल	**449**	**500**	**59**	**53.37**	**13**	**11**

* आवंटन पत्र में भौतिक लक्ष्य का उल्लेख नहीं है।

यह पाया गया:

(क) कि इस अवधि के दौरान एनएसएफडीसी के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या केवल दो से 30 *प्रतिशत* की श्रेणी में थी तथा केवल 34 *प्रतिशत* उपलब्ध निधियों का उपयोग किया गया;

(ख) कि इस अवधि के दौरान एनबीसीएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या केवल दो से आठ *प्रतिशत* की श्रेणी में थी तथा केवल 4.67 *प्रतिशत* निधियों का उपयोग किया गया;

(ग) कि इस अवधि के दौरान एनएचएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या केवल दो से चार *प्रतिशत* की श्रेणी में थी तथा केवल 23 *प्रतिशत* निधियों का उपयोग किया जा सका; और

(घ) कि इस अवधि के दौरान एनएमडीएफसी के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या एक से 61 *प्रतिशत* की श्रेणी में थी तथा केवल 11 *प्रतिशत* निधियों का उपयोग किया जा सका।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाभार्थियों को ऋण वितरण के लिए बिना किसी योजना या कार्यनीति के शीर्ष निगमों के ऊंचे लक्ष्य और अधिक निधि आवंटन को स्वीकार करना कंपनी के हाथों में एक नियमित लाभदायी साधन बन गया है जिससे वह निष्प्रयोजन निधियों पर ब्याज आय अर्जित कर अपने स्थापना व्यय की पूर्ति कर सके और जिन लक्षित समूहों के लाभ के लिए कंपनी की स्थापना हुई, उनके हित को दरकिनार कर अपनी आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध कर सके।

कंपनी ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि इसने 2012-17 के दौरान लक्षित समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए परन्तु एक वर्ष से अधिक तक संस्वीकृत प्राधिकारी की गैर-उपलब्धता के कारण, दिल्ली स्वरोजगार योजना में किए जा रहे संशोधनों में लिया जाने वाला समय, आय मानदंड का गैर परिवर्तन जो यहां तक कि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी की अपेक्षा कम है तथा 2013 व 2015 के बीच चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन के कारण यह लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसाकि यह केन्द्रीय स्तर संगठनों से उच्च लक्ष्यों तथा निधि आवंटनों की स्वीकृति की लेखापरीक्षा धारणा को संवितरण की योजना के बिना संबोधित करता है जिससे बैंकों में रखी अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज आय अर्जित की जा रही है। किसी भी योजना के न होने के परिणामस्वरूप ऋण गतिविधियों के लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण कमियां पाई गई जो 2012-17 की अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 38.80 तथा 99.04 *प्रतिशत* के बीच की श्रेणी में थी।

2.2.4.2 शीर्ष निगमों से निधि आवंटन और उसका उपयोग

शीर्ष निगम वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिनके आधार पर कंपनी को प्रतिवर्ष निधियों का अवधारणात्मक आवंटन किया जाता है जिसके बाद कंपनी शीर्ष निगमों की संस्वीस्कृति प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों की संख्या और आवश्यक कुल निधि को दर्शाते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। **तालिका 2.2.4** अ.जा. लाभार्थियों के लिए 2012-17 के दौरान एनएसएफडीसी द्वारा पिछड़े वर्ग हेतु एनबीसीएफडीसी द्वारा और विकलांग लाभार्थियों के लिए एनएचएफडीसी द्वारा समेकित निधि आवंटन, आहरित निधि और संवितरित ऋण को दर्शाती है।

तालिका 2.2.4: 2012-17 के दौरान आवंटित, संस्वीकृत और आहरित समेकित निधियों का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

शीर्ष निगम	शीर्ष द्वारा निधि आवंटन	कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव	शीर्ष नियमों द्वारा संस्वीकृत निधि	कंपनियों द्वारा लाभार्थियों के लिए आहरित धनराशि	संस्वीकृत निधियों के प्रति आहरित न की गई निधियां	
					धनराशि	(*प्रतिशत* में)
एनएसएफडीसी	2,338.37	2,225.50	2,044.34	795.16	1,249.18	61
एनबीसीएफडीसी	905.43	875.45	905.43	46.75	858.68	95
एनएचएफडीसी	421.00	414.50	421.00	49.46	371.54	88
कुल	**3,664.80**	**3,515.45**	**3,370.77**	**891.37**	**2,479.40**	**74**

तीनों शीर्ष निगमों ने 2012-17 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान मिलकर अ.जा./पि.व./विकलांग लाभार्थियों के लाभों के लिए ₹ 3,664.80 लाख का आवंटन किया। कंपनी ने ₹ 3,515.45 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिनमें से ₹ 3,370.77 लाख की संस्वीकृति दी गई। यद्यपि कंपनी ऋण के संवितरण के लिए मात्र ₹ 891.37 लाख (संस्वीकृत निधि का 26 *प्रतिशत*) ही आहरित कर सकी। पि.व. और विकलांग लाभार्थियों के मामले में क्रमशः 95 और 88 *प्रतिशत* संस्वीकृत निधि का आहरण नहीं किया गया । दिल्ली की जनसंख्या में इनकी पर्याप्त उपस्थिति होने के बावजूद कंपनी द्वारा तीनों श्रेणी के लाभार्थियों को ऋण संवितरित करने के लिए पूरी संस्वीकृत धनराशि का आहरण न करना कंपनी का अपने व्यक्त उत्तरदायित्वों का प्रभावी ढंग से निष्पादन करने में असफलता दर्शाता है। लक्षित समूह के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् हैं।

(क) अनुसूचित जाति हेतु

2012-17 की अवधि के दौरान कंपनी की योजनाओं के अंतर्गत 3175 लाभार्थियों के लक्ष्य के प्रति 459 अ.जा. लाभार्थियों को ₹ 701.70 लाख ऋण प्रदान किया गया। एनएसएफडीसी द्वारा कंपनी को अ.जा. लाभार्थियों के संपूर्ण ऋण का 50 *प्रतिशत* कृषि क्षेत्र, 40 *प्रतिशत* सेवा क्षेत्र और 10 *प्रतिशत* उद्योग क्षेत्र को आवंटित करना आवश्यक है, और प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार/अल्प-रोजगार वाले, महिला और अन्य को क्रमशः 40 *प्रतिशत*, 40 *प्रतिशत* तथा 20 *प्रतिशत* की सीमा तक होना चाहिए। यद्यपि कंपनी ने अ.जा. लाभार्थियों को ऋण के संवितरण करते समय इन मानकों के पालन हेतु ऐसी प्राथमिकता का निर्वहन नहीं किया। इसे दिल्ली जैसे शहरी राज्य में किसी क्षेत्रवार परिवर्तन की आवश्यकता भी नहीं थी यदि निर्दिष्ट क्षेत्रीय आवंटन व्यवहार्य नहीं था, इसके अतिरिक्त एनएसएफडीसी ने फरवरी 2013 में 'सिंगल वुमन' हेतु योजना और दिसंबर

2014 में आय उपार्जन के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने हेतु ई-रिक्शा, सौर पंप, इत्यादि के लिए ऋण के रूप वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 'हरित व्यवसाय योजना' (जीबीएस) आरंभ की। जीबीएस को जुलाई 2015 में कंपनी के बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त हुआ। यद्यपि कंपनी ने दोनों योजनाओं के अंतर्गत 31 मार्च 2017 तक ऋण का संवितरण नहीं किया था। कंपनी ने इस लक्षित समूह के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु एनएसएफडीसी के रियायती ऋण को अन्य योजनाओं के साथ समरूपता सुनिश्चित करने हेतु समूह निर्माण हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

एनएसएफडीसी ने एक व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस) आरंभ की (फरवरी 2014) और इसका विवरण भी कंपनी को दिया गया। यह योजना लक्षित समूह हेतु छः माह से 24 माह के पाठ्यक्रमों को शामिल करती है, जिससे वेतन निर्धारण होता है। कंपनी को पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त होने के लिए विस्तृत प्रचार और उन्हें 2014-15 से एनएसएफडीसी को प्रायोजित करना था जो कंपनी ने नहीं किया इस प्रकार अ.जा. लाभार्थियों को अभीष्ट लाभों से वंचित किया।

(ख) पिछड़ा वर्ग हेतु

2012-17 की अवधि के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) के 2020 लाभार्थियों के लक्ष्य के प्रति 78 लाभार्थियों को कंपनी की योजनाओं के अधीन ₹ 42.26 लाख के ऋण दिये गये। 2014-15 और 2015-16 के दौरान कंपनी ने पिछड़ा वर्ग (पि.व.) लाभार्थियों के लाभ हेतु ₹ 350 लाख की संस्वीकृत धनराशि के विपरीत कोई धनराशि आहरित नहीं की। निधियां आवंटित करते समय एनबीसीएफडीसी ने वंचित और अशिक्षित लोगों में जागरूकता की कमी पर विचार किया और कंपनी को विशेष रूप से निर्देश दिया कि जागरूकता शिविर लगाए जाएं और योजनाओं का लक्षित समूहों में आवश्यक प्रचार-प्रसार किया जाए। लेकिन कंपनी ने इस संदर्भ में पर्याप्त कार्रवाई नहीं की और ऋणों का संवितरण मुख्यतः लाभार्थियों द्वारा कंपनी से सहायता मांगने के आधार पर किया गया, न कि कंपनी द्वारा पि.व. अभ्यर्थियों तक पहुंचने की किसी गतिविधि के आधार पर, जबकि 2012-17 के दौरान कंपनी के पास एनबीसीएफडीसी से प्राप्त निधि जो बैंक में जमा की गई थी, भी उपलब्ध थी **(तालिका 2.2.4)**।

(ग) विकलांग जनसंख्या हेतु

2012-17 की अवधि के दौरान कंपनी की योजनाओं के अंतर्गत 24 विकलांग लाभार्थियों को ₹ 36.57 लाख के ऋण दिये गये। 2.35 लाख

विकलांग जनसंख्या के विपरीत कंपनी 2003-04 से 2016-17 की अवधि के दौरान मात्र 887 लाभार्थियों को ऋण संविरित कर सकी। कंपनी 2012-13 से 2016-17 के दौरान 696 के लक्ष्य के प्रति केवल 24 लाभार्थियों को ऋण संवितरित कर सकी। इस शीर्ष निगम ने सितंबर 2015 में कंपनी द्वारा खराब निष्पादन और विकलांग व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने में शिकायत इंगित की। एनएचएफडीसी ने कंपनी को लाभों को बढ़ाने के लिए अधिक प्रस्ताव भेजने का विशेष रूप से निर्देश दिया। कंपनी को एक विशेष अभियान द्वारा अशक्त व्यक्तियों के अधिक प्रस्तावों को प्रायोजित करने हेतु जिला कार्यालयों को संवेदनशील बनाना था। इसने कंपनी को विशेष रोजगार केंद्र तथा दिल्ली प्रशिक्षण संस्थान के डाटाबेस से बेरोजगार व्यक्तियों की एक सूची बनाने और भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के माध्यम से अशक्त व्यक्तियों को संपार्श्विक निशुल्क ऋण प्रदान करने की संभावना तलाशने का भी निर्देश दिया। लेकिन कंपनी ने 2012-17 के दौरान बैंकों में जमा एनएचएफडीसी से प्राप्त निधि उपलब्ध होने के बावजूद आवश्यक कदम नहीं उठाए **(तालिका 2.2.4)**।

(घ) अल्पसंख्यक हेतु

कंपनी ने वर्ष 2015-16 और 2016-17 हेतु ₹ 332.95 लाख के आवंटन हेतु एनएमडीएफसी को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके लिए कंपनी को ₹ 200 लाख की संस्वीकृति मिली, परंतु अल्पसंख्यक लाभार्थियों को ऋण संवितरण हेतु मात्र ₹ 25.50 लाख आहरित किए गए। कंपनी ने 2012-17 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान मात्र 59 अल्पसंख्यक लाभार्थियों को ऋण संवितरित किया जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं हैं क्योंकि दिल्ली रा.रा.क्षे. में बड़ी मात्रा में अल्पसंख्यक जनसंख्या है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएमएफडीसी ने कंपनी को न्यूनतम पांच जागरूकता शिविर/मेलों का आयोजन करने हेतु 2012-17 के दौरान वार्षिक रूप से ₹ 2.50 लाख अतिरिक्त रूप से आवंटित किया लेकिन कंपनी ने कोई जागरूकता शिविर नहीं लगाया। वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों और संस्वीकृत आहरित धनराशि की सूचना प्रदान नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त शीर्ष निगम ने कंपनी को लाभार्थियों की मृत्यु/अशक्तता के लिए और वित्त प्रदान करते समय परिसंपत्तियों का बीमा करवाना आवश्यक कर दिया और कहा कि प्रीमियम की धनराशि को ऋण धनराशि का भाग होना चाहिए। इस प्रयोजन से कंपनी को लाभार्थियों और उनकी

परिसंपत्तियों का बीमा करने हेतु एक बीमा कंपनी से समझौता करना था। परंतु कंपनी अपने लाभार्थियों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही।

कंपनी ने उपरोक्त क्रं. सं. (क) से (घ) के बिंदुओं को स्वीकार किया तथा संस्वीकृत निधियों के उपयोग में कमी के लिए आय मानदंड के गैर-संशोधन जो रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी से भी कम है तथा 2013 और 2015 के बीच चुनावों के दौरान मॉडल आचार संहिता के कार्यान्वयन को उत्तरदायी ठहराया। चुनाव समय के दौरान आदर्श आचार संहिता को चालू कल्याण योजनाओं के खराब कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता तथा यह कि कंपनी और रा.रा.क्षे.दि.स. का उत्तरदायित्व था कि आय मानदंड को संशोधित करें यदि उन्होंने इसे रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नियत सांविधिक न्यूनतम मजदूरी से कम पाया।

(ङ) सफाई कर्मचारियों हेतु

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) ने 2012-17 के दौरान ₹ 166.80 करोड़ आवंटित किया। जबकि कंपनी इस लाभार्थी समूह (₹ 1.20 लाख तक की वार्षिक आय वाले) हेतु विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मार्च 2016 में एनएसकेएफडीसी से मात्र ₹ नौ करोड़ (5.39 *प्रतिशत*) आहरित कर सकी जिसका उपयोग भी नहीं हुआ। लेखापरीक्षा में सफाई कर्मचारियों को अप्रयुक्त निधियों को संवितरित करने हेतु कोई कार्रवाई योजना भी नहीं देखी गई जो बैंक में निवेश करके रखी गई थीं।

कंपनी ने कहा कि निधि का उपयोग नही किया जा सका क्योंकि शीर्ष निगम द्वारा निश्चित योग्यता दिशानिर्देश को सूचित नही किया गया। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि कंपनी पांच वर्षों तक इस संबंध में शीर्ष निगम के साथ इस मुद्दे को प्राप्त करने अथवा हल करने में असफल रहा।

(च) अनुसूचित जनजातियों हेतु

जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली में कोई मूल/क्षेत्रीय अनुसूचित जनजाति नहीं थी। यद्यपि दिल्ली में रह रहे अन्य राज्यों की अनुसूचित जनजातियों की उपस्थिति जानने हेतु और उनके आर्थिक विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को समझते हुए रा.रा.क्षे.दि.स. ने कंपनी के संधि ज्ञापन को संशोधित किया (25 जुलाई 2001) और इसे दिल्ली की अ.ज.जा. जनसंख्या के लाभ हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) से प्राप्त निधियों की चैनलाइज़िंग एजेंसी भी घोषित किया। कंपनी ने अ.ज.जा. जनसंख्या को निधियां जारी करने के मामले पर

अक्तूबर 2002 में सीएमडी, एनएसटीएफडीसी से चर्चा की। लेकिन 2002 के बाद इस शीर्ष निगम से किसी चर्चा का कोई प्रमाण या इस संबंध में किए गए किसी प्रयत्न का कोई प्रमाण नहीं था और इसके फलस्वरूप दिल्ली में रह रही अ.ज.जा. जनसंख्या को कंपनी की विभिन्न क्रेडिट योजनाओं के अंतर्गत लाभ नहीं मिल सका।

कंपनी ने रा.रा.क्षे.दि.स. से स्पष्ट दिशानिर्देशों के अभाव तथा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिल्ली में अ.ज.जा. की गैर-पहचान को ऋण के गैर-संवितरण कारणों को उत्तरदायी ठहराया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने दिल्ली में 2002 के पश्चात् अ.ज.जा. जनसंख्या को निधियां प्रदान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। गैर-संवितरण के लिए उल्लिखित कारण रा.रा.क्षे.दि.स. के मानक के अंदर थे और उन्हें प्रभावी रूप से संबोधित किया जाना चाहिए था।

2.2.4.3 कंपनी द्वारा सरकारी निधियों से सृजित प्रशिक्षण संकाय में प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त अभ्यर्थियों को प्रायोजक न करना

कंपनी ने एपेरल डिज़ाइनिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर (एटीडीसी) के साथ इस लाभार्थी समूह को प्रशिक्षण देने हेतु ₹ 30 लाख के सरकारी अनुदान से प्रशिक्षण अवसंरचना का निर्माण करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए (दिसंबर 2007) जिससे कपड़ा उद्योग में रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। निम्नलिखित कमियां पाई गईः

क) इस अनुदान के नियमों और शर्तों के अनुसार कंपनी को लाभार्थी समूहों (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./विकलांग/सफाई कर्मचारी) से संबंधित 500 व्यक्तियों को प्रतिवर्ष ऐसे प्रशिक्षण के लिए प्रायोजक करना था जबकि कंपनी ने लेखापरीक्षा में शामिल की गई 2012-2017 की अवधि के दौरान 2500 व्यक्तियों के लक्षित समूहों के लक्ष्य के विपरीत मात्र 342 अभ्यर्थी ही प्रायोजक/प्रशिक्षित किए। इस प्रकार सरकार के अनुदानों से प्रशिक्षण केंद्र चलाने का कथित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया। कंपनी ने कहा (जनवरी 2018) कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2015-16 तथा 2016-17 वर्षों के लिए निधियां प्रदान नहीं की। प्रबंधन के उत्तर ने पूर्व के वर्षों में लक्ष्य की गैर-उपलब्धि के लेखापरीक्षा विचार को संबोधित नहीं किया।

ख) समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी को इस केंद्र की स्थापना हेतु कंपनी मुख्यालय में 5875 व.फी. कार्यालय स्थान ₹ एक प्रतिवर्ष के नाममात्र किराए पर प्रदान करना था। समझौता ज्ञापन के नियमों व शर्तों का उल्लंघन करते हुए कंपनी ने एटीडीसी को सक्षम प्राधिकारी से कोई

आधिकारिक समझौता हुए बिना दिसंबर 2007 से नवंबर 2013 के दौरान किराए वसूले बिना 4092 व.फी. का अतिरिक्त स्थान प्रयोग करने की अनुमति दी। इस प्रकार लक्षित समूह के प्रशिक्षण हेतु स्थान उपलब्ध कराने के माध्यम से कंपनी द्वारा प्रदान की गई सुविधा को पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया गया। यद्यपि इस अतिरिक्त स्थान के लिए लो.नि.वि. द्वारा निर्धारित किराया ₹ 9.82 लाख प्रतिवर्ष था जो अप्राधिकृत अवधि के लिए प्राकल्लन करने पर ₹ 58,92,480 है और इसके लिए कंपनी ने वसूली की कोई मांग नहीं की।

2.2.4.4 ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियाँ

लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

(i) **सर्वेक्षण की कमी** - कंपनी ने गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) रह रहे लाभार्थियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया जिससे वित्तीय सहायता की योजना व प्रावधान हेतु आधार प्राप्त हो सके और चरणवार ढंग से संपूर्ण जनसंख्या को शामिल किया जा सके। कंपनी ने गरीबी रेखा के नीचे रह रही लक्षित लाभार्थियों की जनसंख्या के लिए व्यवहार्य व्यवसाय एवं व्यापार की पहचान हेतु कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया। परिणामस्वरूप वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा सके।

(ii) **ऋण प्रदान करने की शर्तों का अनुपालन न होना** - संयुक्त ऋण और परिवहन ऋणों के संवितरण में निम्नलिखित प्रमुख विचलन पाये गयेः

(क) 2012-17 के दौरान संवितरित कुल 501 संयुक्त ऋणों में से लेखापरीक्षा में ऐसे 60 ऋण मामलों की नमूना जांच की गई और यह पाया गया कि लाभार्थियों से कोई आपूर्तिकर्ता बिल प्राप्त नहीं हुआ जैसा कि जारी ऋण को निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग होना प्रमाणित करने के लिए ऋण के नियमों व शर्तों के अंतर्गत अनिवार्य था।

(ख) कंपनी के नागरिक घोषणापत्र के अनुसार सभी ऋणों को संवितरित करने हेतु अधिकतम समयसीमा 52 दिन थी। लेखापरीक्षा में 22 परिवहन और 60 संयुक्त ऋण मामलों की नमूना जांच की गई और यह पता चला कि परिवहन बिलों के संवितरण में 766 से 1055 दिनों तक का विलंब हुआ जबकि संयुक्त ऋण योजना के मामलों में 13 से 393 दिनों तक का विलंब पाया गया। इनमें से 23 मामलों में 100 दिनों से अधिक का विलंब हुआ।

(ग) कंपनी के हित की सुरक्षा हेतु ऋण संवितरण की शर्तों में ऋण से प्राप्त वित्त से निर्मित परिसंपत्तियां के लिए एक बंधपत्र और बंधक परिसंपत्तियों का बीमा किया जाना शामिल था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन परिसंपत्तियों के बंधपत्र (परिवहन ऋण को छोड़कर) पर हस्ताक्षर ऋणों के संवितरण के बाद नहीं हुए थे। परिवहन ऋणों के मामले में लाभार्थियों ने पहले वर्ष हेतु विस्तृत बीमा नीतियाँ प्रस्तुत की थीं परन्तु बाद के वर्षों में ऐसी नीति का नवीकरण करना हालांकि सुनिश्चित नहीं किया गया।

कंपनी ने कहा कि संस्वीकृत पत्र के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन तथा नागरिक घोषणापत्र में निर्धारित समयसीमा की अनुपालना को जारी करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

(iii) दिल्ली स्वरोजगार योजना (डीएसवाई) के अंतर्गत ऋण - यह योजना 2012-13 के दौरान आरंभ की गई जिसे कंपनी द्वारा, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदत्त **₹** 100 करोड़ की कुल समग्र निधि में से प्रथम किश्त के रूप में दिए ₹ 50 करोड़ की समग्र निधि पर प्राप्त ब्याज में से वित्तपोषित किया जाना था। 25 डीएसवाई ऋण मामलों जिनको ₹ 75.20 लाख संवितरित किया गया, की नमूना जांच में निम्नलिखित कमियां देखी गईः

क) कंपनी ने अपने नागरिक घोषणापत्र में परिकल्पित अधिकतम 52 दिनों की अवधि के विपरीत 175 और 938 दिनों के विलंब से ऋण संवितरण किए।

ख) जुलाई 2015 में कंपनी ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें शाखा/योजना प्रभारियों को अनुदेश दिए कि सभी ऋण लाभार्थियों को ₹ दो लाख प्रति की बीमा सुरक्षा नाममात्र प्रीमियम की दर जिसकी कटौती लाभार्थी के बैंक खाते से वार्षिक रूप से की जाएगी, कवर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। जबकि 25 में से 10 लेखापरीक्षित मामलों में ऋण लाभार्थियों को बीमा सुरक्षा प्रदान नहीं की गई।

ग) चूंकि कंपनी ने लेखों के समयपूर्व समापन के कारण हानियां वहन की, सीएमडी ने शाखा प्रभारियों को अनुदेश दिया (फरवरी 2015) कि संबंधित बैंक प्रबंधकों को पत्र जारी किये जायें कि यदि आवेदक/लाभार्थी ने कंपनी को पूरा ऋण वापस नहीं किया है, वे लाभार्थियों के खाते कंपनी को सूचना दिए बगैर बंद न करें।

हालांकि नमूना जांच किए गए मामलों में इन निर्देशों का पालन नहीं हुआ।

कंपनी ने कहा कि 54 लाभार्थियों जिन्होंने अपने बैंक खाते बंद किए, में से 17 लाभार्थियों ने अपने बकाया ऋणों का भुगतान किया था। हालांकि तथ्य यह है कि शाखा प्रभारियों द्वारा सीएमडी के अनुदेशों का पालन नहीं किया गया। कंपनी यह जांच कर सकती थी कि शाखा प्रभारियों ने इन अनुदेशों का पालन और उचित कार्रवाई क्यों नहीं की।

घ) पांच मामलों में, ऋण से सृजित परिसंपत्तियों के बिल लाभार्थियों से प्राप्त नहीं हुए, जिससे सुनिश्चित हो सके कि ऋण/निधियों का उपयोग लाभार्थी ने उसी प्रयोजन से किया, जिसके लिए इसे जारी किया गया।

ङ) समग्र निधि का अलग बैंक खाता भी नहीं रखा गया क्योंकि डीएसवाई को समग्र निधि की ब्याज आय से संचालित करना था और इसे अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था।

(iv) सभी योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रस्ताव निरस्त करने में पारदर्शी प्रक्रिया का अभाव

निरस्त मामलों की सूची और अभिलेखों का उचित प्रकार से रखरखाव नहीं हो रहा था। यद्यपि हम 93 निरस्त मामलों की नमूना जांच कर सके और 2012-17 की अवधि से संबंधित निरस्त ऋण मामलों में निम्नलिखित कमियां पाई गई। कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:-

(क) पांच मामलों में जिन्हें आरंभ में आवेदनों की प्राप्ति के बाद संचालित क्षेत्र सर्वेक्षण रिपोर्ट में ऋण के संवितरण के लिए उपयुक्त पाया गया, उन्हें बाद में उन्हीं पैमानों पर निरस्त किया गया, जिनपर क्षेत्र सर्वे रिपोर्ट में उन्हें उपयुक्त पाया गया।

चार मामलों में, आवेदक को कई बार लंबे अंतराल पर त्रुटि ज्ञापन जारी किए गए जिनमें अलग-अलग कमियां इंगित की गई। ये सभी कमियां एक बार में ही इंगित की जा सकती थीं।

(ख) पांच मामलों में आवेदन आवश्यकताओं की गैर-पालना होने के आधार पर निरस्त किए गए, जिन्हें आवेदक ने पहले ही पूर्ण कर दिया था। आवेदनों को एक ऐसे मामले में इस आधार पर निरस्त किया गया कि आवेदक को प्रस्तावित कार्य का ज्ञान नहीं था

जिसमें आवेदक एक सामान्य प्रकृति का व्यवसाय अर्थात् रेडीमेड कपड़ों की बिक्री आरंभ करना चाहता है।

(ग) तीन मामलों में ऋण आवेदनों को निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक पारिवारिक आय का संदर्भ देकर निरस्त किया गया जो उचित नहीं था क्योंकि एक पिता (एक सरकारी कर्मचारी) की आय को भी एक विवाहित आवेदक की पारिवारिक आय में जोड़ा गया जो स्थापित मानदंड का उल्लंघन था।

(घ) पांच मामलों में आवेदनों को इस आधार पर निरस्त किया गया कि आवेदक ने त्रुटिपूर्ण परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की या उपयुक्त कार्यस्थल नहीं था। कंपनी ने आवेदकों को परियोजना रिपोर्ट का मानक प्रारूप प्रदान नहीं किया जिसके कारण आवेदकों को इन योजनाओं का वांछित लाभ नहीं मिल सका।

कंपनी ने कहा कि ऋण प्रस्तावों जिन्हें यहां तक कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान भी उचित पाया गया के निरस्तीकरण के मुख्य कारण निर्धारित औपचारिकताओं का पूर्ण न होना था जैसाकि योजना में बताया गया अथवा कार्यस्थल पर्याप्त नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने निरस्त मामलों को इंगित किया है जो वस्तुपरक ढंग से प्रक्रियारत नहीं थे।

2.2.5 वसूली निष्पादन

2.2.5.1 निराशाजनक वसूली निष्पादन

कंपनी लाभार्थियों को ऋण प्रदान करती है जिनकी पुनर्भुगतान अवधि शिक्षा ऋण के मामलो को छोड़कर, तीन से पांच वर्षों के बीच होती है। ₹ 50,000 तक के ऋणों के लिए कंपनी द्वारा कोई प्रतिभूति नहीं ली जाती है जबकि ₹ 50,000 से अधिक ऋण के लिए ऋण धनराशि में से क्रय की गई परिसंपत्तियां कंपनी के पक्ष में बंधक बना दी जाती हैं। मूल राशि व ब्याज की लाभार्थियों द्वारा नकद/चेक/आगे की तिथि के चेक द्वारा समान मासिक किश्तों से वसूल होती है। वर्ष 2016-17 के दौरान की गई वसूलियों का विवरण **तालिका 2.2.5** में दिया है।

तालिका 2.2.5: वर्ष 2016-17 के दौरान ऋण वसूली का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

वसूली का मामला	1 अप्रैल 2016 को वसूली योग्य राशि	2016-17 के दौरान वसूल की गई	वसूली की %
1	**2**	**3**	**4 = 3/2x100**
चालू मामले	210.52	198.96	94.51
अतिविलंबित मामले	2,480.98	104.42	4.21
कुल	**2,691.50**	**303.38**	**11.27**

यह पाया गया कि कंपनी अतिविलंबित मामलों में धनराशि को वसूल नहीं कर सकी और 1 अप्रैल 2016 को बकाया ₹ 24.81 करोड़ के विपरीत, 2016-17 के दौरान मात्र ₹ 1.04 करोड़ वसूल किया जा सका। ऋणों की वसूली न होने से कंपनी द्वारा अन्य लक्षित लाभार्थियों को क्रेडिट प्रदान करने की योग्यता बाधित होती है।

कंपनी ने कहा कि बकाया ऋण की वसूली के लिए निदेशक मंडल ने अक्तूबर 2017 में एक समिति के गठन का निर्णय लिया है जोकि 'एक बार निपटान' योजना सहित उत्तम संभव तरीकों का सुझाव दे।

2.2.5.2 3533 ऋण मामलों की फाईलों में बकाया देयों की वसूली न होना

कंपनी ने अपनी स्थापना से मार्च 2017 तक 10,647 लाभार्थियों को ऋण संवितरित किया और 5,455 लेखाओं का निपटान कर दिया गया था तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। इस प्रकार कंपनी के पास 5,192 लाभार्थियों की ऋण फाईलें होनी चाहिए जिसके लिए वसूली प्रक्रिया आरंभ की जानी चाहिए थी। यद्यपि मार्च 2017 तक वसूली विभाग ने मात्र 1,524 लाभार्थियों को नोटिस जारी किया जिसमें वसूली-योग्य धनराशि ₹ 9.19 करोड़ थी और विधिक विभाग ने ₹ 1.75 करोड़ की वसूलीयोग्य राशि के लिए 135 वसूली मुकदमे दायर किए। यह जांच का विषय है कि शेष 3,533 मामलों में जिनका निपटान नहीं हुआ, वसूली की प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ाई गई।

कंपनी ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा कि सक्षम प्राधिकारी ने गुम हुई फाइलों को ढूंढने तथा पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया है। उत्तर दर्शाता है कि ऋण वसूली पर प्रबंधन की निगरानी कमजोर थी जैसाकि उन्हें इस मुद्दे को इंगित करने के लिए लेखापरीक्षा का इंतजार नहीं करना चाहिए था तथा अपने आप स्वयं ही कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए।

2.2.5.3 ऋण किश्तों की वसूली शून्य होने के कारण हानि

89 लाभार्थियों ने जिन्हें 2000 और 2017 के बीच ₹ 62.48 लाख का ऋण संवितरित किया गया था, अब तक एक भी किश्त जमा नहीं की थी। यद्यपि कंपनी ने ऋणों का संवितरण करते समय ऋणकर्ताओं से उत्तर दिनांकित चैक प्राप्त किए थे लेकिन चैक निकासी के समय अस्वीकृत हो गए। उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जिन्होंने इन 89 ऋणों की संस्वीकृति के समय गारंटी दी थी। इसके

अतिरिक्त कंपनी ने न तो कोई वसूली सूचना/अनुस्मारक जारी किये, और न ही ऐसे मामलों को इन देयताओं की वसूली भूमि राजस्व के बकायों के रूप में करने के लिए राजस्व विभाग को सुपुर्द किये, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62.48 लाख की हानि हुई जिसे **तालिका 2.2.6.** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2.6: एक भी किश्त न भरने वाले लाभार्थियों का विवरण

वर्ष	लाभार्थियों की सं.	ऋण की राशि (रूपये में)
2000-01	1	1,36,487
2001-02	10	6,81,232
2002-03	17	11,97,087
2003-04	29	20,79,446
2004-05	9	6,71,705
2005-06	8	5,12,722
2006-07	6	4,00,664
2007-08	2	1,39,804
2009-10	2	41,484
2010-11	2	2,54,330
2015-16	1	80,816
2016-17	2	51,756
कुल	**89**	**62,47,533**

कंपनी ने कहा कि बकाया ऋण की वसूली के लिए निदेशक मंडल ने एक बार निपटान योजना सहित उत्तम संभव तरीकों के सुझाव के लिए एक समिति के गठन का निर्णय लिया (अक्तूबर 2017)।

इसके अतिरिक्त बोर्ड ने जुलाई 2015 में हुई अपनी बैठक में यह संकल्प किया कि उन 66 लाभार्थियों के विरूद्ध पुलिस शिकायत (एफआईआर) दर्ज कराई जाए जिन्होंने कंपनी से ऋण प्राप्त होने के बाद अपने बैंक खाते बंद करा दिए थे।

कंपनी ने कहा कि उसने एफआईआर दर्ज करने के लिए 25 सितंबर 2012 को रोहिणी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को एक पत्र लिखा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न तो एफआईआर दर्ज कराई जा सकी और न ही की गई कार्रवाई की स्थिति को कंपनी ने बोर्ड के समक्ष रखा।

2.2.5.4 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ₹ 8.27 करोड़ की वसूली न होना

निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ उन मामलों से संबंधित हैं जिनमें कंपनी के अधिकारियों ने विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत बकाया ₹ 8.27 करोड़ की वसूली के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की और कंपनी ने भी इस संबंध में

उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध उनकी देयता निर्धारित करने के लिए कार्रवाई नहीं की।

(क) व्यावसायिक यातायात वाहनों के वित्तपोषण हेतु ग्रामीण परिवहन वाहन आरटीवी योजना/हरी भरी योजना के अंतर्गत 63 लाभार्थियों को ऋण दिये गये। कुल 25 लाभार्थियों ने अपने देयों का भुगतान किया और शेष 38 लाभार्थी चूककर्ता बने और ₹ 2.69 करोड़ की बकाया धनराशि को बोर्ड द्वारा ऋणकर्त्ता के अभिवेदन और/अथवा राजनीतिज्ञों की सिफारिशों पर बट्टे खाते में डाला गया (फरवरी 2016)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने स्वतंत्र रूप से निर्धारित नहीं किया कि कैसे और क्या ये ऋणकर्त्ता वास्तव में भुगतान करने की स्थिति में नहीं थे, और कंपनी द्वारा वित्तपोषित वाहनों का क्या हुआ? इसके अतिरिक्त जो लाभार्थी ऋण का भुगतान कर चुके थे, उनका उत्साह कम होगा और इससे अन्य लाभार्थियों को उनके ऋण के पुनर्भुगतान में चूक को प्रोत्साहन मिलेगा। इस बीच कंपनी ने बट्टे खाते में डाली गई धनराशि की पूर्ति करने हेतु रा.रा.क्षे.दि.स. से तीन करोड़ का सहायता अनुदान प्रदान करने का अनुरोध किया और इसपर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है।

कंपनी ने कहा कि लाभार्थियों को दिल्ली के परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमत लाभदायक रूट नहीं दिए गए और इसके परिणामस्वरूप लाभार्थी ऋण का पुनर्भुगतान नहीं कर सके। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दिल्ली परिवहन प्राधिकरण रा.रा.क्षे.दि.स. के अंतर्गत कार्य करता है और अनुमत रूट सौंपे जाने में कमियों को हल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ₹ 2.69 करोड़ को बट्टे खाते में डालने के निर्णय का तात्पर्य है कि ₹ तीन करोड़ के सहायता अनुदान के दावे से गैर-वसूली का प्रभाव अब सरकार को चला जाना था।

(ख) कंपनी ने अ.जा. लाभार्थियों को व्यावसायिक प्रयोजन हेतु डीज़ल चालित डीलक्स बसों और टेपों ट्रैवलर्स हेतु 1997 और 2000 के बीच ऋण संवितरित किये जिनकी पुनर्भुगतान अवधि अदिनांकित चैकों के प्रति पांच वर्ष थी। ये ऋण इस तथ्य के बावजूद संवितरित किए गए कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1986-1998 के दौरान दिल्ली में प्रदूषण कम करने हेतु सीएनजी वाहनों के पक्ष में और 31 मार्च 2001 के बाद डीजल-चालित वाहनों को रोकने हेतु अनेक आदेश पारित किए। कंपनी द्वारा वित्तपोषित इन वाहनों का चलना 31 मार्च 2001 के बाद बंद हो गया और सभी अ.जा. लाभार्थियों ने कंपनी के ऋण का भुगतान रोक दिया। कंपनी की वसूली कार्रवाई पर उच्च न्यायालय की रोक वर्ष 2007 में रद्द हो गई जिससे कंपनी को ऋणों की वसूली हेतु चैक

प्रदान करने की अनुमति मिल गई। यद्यपि कंपनी ने अगले छः वर्षों के दौरान इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की और 2013 में ऋणकर्त्ताओं ने चैक प्रस्तुत किए जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया। यद्यपि कंपनी ने वसूली के लिए चूककर्त्ता ऋणकत्ताओं के विरूद्ध कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की और 2007 में स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद चैक प्रस्तुत न करने हेतु उत्तरदायी कार्मिकों पर जवाबदेही लागू की। इसके फलस्वरूप पिछले 11 वर्षों से ₹ 2.69 करोड़ के ऋण की वसूली नहीं हुई और यह अशोध्य हो गया है।

(ग) 2004 और 2008 के बीच 1991-92 और 1995-96 के बीच ₹ 1.43 करोड़ के 133 ऋण मामलों में पुनर्भुगतान हेतु एक मुकदमा कथित रूप से दायर किया गया। यद्यपि इस कानूनी कार्रवाई के संबंध में कानून अधिकारियों से परामर्श, न्यायालयी कार्रवाई न्यायालय निर्णय, यदि कोई हो, का कोई प्रमाण नहीं था। मार्च 2015 में सात वर्षों के बाद कंपनी के सीएमडी ने इन मामलों को एसडीएम कार्यालय के माध्यम से भूमि राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने के लिए वसूली अनुभाग भेजा और प्राथमिक पूछताछ रिपोर्ट के बाद उत्तरदायी कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। यद्यपि लेखापरीक्षा में किसी अनुपालना कार्रवाई जिसका आदेश सीएमडी द्वारा दिया गया, के लिए फाइल में कोई प्रमाण नहीं मिला।

(घ) कंपनी द्वारा देयों की वसूली हेतु दायर ₹ 1.09 करोड़ के 65 कानूनी मुकदमों में 2006 में कंपनी के पक्ष में आदेश दिया गया। लेकिन वसूली करने के लिए निष्पादन याचिका दायर नहीं की गई। याचिकाएं दायर न करने का कारण यह था कि कंपनी के पास न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध नहीं थीं। आठ वर्षों बाद जनवरी 2014 में ये मामले न्यायालय आदेश की प्रति प्राप्त करने और निष्पादन याचिकाएं दायर करने हेतु तीन वकीलों को सौंपे गए। इसके अतिरिक्त जनवरी 2014 में कार्य सौंपने के बाद याचिकाएं दायर करने के समर्थन में तीन वकीलों से न तो कोई लिखित अभिपुष्टि प्राप्त हुई न ही करीब तीन वर्ष बीत जाने के बाद मामले में कोई प्रगति होने की सूचना प्राप्त हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ का अवरोध हुआ और इसपर मिलने वाले ब्याज की हानि हुई।

(ङ) जुलाई 2016 में 2005-07 के दौरान मंगोलपुरी शाखा में संवितरित 47 ऋण मामलों की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया गया। इन मामलों की संस्वीकृति के समय जीएम ने शंका व्यक्त की कि कुछ योग्यता प्रमाणपत्र फर्ज़ी भी हो सकते हैं। शंका व्यक्त होने के बावजूद ₹ 23.75 लाख का ऋण संवितरित किया गया। आंशिक रूप से वसूली के बाद 31 मार्च 2017 को

₹ 21.76 लाख की धनराशि बकाया थी। जुलाई 2016 में जारी आदेशों के अनुसार कोई पूछताछ आयोजित/संपन्न नहीं की गई।

कंपनी ने उपरोक्त क्रं.सं. (ख) से (ङ) के संबंध में कहा कि अक्तूबर 2017 में निदेशक मंडल ने एक समिति के गठन का निर्णय लिया जिससे 'एक बार निपटान योजना' के जरिए विशेष वसूली अभियान सहित बकाया ऋणों की वसूली हेतु उत्तम संभव सुझाव मिल सकें।

2.2.6 जनशक्ति प्रंबधन

संचालनात्मक पदों में रिक्तियां

बोर्ड द्वारा मार्च 1996 में 155 कार्मिकों की संस्वीकृत संख्या का अनुमोदन किया गया जिसके प्रति 31 मार्च 2017 को विभिन्न पदों में 164 कार्मिक थे। 164 में से 67 नियमित मल्टी टास्क स्टॉफ (एमटीएस) था जिनकी संस्वीकृत संख्या 32 थी जबकि संचालनगत पदों में बड़ी संख्या में रिक्तियां थीं। संस्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में एमटीएस रखने के लिए उत्तरदायी कार्मिकों की जवाबदेही लागू नहीं की गई। कंपनी ने उत्तर दिया कि सभी रिक्त पदों को समाप्त कर दिया गया है तथा वर्तमान में नियुक्त 73 एमटीएस सहित उनकी वर्तमान संस्वीकृत संख्या अब 164 कार्मिक हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच संस्वीकृत पदों के विपरीत केवल दो प्रबंधक तथा 31 संस्वीकृत पदों के विपरीत आठ अवर डिविज़नल क्लर्क थे। क्षेत्र निरीक्षक (आठ), सांख्यिकीय सहायक (तीन) तथा उप प्रबंधन, विधि (एक) के सभी पद रिक्त थे। कंपनी के कुल 164 कार्मिकों में से एमटीएस की संस्वीकृत संख्या 73 तक बढ़ाना सरकारी वित्त निगम के लिए व्यवहार्य संगठनात्मक अवसंरचना नहीं लगती है। रा.रा.क्षे.दि.स. को जांच करनी चाहिए कि क्या 73 एमटीएस की भर्ती वर्तमान नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार की गई तथा संगठन की उचित कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक थी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि 164 कर्मचारियों में से 78 कर्मचारियों को ऋणों के संवितरण के लिए सीधे तौर से उत्तरदायी समझा जा सकता था जिन्होंने पांच वर्षों में 837 ऋण संवितरित किए गए। इस प्रकार औसतन प्रत्येक स्टॉफ ने वर्ष में दो ऋण संवितरित किए। कंपनी को यह जांच करनी चाहिए कि रियायती ऋण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के संपूर्ण विषय में कर्मचारी-ऋण संवितरण अनुपात में कैसे सुधार किया जाए।

2.2.7 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण एक प्रबंधन उपकरण है जो विवेकपूर्ण ढंग से आश्वासन प्राप्त कराता है कि प्रबंधन के लक्ष्य कुशल प्रभावी और व्यवस्थित रूप से

प्राप्त हो रहे हैं। एक आंतरिक नियंत्रण ढांचे में कुशल और प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा विंग और इसके कार्यों के मार्गदर्शन हेतु नियम पुस्तिका व मानक संचालन क्रियाविधियां शामिल हैं। लेखापरीक्षा में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

(क) कंपनी के पास क्रेडिट संवितरण और वसूली प्रचालनों का प्रभावी ढंग से प्रबंध करने के लिए नीति, नियमावली और मानक प्रचालन क्रियाविधियां नहीं थी।

(ख) यद्यपि कंपनी 1983 से लाभार्थियों को वित्तीय सहायता बढ़ाने में लगी है, इसने वर्तमान नियमों और विनियमों से अनुपालन का स्तर मूल्यांकित करने हेतु किसी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का आरंभ नहीं किया है।

(ग) ऋण किश्तों/चूक की धनराशि की वसूली हेतु वसूली अनुभाग के कार्मिकों द्वारा किए गए दौरों के प्रमाण हेतु कोई अभिलेख नहीं था। इस प्रकार यह सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सकता था कि वसूली स्टॉफ अपना कर्तव्य उचित ढंग से निभा रहा है या नहीं।

(ङ) कंपनी, प्राप्तियों तथा जन शिकायतों के निपटान के अभिलेखों का रखरखाव नहीं कर रही है। ये शिकायतें और इनका निपटान कंपनी के एमडी के संज्ञान में नहीं लाया गया।

कंपनी ने कहा कि यह ऋणों के संवितरण में नागरिक घोषणापत्र का पालन करती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वहां आंतरिक लेखापरीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इसकी प्रदत्त पूंजी ₹ 50 करोड़ से कम है। इसके अतिरिक्त कंपनी आवेदकों को उपयुक्त जवाब प्रेषित करती है तथा शिकायतों में आवश्यकता के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसाकि विभिन्न ऋण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कंपनी को मैनुअल, नीतियां तथा मानक संचालन प्रक्रियाएं बनानी थीं। आंतरिक लेखापरीक्षा वर्तमान नियमों तथा विनियमों के साथ अनुपालन के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। शिकायतों के अभिलेख नहीं रखे गए तथा ऐसी शिकायतों को कंपनी के एमडी के संज्ञान में भी कभी नहीं लाया गया।

2.2.8 निष्कर्ष

कंपनी के पास लक्षित समूहों को क्रेडिट प्रदान करने हेतु शीर्ष निगमों से प्राप्त पर्याप्त निधियां थीं, हालांकि यह अपने उत्तरदायित्वों को निष्पादित करने में विफल हो गई। वित्तीय सहायता प्रदान करने में कमियाँ थीं। इसने लक्षित

जनसंख्या का कोई सर्वेक्षण नहीं किया और ऋणों के संवितरण में बहुत अधिक विलंब था। वार्षिक वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी थी। 2012-17 के दौरान सभी शीर्ष निगमों से आहरित कुल निधियां ₹ 37.48 करोड़ थीं, जिसमें से कंपनी इस अवधि के दौरान ₹ 13.13 करोड़ संवितरित कर सकी। ऋण का संवितरण जो 2012-13 में कुल उपलब्ध निधियों का 45.41 *प्रतिशत* था, 2016-17 में कम होकर 12.90 *प्रतिशत* हो गया। कंपनी ने लक्षित समूहों के हितों को नुकसान पहुंचाते हुए रियायती ऋणों के संवितरण हेतु योग्य लाभार्थियों को ढूंढने की आऊटरीच पॉलिसी को अपनाने की बजाए निधियों को बैंकों में व्यर्थ रखा तथा उस पर अर्जित ब्याज को अपने स्थापना व्यय की पूर्ति के लिए उपयोग किया।

लाभार्थियों से वसूली की प्रक्रिया असंतोषजनक थी। वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी द्वारा की गई कुल वसूली मात्र 11 *प्रतिशत* थी और कंपनी के पास पिछले वर्षों की वास्तविक वसूली का कोई डेटा उपलब्ध नहीं था। संवितरण के बाद की निगरानी भी कंपनी में नहीं थी और इस प्रकार, सृजित परिसंपत्तियों का गैर-सत्यापन, ऋण की कम वसूली और प्रभाव अध्ययनों का अभाव था। कंपनी ने लाभार्थियों को ऋण की संस्वीकृति तथा संवितरण पर नियंत्रण रखने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली आरंभ नहीं की है।

2.2.9 सिफारिशें

सरकार को विचार करना चाहिएः

कंपनी की स्थापना 1983 में की गई जब बैंकिग प्रणाली प्रचलित नहीं थी। अब सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो उन बैंकों द्वारा चलाई जाती हैं जिनके पास आवश्यक अवसंरचना है तथा परियोजना मूल्यांकन से वसूली स्तर तक व्यवहार ज्ञान का अधिकार है इसलिए इसे इस क्षेत्र में चलाने के लिए कंपनी की प्राप्य राशियों की समीक्षा की सलाह मुख्यतः तब दी गई जब यह उसे पूरा करने में विफल रहा है।

कंपनी को विचार करना चाहिएः

(क) प्रत्येक लक्षित समूह में संभावित लाभार्थियों का प्रोफाईल बनाने के लिए आऊटरीच गतिविधियां संचालित करना तथा उन व्यवसाय व व्यापारों जिन्हें ऋण दिया जा सकता था की आर्थिक व्यवहार्यता निश्चित करने के लिए उनका डाटाबेस तैयार करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाने के लिए उनके बीच कंपनी की योजनाओं के बारे में जानकारी उत्पन्न करना।

(ख) सुनिश्चित करना कि शीर्ष निगमों द्वारा आंवटित और संस्वीकृत निधियों को पूर्ण रूप से आहरित किया गया है तथा इनका अभीष्ट लाभार्थियों के लाभों के लिए उपयोग किया गया है।

(ग) ऋण वसूली के निष्पादन में सुधार हेतु ऋण वसूली तंत्र तथा संबंधित अभिलेख प्रबंधन को सुदृढ़ करना।

(घ) अभीष्ट लाभार्थियों के उत्कृष्ट हितों में कंपनी के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने के लिए इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा निगरानी तंत्र का सुधार करना।

मामला सरकार को भेजा गया (नवंबर 2017), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

पावर विभाग

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड

2.3 दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान

दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा न्यूनतम वैकल्पिक कर देयता का निर्धारण समय से करने में असफलता के फलस्वरूप अग्रिम कर के गैर-भुगतान के कारण ₹ 60.01 लाख के दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना पड़ा

रा.रा.क्षे.दि.स. ने 20 नवंबर 2001 की अधिसूचना के माध्यम से दिल्ली विद्युत बोर्ड की सभी देयताओं को धारक कंपनी अर्थात् दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल) को हस्तांतरित व उसमें निहित कर दिया, जो अन्य उत्तराधिकारी संस्थाओं जैसे जेनको, ट्रांस्को और डिस्कॉम को आवंटित नहीं की गई थीं। इसके अतिरिक्त, डीपीसीएल को केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) के ₹ 3,376.69 करोड़ (8.5 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष ब्याज सहित) की देयता के निपटान की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया जो कि एनटीपीसी, बीटीपीएस, एनएचपीसी, पीजीसीआईएल और एनपीसीआईएल को देय थे। सीपीएसयू की देयता का निपटान डीपीसीएल रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अनुमोदित अनुदान से करता है।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 115 जेबी यह बताती है कि प्रत्येक करदाता कंपनी के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) देय है यदि किसी वर्ष के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुल आय पर परिकलित आयकर (सरचार्ज व उपकर सहित) बुक प्रॉफिट का 18.50 *प्रतिशत* से कम है। जिस करदाता का कर देय है, उसे अपनी वर्तमान आय की गणना करके स्वयं अग्रिम कर अदा करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 208

यह बताती है कि अग्रिम कर किश्तों में अदा किया जाएगा, जो 15 जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च को देय होगी। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234बी एक *प्रतिशत* प्रति माह या माह के भाग की दर से साधारण ब्याज लगाने का प्रावधान करती है, जहां करदाता अग्रिम कर अदा करने में विफल हो या करदाता द्वारा जमा किया गया अग्रिम कर परिकलित कर के 90 *प्रतिशत* से कम हो। धारा 234सी अग्रिम कर की किश्त (किश्तों) के भुगतान में चूक हेतु ब्याज लगाने का प्रावधान करती है।

वित्त वर्ष 2009-10 हेतु मैट के भुगतान में देरी और इसके बाद धारा 234बी व 234सी के अंतर्गत जुलाई 2014 में दंडात्मक ब्याज के रूप में ₹ 2.02 करोड़ के भुगतान को 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं.1 के पैरा 2.4 में इंगित किया गया। इसलिए डीपीसीएल प्रबंधन से यह आशा थी कि वह सजग हो तथा समान गलती भविष्य में नहीं हो। हालांकि लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि डीपीसीएल को वित्त वर्षों 2015-16 और 2016-17 के लिए क्रमशः ₹ 14.63 करोड़ एवं ₹ 20.76 करोड़ के बुक प्रॉफिट पर मैट देयता परिकलित करने में विफलता के कारण धारा 234बी और 234सी के अंतर्गत ₹ 60.01 लाख दंडात्मक ब्याज (2015-16 के लिए ₹ 37.63 लाख और 2016-17 के लिए ₹ 22.38 लाख) अदा करना पड़ा।

अधिनियम के बार-बार उल्लंघन, जिस पर दंडात्मक ब्याज़ लगाया जाता है, के लिए उत्तरदायी कार्मिकों की जवाबदेही के प्रवर्तन तय करने के बजाय डीपीसीएल प्रबंधन ने फाईलों पर इन उल्लंघनों को यह बताते हुए नियमित कर दिया कि अग्रिम कर की अदायगी में देरी के लिए दंडात्मक ब्याज की धनराशि, राष्ट्रीकृत बैंकों में सावधि जमा के रूप में आरक्षित निधि पर अर्जित ब्याज से अधिकांश रूप से पूर्ण हो गया। प्रबंधन का यह तर्क अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन को उचित सिद्ध करने के लिए न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त, सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज धारा 234बी व 234सी के अधीन अदा किए गए दंडात्मक ब्याज से ₹ 25.41 लाख कम था।

इस प्रकार, डीपीसीएल द्वारा मैट देयता के समय से निर्धारण में असफलता के फलस्वरूप अग्रिम कर की गैर-अदायगी के कारण ₹ 60.01 लाख दंडात्मक ब्याज का भुगतान हुआ जो परिहार्य था।

मामला सरकार को भेजा गया (अक्तूबर 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

दिल्ली ट्रांस्को लि.

2.4 भूमि की खरीद पर निष्फल निवेश

प्रस्तावित उपकेंद्र हेतु भूमि की उपयुक्तता सुनिश्चित किए बिना ₹ 1.34 करोड़ की वार्षिक आवर्ती लागत पर और वर्ष 2022 तक इसकी स्थापना की किसी निश्चित योजना के बिना 2014 में भूमि का क्रय किया गया जिसके फलस्वरूप इस भूमि के लिए जुलाई 2017 तक भुगतान किए गए ₹ 4.08 करोड़ पर, जो अभी तक अवरूद्ध हैं एवं अलाभकारी हो गए है, इसके ऋणों पर दिये जा रहे ब्याज के अनुसार, ₹ 79.92 लाख के राजस्व की हानि हो गई

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मोलार बंद पर 10800 व.मी. की एक साईट पावर विभाग (डीओपी), रा.रा.क्षे.दि.स. को देने का प्रस्ताव दिया (दिसम्बर 2009), जिसपर 66 के.वी.ए. ग्रिड उपकेंद्र की स्थापना कर डीडीए के नए आने वाले 690 लोअर इनकम ग्रुप घरों में बिजली प्रदान की जानी थी। दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड, (डी.टी.एल.) ने (दिसम्बर 2010) इस भूमि को निजी पावर वितरण कंपनी, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) के साथ अपने 220/60 के.वी. ग्रिड उपकेंद्र (डीटीएल द्वारा) और 66/11 के.वी. वितरण उपकेंद्र (बीआरपीएल द्वारा) को स्थापित करने हेतु संयुक्त रूप से प्राप्त करने के लिए सहमति दी। पावर विभाग (डीओपी) ने डीडीए को इसकी सूचना दे दी (मई 2011)।

डीडीए की भूमि नीति के अनुसार जो भूमि डीओपी को आवंटित की जाती है वह इसे पावर संस्थानों को वार्षिक लाइसेंस शुल्क लगाकर 'उपयोग के अधिकार' के आधार पर प्रदान कर सकती है। यद्यपि डीडीए ने केवल 8550 व.मी. तक की ही भूमि आवंटित की (नवंबर 2012) जिसके लिए डीओपी ने डीडीए को ₹ 11.16 करोड़ का भुगतान किया (मार्च 2013)। इसके बाद, डीओपी ने डीटीएल (5133 व.मी) और बीआरपीएल (3417 व.मी) को यह भूमि हस्तांतरित की (दिसम्बर 2014)।

चालू बिजली संबंधी परियोजनाओं की स्थिति के आकलन करते हुए योजना संचालन समिति[23] (पीएससी) को सूचित किया गया (अक्तूबर 2015) कि भूमि का उक्त टुकड़ा 220/66 के.वी. ग्रिड उपकेंद्र (डीटीएल द्वारा) और 66/11 के.वी. वितरण उपकेंद्र की स्थापना हेतु उपयुक्त नहीं था क्योंकि यह

[23] योजना संचालन समिति को दिल्ली बिजली विनियमन आयोग (स्टेट ग्रिड़ कोड) विनियम 2008 के अनुसार गठित किया गया। डीटीएल के महाप्रबंधक (योजना) इस समिति के अध्यक्ष है जिसमें डिस्कॉम के प्रतिनिधि भी है।

त्रिकोणाकार है और आवाजाही में कठिनाई है जिससे इन-फिड और आउटलेट में समस्या होगी। डीटीएल ने अंततः 19 माह के विलंब के बाद अप्रैल 2017 में प्रस्तावित सुविधाओं की स्थापना न करने और यह भूमि डीओपी को लौटाने का निर्णय लिया। इस बीच डीटीएल ने डीओपी को वार्षिक लाइसेंस शुल्क देना जारी रखा। इसने ₹ 4.08 करोड़ (जुलाई 2017 तक) अदा किये जो अलाभकारी हो गए। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गयाः

1. अक्तूबर 2015 में इसी भूमि को अनुपयुक्त पाया जाना और अप्रैल 2017 में प्रस्तावित उप केंद्रों की आवश्यकता न पाये जाने का यह अर्थ है कि डीओपी और डीटीएल ने डीडीए से भूमि अधिग्रहण करने में और पावर भार अनुमान लगाने में पर्याप्त सतर्कता और सावधानी नहीं बरती। डीटीएल ने भूमि अधिग्रहण से पहले उपकेंद्र की स्थापना की व्यवहार्यता का आकलन नहीं किया। वास्तव में 12 दिसंबर 2013 को की गई पीएससी बैठक में उपकेंद्र की स्थापना हेतु 8550 व.मी. भूखण्ड के खाके की उपयुक्तता पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन डीटीएल ने फिर भी डीओपी के निर्देशों के अधीन भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया।

2. डीटीएल ने 23 दिसंबर 2014 को भूमि अधिग्रहण किया और इसलिए इसको वर्ष 2014-15 हेतु सामानुपात आधार पर 99 दिनों (23 दिसंबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक) के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान देय था लेकिन डीओपी के आग्रह के कारण डीटीएल को पूरे 2014-15 वर्ष के वार्षिक शुल्क का भुगतान करना पड़ा जबकि डीओपी ने बीआरपीएल को मात्र 99 दिनों का भुगतान करने की अनुमति दी। इस प्रकार डीटीएल ने ₹ 36.34 लाख के दायित्व के स्थान पर ₹ 1.34 करोड़ का भुगतान किया।

3. पीएससी को यह सूचना (अक्तूबर 2015) देने के बावजूद कि यह भूमि उपकेंद्रों के लिए उपयुक्त नहीं थी, डीओपी आगे की अवधि के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर अड़ा रहा और 2016-17 के वार्षिक शुल्क के भुगतान में विलंब हेतु 1.25 *प्रतिशत* प्रतिमाह की दर से ₹ 6.42 लाख का ब्याज वसूला।

इस प्रक्रिया में डीटीएल को अब भी अवरोधयुक्त भूमि के क्रय हेतु व्यय किए गए ₹ 4.08 करोड़ पर ₹ 79.92 लाख[24] के ब्याज की हानि हुई।

डीटीएल ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2017) कि बदली हुई परिस्थितियों के कारण इसे भूमि की आवश्यकता नहीं है और डीटीएल को आवंटित भूमि का टुकड़ा लाइसेंस उपयोग हेतु बीआरपीएल को सौंप दिया गया है (5 सितम्बर

---

[24] 10.50 *प्रतिशत* की दर से प्राक्कलित, जोकि उक्त अवधि में डीटीएल की ऋण दर है।

2017)। इसके अतिरिक्त जो भुगतान डीटीएल द्वारा डीओपी को भूमि के उसके भाग के लिए किया गया है वह बीआरपीएल के साथ निपटाया जा रहा है। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मान भी लिया जाए कि डीटीएल भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क बीआरपीएल से वसूल करेगी, डीटीएल ने ऐसी कोई चर्चा नहीं की है कि वह 2014-17 के दौरान लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए प्रयोग की गई निधि की लागत भी वसूल करेगी।

इस प्रकार, ₹ 1.34 करोड़ की वार्षिक आवर्ती लागत पर 2014 में एक भूमि प्रस्तावित उपकेंद्र के लिए, बिना इस भूमि की उपयुक्तता सुनिश्चित किए और बिना वर्ष 2022 तक इसकी स्थापना की किसी योजना के खरीदना उचित नहीं था। इसके फलस्वरूप इस भूमि के लिए जुलाई 2017 तक भुगतान किए गए ₹ 4.08 करोड़ पर, जो अभी तक अवरूद्ध हैं एवं अलाभकारी हो गए है, इसके ऋणों पर दिये जा रहे ब्याज के अनुसार, ₹ 79.92 लाख के राजस्व की हानि हो गई।

मामला सरकार को भेजा गया (अगस्त 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

पर्यटन विभाग

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम

2.5 मयूर विहार में दिल्ली हाट के निर्माण पर ₹ 39.66 लाख का निष्फल व्यय

सर्वोच्च न्यायालय तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्देशों के अतिलंघन में तथा डीडीए द्वारा अक्तूबर 2013 में भूमि उपयोग के बदलाव को अस्वीकृत करने और यूटीटीआईपीईसी द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद मयूर विहार में दिल्ली हाट के निर्माण को प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप ₹ 39.66 लाख का निष्फल व्यय हुआ

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए (मई 2006)[25] कि विकास के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले पर्यावरण पर विकास के परिणाम तथा प्रतिकूल प्रभाव को समुचित रूप से समझना चाहिए तथा विकास के लिए ऐसी भूमि का अधिग्रहण करना चाहिए जो पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण को भारी क्षति न पहुँचाए। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के यूनीफाईड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग) सैंटर (यूटीटीआईपीईसी) की शासकीय निकाय ने किसी भी एजेंसी द्वारा दिल्ली में नालियों के ढकने

[25] कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास मंडल बनाम सी.केनचप्पा व अन्य {अपील (सिविल) 2000 का 7405} के मामले में

पर प्रतिबंध लगाया (फरवरी 2010)[26]। लेखापरीक्षा में यह पाया गया है (मार्च 2017) कि संसद के एक सदस्य के सुझाव पर दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) ने मयूर विहार में शाहदरा लिंक ड्रेन के एक हिस्से को कवर करते हुए दिल्ली हाट के निर्माण के प्रस्ताव को प्रारंभ किया (मई 2012) तथा डीडीए को भूमि उपयोग[27] के बदलाव हेतु आवेदन किया (अक्तूबर 2012)। रा.रा.क्षे.दि.स. के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएफसीडी) ने डीटीटीडीसी को मयूर विहार में शाहदरा लिंक ड्रेन की 27,000 वर्ग मीटर (व.मी.) भूमि को 99 वर्षों के लिए पट्टा आधार पर हस्तातंरित किया। लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ निम्नवत हैः

1. डीटीटीडीसी ने भूमि उपयोग के बदलाव के लिए अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना संरचनात्मक डिजाइन, संरचनात्मक डिजाइन की प्रमाणिक जाँच तथा वास्तुगत परामर्श के लिए तीन सलाहकारों को क्रमशः जून, अगस्त तथा सितंबर 2013 में नियुक्त किया। भूमि उपयोग के बदलाव हेतु निवेदन हालांकि डीडीए के जाँच एवं सुनवाई मंडल ने 24 अक्तूबर 2013 को अस्वीकार कर दिया। कंपनी ने हालांकि परामर्श समझौतों को रद्द नहीं किया तथा मई 2015 तक उनकी सेवाएं लेना जारी रखा।

2. डीडीए द्वारा प्रारंभ की गई भूमि उपयोग के बदलाव की कार्यवाहियों पर रोक के लिए 2013 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में किये गये आवेदन[28] पर अंततः निर्णय जनवरी 2015 में आया जिसने दिल्ली में किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी नाली के निर्माण और/अथवा कवरेज को निषेध कर दिया। कंपनी ने अप्रैल/मई 2015 में परामर्श समझौतों को रद्द कर दिया। इस समय तक कंपनी ने परियोजना पर पहले ही ₹ 39.66 लाख का व्यय कर दिया था जो निष्फल हो गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2017) कि परियोजना की पूर्वयोजित गतिविधियों को प्रारंभ करने में कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। मयूर विहार में दिल्ली हाट के निर्माण के लिए शाहदरा लिंक ड्रेन के कथित हिस्से की कवरिंग हेतु भूमि के हस्तांतरण का अनुमोदन दिल्ली के उप-राज्यपाल (एलजी) द्वारा प्रदान किया गया था। परियोजना की पूर्व-योजित गतिविधियों की समीक्षा दिल्ली के मुख्य मंत्री तथा मुख्य सचिव द्वारा कई बार की गई थी। भूमि उपयोग के बदलाव की अनुमति पर डीडीए की तकनीकी समिति की बैठक में विचार किया गया (अप्रैल 2013)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह प्रस्ताव

---

[26] यूटीटीआईपीईसी के शासकीय निकाय की 21 वीं बैठक का कार्यवृत्त

[27] प्रस्तावित स्थल क्योंकि एक खुली नाली पर था, भूमि उपयोग का बदलाव आवश्यक था।

[28] श्री मनोज कुमार मिश्रा द्वारा फाईल की गई 2013 की सं. 300 तथा 2013 की एम.ए.सं. 877

आरम्भ से ही गलत था तथा भूमि उपयोग में बदलाव को अक्तूबर 2013 में डीडीए द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और इसे निम्नलिखित तथ्य की रोशनी में देखा जाना चाहिए कि भूमि के हस्तांतरण हेतु एलजी के अनुमोदन पत्र में कहा गया था कि डीटीटीडीसी को स्वयं ही डीडीए के साथ भूमि उपयोग के बदलाव के मामले को उठाना चाहिए तथा भूमि पर अस्थायी ढ़ांचे को बनाने से पहले सभी नियामक एजेंसियों की पूर्व संस्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। अतः डीटीटीडीसी को डीडीए से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना सलाहकारों की नियुक्ति करके स्वयं को वित्तीय रूप से वचनबद्ध नहीं करना चाहिए था।

सरकार ने इस प्रकार यूटीटीआईपीईसी के फरवरी 2010 के किसी भी एजेंसी द्वारा नालियों को न ढ़कने के निर्णय एवं सर्वोच्य न्यायालय और सक्षम निकायों की घोषणाओं के उल्लंघन में, एक संसद सदस्य के सुझाव के आधार पर कंपनी को परियोजना शुरू करने का आदेश देकर गलत किया एवं ₹ 39.66 लाख का निष्फल व्यय किया जबकि उनको पहले सभी मंजूरी प्राप्त कर लेनी चाहिए थीं।

मामला सरकार को जून 2017 में भेजा गया तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

2.6 ब्याज की हानि

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम ने ग्राहक विभाग से डिपोज़िट की पूर्व प्राप्तियों को सुनिश्चित किए बिना डिपोज़िट कार्य पर व्यय करने के कारण ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज की हानि को वहन किया

रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व विभाग ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) मैनुअल/सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2005 के अनुसार सभी सांहितिक औपचारिकताओं तथा संबंधित अनुदेशों के अनुपालन के अध्याधीन डीटीटीडीसी को डिपोज़िट कार्य आधार पर ई-उप- रजिस्ट्रार कार्यालय (आरओ) बसई दारापुर, दिल्ली का निर्माण तथा उन्नयन का कार्य सौंपा (अगस्त 2011)।

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल की धारा 3.4(1) व (6) बताता है कि जब कभी डिपोज़िट कार्य किया जाना हो, कार्य पर किसी देयता को उठाने से पहले डिपोज़िट वसूल किया जाना चाहिए तथा कभी भी ग्राहक विभाग से अपने कार्य हेतु प्राप्त डिपोज़िट्स को अन्य कार्यों में विपथित नहीं किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 15.09 करोड़ की कुल निर्माण लागत में से केवल ₹ 1.95 करोड़ की वसूली ठेके की समाप्ति से पहले की गई। डीटीटीडीसी ने कार्य की समाप्ति के पश्चात, जुलाई 2013 से जनवरी 2017 के दौरान, दो से 44 महीनों के बीच के विलंब से ₹ 12.79 करोड़ (कुल लागत का 85 *प्रतिशत*) प्राप्त किए और ₹ 34.74 लाख जुलाई 2017 तक अप्राप्य रहे।

इसके अतिरिक्त, डीटीटीडीसी डिपोज़िट कार्यों की कुल लागत पर पाँच *प्रतिशत* विभागीय प्रभार तथा एक से तीन *प्रतिशत* परामर्श शुल्क लगाता है। इस कार्य में डीटीटीडीसी ने परामर्श शुल्क नहीं लगाया तथा विभागीय प्रभारों से इसका राजस्व ₹ 71.88 लाख था। व्यय करने से पहले आवश्यक डिपोज़िट की गैर-प्राप्ति में निहित था कि डीटीटीडीसी ने कार्यों के निष्पादन के लिए अपनी स्वयं की निधियों का उपयोग किया था। डीटीटीडीसी बैंको में जमा अपनी अतिरेक निधियों से औसत ब्याज लगभग 6.5 *प्रतिशत* अर्जित करता है तथा डिपोज़िट्स की पूर्व प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना डिपोज़िट कार्यों पर व्यय करने का तात्पर्य है कि डीटीटीडीसी ने ₹ 1.18 करोड़ की ब्याज आय का परित्याग किया। इस प्रकार डीटीटीडीसी को इस कार्य को करने में निवल हानि थी।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2017) कि कार्य रा.रा.क्षे.दि.स. के आदेशों पर किया गया था। उसने आगे यह कहा कि बसई दारापुर परियोजना के लिए प्रयुक्त निधियाँ समान शीर्ष में से थी अर्थात अन्य ई-उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों के प्रति राजस्व विभाग डिपोज़िट्स की थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन था तथा डीटीटीडीसी ने इस कार्य के निष्पादन के दौरान अपनी स्वयं की निधियों का उपयोग किया।

इस प्रकार, डीटीटीडीसी ने ग्राहक विभाग से डिपोज़िटस की पूर्व प्राप्ति को सुनिश्चित किए बिना डिपोज़िट कार्य पर व्यय करने के कारण ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज की हानि को वहन किया।

2.7 व्यर्थ व्यय

डीटीटीडीसी की ओर से यथोचित कर्मठता तथा योजना की अपर्याप्तता के परिणामस्वरूप भूमि को कथित उपयोग हेतु विकसित करने में 12 वर्ष का परिहार्य विलंब तथा ₹ 23.19 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, भूमि में निवेश की व्यर्थता होने का अभिप्राय है कि डीटीटीडीसी को ₹ 1.79 करोड़ की अवरुद्ध निधियों पर ₹ 1.27 करोड़ की ब्याज की हानि के साथ कोई अनुकूल राजस्व उत्पत्ति नहीं हुई

डीटीटीडीसी ने निदेशक कार्यालय (पंचायत), रा.रा.क्षे.दि.स. से ₹ 1.38 करोड़ के वन-टाईम प्रीमियम तथा ₹ 3.44 लाख प्रतिवर्ष के भूमि किराये की लागत पर 99 वर्ष के पट्टे पर 5.22 एकड़ भूमि को सैदु-उल-अजब गांव, नई दिल्ली में विद्यमान अपने 20 एकड़ गार्डन, 'गार्डन ऑफ फाइव सेंसिस' के विस्तार के लिए प्राप्त किया (अप्रैल 2005)।

डीटीटीडीसी ने पहले पांच वर्षों के दौरान (2005-2010) भूमि के विकास हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इसने वैलनेस सेंटर एंड रिक्रिएशन क्लब (डब्ल्यूसीआरसी) की स्थापना का निर्णय (2010-12) बिना इस जांच के लिया कि क्या विद्यमान गार्डन के विस्तार के लिए आवंटित भूमि पर डब्ल्यूसीआरसी का निर्माण डीडीए द्वारा फरवरी 2007 में अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान (डीएमपी)- 2021 के अंतर्गत अनुमत था। डीटीटीडीसी ने 'सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) पद्धति पर डब्ल्यूसीआरसी के 'निर्माण, संचालन, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा स्थानांतरण' के लिए परियोजना विकास सलाहकार (पीडीए) को नियुक्त किया (अक्तूबर 2012)।

पीडीए ने हालांकि डीटीटीडीसी को अपना व्यवहार्यता अध्ययन तथा व्यापार योजना प्रस्तुत करते समय (फरवरी 2013) संदेह जताया कि क्या डब्ल्यूसीआरसी का निर्माण डीएमपी -2021 के अंतर्गत अनुज्ञेय होगा। परन्तु इस स्तर पर भी डीटीटीडीसी ने इस बारे में डीडीए से कोई जांच नहीं की तथा पीडीए को पीपीपी साझेदार की नियुक्ति हेतु निविदा प्रक्रिया करने के लिए आदेश दिया।

पूर्व-निविदा बैठक (जनवरी 2014) में निविदाकारों के डीटीटीडीसी को यह बताने पर, कि डब्ल्यूसीआरसी के निर्माण के लिए भूमि उपयोग में बदलाव आवश्यक होगा एवं इसको स्पष्ट करने के आवेदन के बाद, डीटीटीडीसी ने डीडीए से स्पष्टीकरण मांगा (फरवरी 2014)। डीडीए ने स्पष्ट किया (अप्रैल 2014) कि डब्ल्यूसीआरसी का निर्माण डीएमपी-2021 के अंतर्गत अनुमत नहीं है तथा भूमि उपयोग के बदलाव के लिए रिज प्रबंधन बोर्ड तथा भारतीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केन्द्रीय सशक्त समिति से अनापत्ति प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा। डीटीटीडीसी ने भूमि उपयोग के बदलाव की अनुमति नहीं मांगी तथा पीडीए के साथ अनुबंध को रोक दिया (अक्तूबर 2015) तथा डब्ल्यूसीआरसी के निर्माण का प्रस्ताव भी छोड़ दिया (जून 2016)। इस प्रकार, पीडीए को परामर्श के लिए प्रदत्त ₹ 15.19 लाख तथा निविदा विज्ञापन के लिए ₹ 8 लाख व्यर्थ व्यय हो गया। इसके अतिरिक्त डीटीटीडीसी ने ₹ 1.79 करोड़[29] की अवरुद्ध निधियों पर ₹ 1.27 करोड़[30] (जुलाई 2017 तक) की ब्याज की हानि को वहन किया जिस पर कोई अनुकूल राजस्व अर्जन व्यापार योजना में परिकल्पित नहीं था।

प्रबंधन ने कहा (मई 2017) कि सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है तथा भूमि को अब सांकेतिक संरचना के साथ बड़े समारोह करने के लिए विकसित किया जाएगा तथा उसके लिए इसने 2016-17 में ₹ 36.59 लाख की योजना निधियाँ प्राप्त की हैं। भूमि के चारों ओर चारदीवारी पहले ही बना दी गई है तथा इसको विकसित करने हेतु एक वास्तुशिल्प सलाहकार नियुक्त किया गया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीटीटीडीसी ने पहले पाँच वर्षों के दौरान (2005-2010) भूमि के विकास हेतु कोई कार्रवाई नहीं की, तथा इसका तदंतर विलम्ब तथा व्यर्थ व्यय परिहार्य था यदि वे डब्ल्यूसीआरसी परियोजना को आरंभ करने से पहले भूमि उपयोग की अनुज्ञेयता की जाँच कर लेते।

इस प्रकार, डीटीटीडीसी की ओर से यथोचित कर्मठता तथा योजना की अपर्याप्तता के परिणामस्वरूप भूमि को कथित उपयोग हेतु विकसित करने में 12 वर्ष का परिहार्य विलंब तथा ₹ 23.19 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, भूमि में निवेश की व्यर्थता होने का अभिप्राय है डीटीटीडीसी को ₹ 1.79 करोड़ की अवरूद्ध निधियों पर ₹ 1.27 करोड़ (जुलाई 2017 तक) की ब्याज की हानि को वहन करना पड़ा जिस पर कोई अनुकूल राजस्व अर्जन व्यापार योजना में परिकल्पित नहीं था।

मामला सरकार को भेजा गया (अगस्त 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

[29] उस ब्याज की दर पर गणना की गई जो डीटीटीडीसी 2005-06 से 2016-17 की अवधि के दौरान 6.25 से 8 *प्रतिशत* के बीच में अपने अतिरिक्त निवेश पर अर्जित कर रहा था।

[30] ₹1.38 करोड़ की भूमि लागत तथा 12 वर्ष के लिए ₹ 0.41 करोड़ का भूमि किराया।

परिवहन विभाग

दिल्ली परिवहन निगम

2.8 वार्षिक अनुरक्षण ठेकेदार से नुकसान की गैर-वसूली

ठेका प्रबंधन में कमी एवं प्रबंधन द्वारा देरी से की गई कार्रवाई के कारण डीटीसी टाटा मोटर्स लिमिटेड से 17 बसों के घाटे जिनका घटा हुआ मूल्य ₹ 5.86 करोड़ था, के जलने से हुए घाटे को वसूल नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, 17 बसों की अनुपलब्धता के कारण डीटीसी को अंशदान का वार्षिक नुकसान ₹ 1.13 करोड़ तथा जून 2017 तक कुल ₹ 2.82 करोड़ का नुकसान हुआ। 2682 बसों के लिए बीमा नहीं कराने का मतलब है टाटा मोटर्स लिमिटेड को बीमा की लागत के बराबर का अनुचित लाभ देना

मै. टाटा मोटर्स लिमिटेड (टीएमएल) और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बीच हस्ताक्षरित एक ठेका (अक्तूबर 2008) के तहत टीएमएल ने 2007-11 के दौरान पूरी तरह से निर्मित निम्न तल वाली 2682 बसों की आपूर्ति हेतु 92 *प्रतिशत* बसों की सम्पूर्ण समय संचालन हेतु उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए वारंटी अवधि से परे 7,50,000 किमी तक वार्षिक अनुरक्षण के उत्तरदायित्व के साथ किया। प्रचलन के अनुसार डीटीसी अपने बेड़े के लिए केवल तीसरे पक्ष का बीमा कवर लेता है जो किसी तीसरे पक्ष के नुकसान को कवर करने के लिए सार्वजनिक स्थानों में अपने बेड़े के उपयोग से उत्पन्न होने वाले जोखिम/देयता को कम करता है लेकिन मोटर वाहन को हुए नुकसान को कवर नहीं करता। जबकि मोटरवाहन के नुकसान से रक्षा के लिए जब बसें अनुरक्षण के लिए डिपो में अनुरक्षण ठेकेदार की अभिरक्षा में रहती है, टीएमएल के साथ किए वार्षिक अनुरक्षण ठेके (एएमसी) के खंड 46.20 के अनुसार कि टीएमएल अपनी अभिरक्षा में रखी बसों के अनुरक्षण के लिए समुचित बीमा कवर लेगा, जिसमें एएमसी के दौरान अनुरक्षण के लिए डिपो में खड़ी बसें शामिल होंगी जो बसों को हुए नुकसान (आग सहित) के कारण डीटीसी को किसी नुकसान से बचा सके।

इन बसों में से ₹ 10.34 करोड़ के कीमत की सत्रह बसें 1 जनवरी 2015 को डीटीसी के अम्बेडकर नगर डिपो में लगी आग में जल गई। दिल्ली सरकार द्वारा गठित (जनवरी 2015) एक उच्चस्तरीय समिति[31] (एचपीसी) ने निष्कर्ष निकाला (जुलाई 2015) कि आग की वजह कोई बदनीयत नहीं थी तथा आग

[31] इसकी अध्यक्षता उपायुक्त (दक्षिण) द्वारा की गई और समिति के दो अन्य सदस्य थे संयुक्त आयुक्त (परिवहन) एवं उप मुख्य महाप्रबंधक (यांत्रिक) दि.प.नि.।

लगने की सटीक वजह का पता नहीं चला। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैः

1. एएमसी के तहत बसों का अनुरक्षण/देख-रेख डीटीसी डिपो में होना था तथा टीएमएल की एएमसी सुविधाएं डीटीसी डिपो में उस स्थान पर सह-स्थित होनी थी जो डीटीसी द्वारा टीएमएल के कार्य फोर्स, स्पेयर्स, प्लांट, मशीनरी, टूल्स इत्यादि के लिए उपलब्ध कराया गया था। टीएमएल कर्मियों को दैनिक/नियमित रूप से[32] प्रत्येक बस के निर्धारित प्रस्थान से पहले डिपो में बसों की जांच तथा निवारक अनुरक्षण करना था। एएमसी के इन प्रावधानों का सामूहिक अर्थ है कि डिपो के भीतर बसें टीएमएल के प्रभावकारी अभिरक्षण में रहेंगी जब तक कि बसें संचालन हेतु तैयार स्थिति में डिपो से निकल न जाए। एचपीसी के प्रतिवेदन की जांच के लिए डीटीसी द्वारा गठित (अप्रैल 2016) समिति ने भी निष्कर्ष निकाला (मई 2016) कि जब आग लगी तब बसें टीएमएल के अभिरक्षण में थी।

2. लेखापरीक्षा में पाया गया कि एएमसी के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी डीटीसी के प्राधिकारी ने सुनिश्चित नहीं किया कि टीएमएल ने 2682 निम्न तल बसों में से किसी का भी टीएमएल के साथ अनुरक्षण ठेका के दौरान आवश्यक बीमा कवर लिया था। इस घटना के बाद भी टीएमएल ने बीमा कवर नहीं लिया है, जिससे डीटीसी ऐसी घटनाओं में होने वाली नुकसान को सहन करने वाला बन गया है, और डीटीसी द्वारा इस संबंध में कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, बसों के लिए बीमा कवर की लागत जो टीएमएल ने एएमसी का मूल्य उद्धरण करते समय घटक रखी होगी और 2682 बसों के लिए बीमा कवर लेने को सुनिश्चित न करके डीटीसी ने टीएमएल को बीमा कवर के कीमत जिसे टीएमएल ने बचाया होगा, के बराबर अनुचित लाभ दिया।

3. इस मामले में प्रशासनिक विलम्ब था तथा डीटीसी के तरफ से इस पर ध्यान देने में निष्क्रियता थी। एचपीसी का प्रतिवेदन जुलाई 2015 में उपलब्ध था परन्तु डीटीसी ने आगे की कार्रवाई करने के लिए अप्रैल 2016 तक दिल्ली सरकार से प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त करने में नौ

[32] डीटीसी के इस्तेमाल के लिए टीएमएल द्वारा सुबह की पाली के लिए (पैराग्राफ 46.5 को पैराग्राफ 46.24 के साथ पढ़ा जाए)। बस उपलब्ध कराने का अधिकतम समय था सुबह 8.00 बजे। डीटीसी को डिपो के सभी बसों की भौतिक स्थिति, फिटिंग इत्यादि का निरीक्षण करना था तथा टीएमएल को किसी भी चूक या गुम वस्तुओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना था (पैराग्राफ 46.30)। डीटीसी डीपो में बसों को केवल टीएमएल कर्मियों द्वारा ही संचालित/नियंत्रित किया जाना था (पैराग्राफ 46.32)।

महीने लगा दिए। यद्यपि, डीटीसी एएमसी के पैराग्राफ 46.20 के अधीन टीएमएल को डिपो में बसों का संरक्षक मानता है और जली हुई बसों के मरम्मत करने के लिए वही जिम्मेदार था, यह बसों के गैर-मरम्मत के लिए टीएमएल के विरूद्ध एएमसी के खंड 46.7 (i)[33] के अनुसार कार्रवाई करने में असफल रहा, इसके बजाय यह टीएमसी से जली हुई बसों के मरम्मत के लिए आग्रह[34] करता रहा। फलस्वरूप, आग लगने की घटना से ढ़ाई वर्ष (जनवरी 2015 से जून 2017) के अन्तराल के बाद भी टीएमएल से जली हुई बसों की मरम्मत नहीं करवाई जा सकी ।

4. टीएमएल ने डिप्टी कमिशनर (दक्षिण) की अध्यक्षता वाली एच पी सी के प्रतिवेदन के अभाव में मरम्मत करने या नुकसान की पूर्ति करने से इन्कार कर दिया। लेखापरीक्षा ने देखा कि टीएमएल के लगातार मांग करने के बावजूद डीटीसी ने अक्तूबर 2017 में जांच प्रतिवेदन की प्रति टीएमएल को भेजी।

प्रबंधन ने कहा (जून 2017) कि उसने टीएमएल को बीमा पॉलिसी का विवरण जो उनके द्वारा लिया गया है प्रस्तुत करने के लिए पत्र भेजा है परन्तु उनका उत्तर प्रतीक्षित है। क्षति के कारण किसी भी हानि को टीएमएल द्वारा वहन किया जाएगा। आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि डीटीसी ने आग लगने की घटना के बाद बीमा कवर के अस्तित्व के बारे में पूछा, जिसे वे अपने हित की रक्षा के लिए अक्तूबर 2008 में ठेका पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद सुनिश्चित कर सकते थे। डीटीसी अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के दौरान अर्थात् आग की घटना के बाद टीएमएल को किए गए ₹ 346.26 करोड़ के एएमसी भुगतान में से भी अपनी हानि की वसूली करने में विफल रहा और जली हुई सभी 17 बसें ढ़ाई से अधिक वर्षों तक बेमरम्मत पड़ी रही।

ठेका प्रबंधन में अपर्याप्तता के कारण एवं देरी से की गई कार्रवाई जिसके लिए डीटीसी प्रबंधन उत्तरदायी था, डीटीसी टीएमएल से 17 बसों, जिनका घटा हुआ मूल्य ₹ 5.86 करोड़ था, के जलने से हुए घाटे को वसूल नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, 17 बसों की अनुपलब्धता के कारण डीटीसी को

[33] खंड 46.7 (i) - त्रुटि/यांत्रिक विफलता/बस की आग के कारणों से दुर्घटनाओं की वजह से मरम्मत करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। दुर्घटना का कारण जैसे त्रुटि/यांत्रिकी विफलता या अन्य के संबंध में खरीददार का निर्णय अंतिम होगा।

[34] 25 मई, 5 अगस्त, 11 सितम्बर, 16 सितम्बर 2015, 29 जनवरी, 29 फरवरी, 27 दिसम्बर 2016

अंशदान[35] का वार्षिक नुकसान ₹ 1.13 करोड़[36] तथा जून 2017 तक कुल ₹ 2.82 करोड़ का नुकसान हुआ। 2682 बसों के लिए बीमा नहीं कराने का मतलब है टाटा मोटर्स लिमिटेड को बीमा की लागत के बराबर का अनुचित लाभ देना।

मामला सरकार को भेजा गया (जुलाई 2017), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018) ।

2.9 बिजली प्रभार का परिहार्य भुगतान

कार्यकारी एजेंसी अपर्याप्त नियोजन से जुड़े द्वारका-VIII बस डिपो के विकास हेतु सौंपे गए डिपोजिट वर्क की प्रगति की निगरानी करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 50.72 लाख के बिजली प्रभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

परिवहन विभाग (प.वि.), रा.रा.क्षे.दि.स. ने जुलाई 2007 में राष्ट्रमण्डल खेल (सीडब्ल्यूजी) - 2010 के दौरान बसों की पार्किंग हेतु डीटीसी के लिए कुल ₹ 6.73 करोड़ में बस डिपो के निर्माण की स्वीकृति दी जिसे बाद में संशोधित कर ₹ 9.31 करोड़ कर दिया गया। डीटीसी ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को अगस्त 2007 में डिपोजिट वर्क के तौर पर काम सौंपा। कार्य में लोक निर्माण तथा बस डिपो में बिजली के सब स्टेशन (इएसएस) को 18 महीनों के भीतर स्थापित करना शामिल है।

पीडब्ल्यूडी ने अक्तूबर 2009 में डिपो के सिविल निर्माण कार्य पूरा किया। इएसएस का कार्य बाद में (अक्तूबर 2009) पीडब्ल्यूडी द्वारा सौंपा गया जो जुलाई 2017 तक पूरा नहीं हुआ। चूँकि इएसएस का कार्यान्वयन समय से पूरा नहीं हो सका, डीटीसी को डिपो के लिए इसे समय पर परिचालन करने हेतु जुलाई 2009 में अस्थायी बिजली कनेक्शन सीडब्ल्यूजी कार्यक्रम के लिए लेना पड़ा। आगे, डीटीसी जुलाई 2017 तक अस्थायी कनेक्शन पर डिपो का संचालन करता रहा था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 50.72 लाख (93 महीनों के लिए) के बिजली प्रभार का अतिरिक्त भुगतान हुआ क्योंकि बिजली वितरण कंपनियों ने सामान्य टैरिफ दर से बढ़कर अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए

---

[35] राजस्व प्रति किलोमीटर कम परिवर्तनीय लागत प्रति किलोमीटर

[36] बसों की संख्या: 17 x औसतन 188 कि.मी. प्रति बस प्रति दिन x ₹ 9.675 का अंशदान प्रति कि.मी. एसी लो फ्लोर बसों के लिए x दिन 01.01.2015 से 30.06.2017 तक जो कि ₹ 1.13 करोड़ सालाना और ₹ 2.82 करोड़ ढ़ाई वर्षों के लिए। (अंशदान स्त्रोत - 2015-16 (वास्तविक) और 2016-17 (अनंतिम) के लिए डीटीसी के भौतिक और वित्तीय परिणाम)।

30 *प्रतिशत* अतिरिक्त शुल्क लगाया। द्वारका-VIII बस डिपो में अस्थायी बिजली कनेक्शन का उपयोग प्रतिमाह ₹ एक लाख की परिहार्य आवर्ती लागत से जारी रहा।

डीटीसी द्वारा किए गए ₹ 50.72 लाख का कुल अतिरिक्त व्यय निम्नलिखित कारणों से परिहार्य था।

1) डीटीसी ने लोक निर्माण चरण के दौरान ऐसे महत्वपूर्ण कार्य की प्रगति की निगरानी नहीं की और नतीजतन वे इस तथ्य से चूक गए कि कार्यकारी एजेंसी बस डिपो के समय से अर्थात् डिपोजिट कार्य के सौंपे जाने की तिथि से 18 महीने में पूर्ण करने को सुनिश्चित करने के लिए अनुबंधित किए गए सिविल और इलेक्ट्रीकल कार्य को सिंक्रनाइज नहीं किया।

2) डीटीसी ने इएसएस के लिए कार्य की व्यापकता का निर्धारण करते समय अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली वितरण कंपनी को शामिल नहीं किया। इएसएस सुविधा के निर्माण के दौरान बिजली आपूर्ति विनिर्देशों और मानकों के अनुसार संशोधन किया जाना था। जिससे इसकी तत्परता में आगे देरी हुई।

   सरकार ने कहा (दिसम्बर 2017) कि डीटीसी ने इएसएस का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए मामले का कार्यकारी एजेन्सी के साथ नियमित रूप से अनुसरण किया। तथापि, पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार से उनके विवाद के कारण इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बिल्डिंग में अभी तक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन उपकरण नहीं लगाया है तथा द्वारका-VIII अभी तक अस्थायी कनेक्शन से चल रहा है। अस्थायी बिजली कनेक्शन के कारण डिस्कॉम को चुकाई गयी अतिरिक्त रकम की गणना की गई है जो द्वारका डिपो- VIII के लिए ₹ 48.84 लाख (मई 2017) है। एजेंसियों की ओर से देरी होने के कारण डीटीसी हानि नही उठाएगा और इसने पीडब्ल्यूडी से वसूली शुरू कर दिया है। जवाब मान्य नहीं है और इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि वे जनवरी 2009 तक काम की प्रगति का पता लगाने में विफल रहे जब उनको एहसास हुआ कि इएसएस कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। डीटीसी ने डिपोजिट वर्क अनुबंधित करने के लिए कोई औपचारिक समझौता नहीं किया था जिसके तहत वे क्षतिपूर्ति या कार्यकारी एजेंसी की ओर से देरी होने के कारण डीटीसी द्वारा उठाए गए बिजली प्रभार के अतिरिक्त बोझ की वसूली कर सके।

इस तरह, द्वारका - VIII बस डिपो के विकास हेतु कार्यकारी एजेंसी को सौंपे गए डिपोजिट कार्य की निगरानी में विफलता के साथ-साथ अपर्याप्त योजना के परिणामस्वरूप ₹ 50.72 लाख के बिजली प्रभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

पावर विभाग

2.10 दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा

2.10.1 प्रस्तावना

2.10.1.1 दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के संचालन की मितव्यता, दक्षता एवं प्रभावकारिता का आकलन करने हेतु संगठन के क्रियाकलापों को शामिल करते हुए 2007-08 से 2011-12 की अवधि में निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी तथा इसे मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किया गया- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (वर्ष 2013 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.1)। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल में 2 अप्रैल 2013 को प्रस्तुत किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा ने अवलोकन कियाः

- अपूर्ण योजना एवं परियोजना प्रबंधन के कारण वृहद परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी;
- क्रियाकलापों के सिंक्रनाइजेशन की कमी;
- क्षमता अनुवृद्धि के लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति;
- निर्णय लेने में देरी, अविवेकपूर्ण निर्णय तथा सब-स्टेशनों एवं लाईनों के अनुरक्षण एवं संचालन को प्रभावित करने वाला अनुबंध;
- आपदा की अपर्याप्त तैयारी; तथा
- सामग्री एवं इनवेन्टरी की खरीद में कमियां।

निष्पादन लेखापरीक्षा में पांच सिफारिशें तथा 48 अभ्युक्तियाँ थी जिनमें से 34 कार्रवाई योग्य थे।

2.10.1.2 अब कार्रवाई योग्य इन 34 अभ्युक्तियों पर की गई कार्रवाई की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता का आकलन करने हेतु अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई जिसके परिणामों की चर्चा नीचे की गई है। सिफारिशों एवं संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति को तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया हैं- 'निरर्थकता' अथवा 'प्रगति नहीं', 'आंशिक कार्यान्वयन' एवं 'पूर्ण कार्यान्वयन'।

सरकारी उपक्रमों की समिति द्वारा जून 2017 तक निष्पादन लेखापरीक्षा पर कोई चर्चा नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा प्राप्तियां

2.10.2 लेखापरीक्षा सिफारिशों/अभ्युक्तियों का कार्यान्वयन

पांच सिफारिशों के अंतर्गत 34 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों जिन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किए गए, के क्रियान्वयन की श्रेणीवार स्थिति नीचे दिए गए हैं:

क) निरर्थकता अथवा प्रगति नहीं

पूर्व लेखापरीक्षा में दी गई अभ्युक्तियों के सार	की गई सिफारिश	कंपनी द्वारा दी गई सूचना की वर्तमान स्थिति	लेखापरीक्षा प्राप्तियां/टिप्पणियां
1. 220 केवी गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन (जीआईएस) के आयात पर गैर- उद्ग्रहणीय प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) के भुगतान की वजह से सीमा शुल्क के अतिरेक भुगतान के कारण ₹ 16.91 करोड़ की हानि हुई। **(पैरा सं. 7.7.7.1)**	ट्रांसमिशन लाईनों तथा सब-स्टेशनों की परियोजनाएँ उपकरण एवं निधियों की निष्क्रियता को दूर करने के लिए सिंक्रेनाइज की जाती हैं।	डीटीएल ने कहा कि सीवीडी के छूट के संबंध में नियम मौन थे; इसने 2012 के बाद ऐसे किसी उपकरण का आयात नहीं किया है; तथा जब कभी ऐसे उपकरण का आयात होगा विशेषज्ञ की सलाह ली जाएगी और कस्टम विभाग से संपर्क किया जाएगा।	डीटीएल ने 2012 के बाद ऐसे किसी उपकरण का आयात नहीं किया है।
2. डीटीएल के 220 केवी लाईनों के लिए पॉलीमर इन्सुलेटर्स की गैर-खरीद के परिणामस्वरूप ग्रिड में गड़बड़ी हुई तथा चीनी मिट्टी की एन्टी फॉग इन्सुलेटर्स की अनुचित खरीद में ₹ 0.23 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। **(पैरा सं. 7.8.5.3)** बड़ी संख्या में ट्रिपिंग जो जनवरी 2010, दिसम्बर 2011 एवं जनवरी 2012 में संज्ञान में आयी, को नियंत्रित करने के लिए फरवरी 2012 में पॉलीमर इन्सुलेटर खरीदने तथा 220 केवी ट्रांसमिशन लाईनों पर चीनी मिट्टी के इन्सुलेटर प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया।	ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के लिए लाइनों तथा सबस्टेशनों की सुरक्षा हेतु तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनेल का संस्थापन ।	डीटीएल ने कहा कि 220 केवी ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए पॉलीमर इन्सुलेटर की खरीद प्रक्रियाधीन है।	जून 2017 में पॉलीमर इन्सुलेटर की आपूर्ति हेतु खरीद आदेश जारी किया जा चुका है परन्तु इसे खड़ा करने, जांच करने तथा चालू करने (इटीसी) के आदेश अभी तक प्रक्रियाधीन है परिणामस्वरूप चीनी मिट्टी का इन्सुलेटर पॉलीमर से प्रतिस्थापित नही हुआ है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि ये 2012 तक उत्तरी क्षेत्रीय पावर समिति (एन.आर.पी.सी)/ केंद्रीय बिजली प्राधिकरण (सीईए) के निर्देशानुसार क्रय नहीं किए गए। 3. पीजीसीआईएल को डीटीएल के 400 केवी ट्रांसमिशन लाईनों के लिए पॉलीमर इन्सुलेटर की खरीद में परामर्श शुल्क के प्रति ₹ 1.11 करोड़ का परिहार्य व्यय का भुगतान किया गया। **(पैरा सं. 7.8.5.4)** उत्तरी क्षेत्र में धुंध भरी परिस्थिति में ट्रिपिंग की बड़ी संख्या को नियंत्रित करने के लिए 2008 में पॉलीमर इन्सुलेटरर्स को खरीदने तथा 400 केवी ट्रांसमिशन लाईनों पर वर्तमान चीनी मिट्टी के इन्सुलेटर को प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस उद्देश्य के लिए, डीटीएल ने पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (पीजीसीआईएल) के माध्यम से 2008-09 में परामर्श शुल्क (₹ 1.11 करोड़) चुका कर पॉलीमर इन्सुलेटर खरीदा जिसकी जरूरत नही थी जबकि डीटीएल के पास सम्पूर्ण मैटेरियल मैनेजमेंट और स्टोर डिविजन था।			कंपनी ने 2012 के बाद पीजीसीआईएल से कोई सामग्री नहीं खरीदी है, परन्तु एनआईटी निकालने तथा पॉलीमर इन्सुलेटर खरीदने हेतु क्रय आदेश देने में विलम्ब हुआ था जैसा कि ऊपर कहा गया है।
4. अनिर्धारित विनिमय शुल्क **(पैरा सं. 7.9.5)** ऊर्जा की मांग एवं आपूर्ति में अंतर वास्तविक उत्पादन या वास्तविक आहरण तथा निर्धारित उत्पादन या निर्धारित आहरण के बीच की ओर ले जाता है जिसका लेखा अनिर्धारित विनिमय शुल्क (यूआई) के माध्यम से होता है जिसे स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) ने प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लॉक में किया। यूआई शुल्क की उगाही कम आवृत्ति की स्थिति में कम प्रविष्टि या अधिक आहरण को रोकने के लिए एक वाणिज्यिक	ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/ शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनेल का संस्थापन ।	डीटीएल ने कहा कि यूआई राशि का संग्रहण एवं संवितरण हेतु एसएलडीसी एक मात्र नोडल एजेन्सी है। यूआई पूल अकाउण्ट में उपलब्ध अधिशेष राशि की उपयोगिता का निर्णय दिल्ली बिजली विनियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा किया जाना है। एसएलडीसी ने डीईआरसी से संपर्क किया है, परन्तु उनका निर्णय प्रतीक्षित है।	यूआई पूल अकाउण्ट में उपलब्ध निधि का उपयोग व्यवस्था सुधार हेतु किसी स्कीम में उपयोग नहीं हुआ जबकि शेष राशि बढ़कर ₹ 453.24 करोड़ (मार्च 2017) हो चुकी है। आगे, डीटीएल ने अगस्त 2013 के बाद डीईआरसी से दिल्ली में रणनीतिक महत्त्व के आगामी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट

निवारक की तरह कार्य करता है। संग्रहित किया गया यूआई शुल्क यूआई पूल अकाउण्ट फण्ड में जमा किया जाता है। लेखापरीक्षा ने बताया कि 31 मार्च 2012 को पूल अकाउण्ट फण्ड में ₹ 165 करोड़ शेष पड़े थे जिसका व्यवस्था सुधार हेतु किसी स्कीम में उपयोग नहीं किया गया इत्यादि।			हेतु उपलब्ध निधि की स्वीकृति लेने हेतु (सिवाय अक्तूबर 2017 में लेखापरीक्षा द्वारा मुद्दा उठाये जाने के पश्चात्) कोई पहल नहीं की ।
5. ट्रैफिक निर्धारण **(पैरा सं. 7.10.3)** डीटीएल ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान संचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) पर डीइआरसी द्वारा वास्तविक मंजूरी से अधिक व्यय किया जिसके परिणामस्वरूप ओ एण्ड एम व्यय का ₹ 22.43 करोड़ तक कम प्राप्त हुआ जिसका वहन कंपनी द्वारा अपने स्त्रोत से किया गया और इन व्ययों को कम करने की जरूरत थी।	उधार निधि पर निर्भरता को कम करने के लिए व्यय की कटौती तथा डिस्कॉम से बकाया की वसूली करना।	डीटीएल ने कहा कि इस मुद्दे को बिजली के अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीई) में 2011 में चुनौती दी गई थी, हालांकि एटीई ने 2013 में डीईआरसी के निर्णय को बरकरार रखा।	डीटीएल ने 2012-13 एवं 2016-17 के बीच अपने ओ एण्ड एम खर्चे को नियंत्रित नहीं किया तथा इस अवधि में डीइआरसी द्वारा मंजूर किए गए व्यय से अधिक ₹ 27.77 करोड़ खर्च किया जिसे कम्पनी को अपने स्त्रोतों से वहन करना पड़ा। डीइआरसी के निर्णय को 2013 में एटीई द्वारा बरकरार रखने के बाद भी कंपनी ने इन खर्चों में कटौती करने का प्रयास नहीं किया।
6. निविदाओं के निर्धारण में देरी **(पैरा सं. 7.11.2.1)** निविदा निकालने की तिथि से अनुबंध निर्धारण में उल्लेखनीय देरी था। कंपनी ने डीटीएल क्रय नीति में मंजूर किए गए पांच महीनों की समयावधि की जाये के विरूद्ध एनआईटी निकालने की तिथि से छः से 19 महीने लिए।	ट्रांसमिशन लाईनों तथा सब स्टेशनों की परियोजनाओं का सिंक्रनाइज सुनिश्चित करने के लिए डीटीएल कदम उठाने पर विचार करें जिससे कि उपकरण एवं निधि की निष्क्रियता को दूर किया जा सके।	डीटीएल ने कहा कि निविदाओं के निर्धारण में समय को कम करने का प्रयास किया जा चुका है।	2012 के बाद परिस्थिति में सुधार नहीं हुआ क्योंकि मैटीरियल मैनेजमेन्ट डिवीजन ने 2015-16 से 2016-17 के दौरान मांग पत्र प्राप्त होने के बाद ट्रांस-मिशन लाईनों तथा सब-स्टेशन स्कीम के संबंध में 15 क्रय आदेश की नौ से 32 महीनों में तथा अन्य सामग्री मदों के संबंध में 70 क्रय आदेश पांच से 11 महीनों में निर्धारित और प्रदान किए।

7. क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर के निपटान में देरी के कारण ₹ 2.54 करोड़ की हानि **(पैरा सं. 7.11.2.2)** डीटीएल ट्रांसफॉर्मर को रद्दी माल के रूप में घोषित करने का अनुसरण करता रहा है, यदि एक बार इसे मरम्मत से परे घोषित कर दिया गया। इसके बाद स्क्रैप डिस्पोज़ल समिति क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर का आरक्षित मूल्य निर्धारित करता है तब ई-निलामी के माध्यम से बेचा जाता है। लेखापरीक्षा ने बताया कि इन ट्रांसफॉर्मरों को निर्धारित समय सीमा के अभाव में छः महीने की उचित समयावधि पर विचार करने के बाद देरी (80 महीने तक) से निपटान किया। इसके परिणामस्वरूप अवरूद्ध निधि पर ₹ 2.54 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।	ट्रांसमिशन लाईनों तथा सब स्टेशनों की परियोजनाओं का सिंक्रनाइज सुनिश्चित करने के लिए डीटीएल कदम उठाने पर विचार करें जिससे कि उपकरण एवं निधि की निष्क्रियता को दूर किया जा सके।	डीटीएल ने कहा कि काफी देरी हुई परन्तु निपटान प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद देरी को कम किया गया है। यदि एक बार रद्दी निपटान नीति मंजूर हो जाती है निपटान प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाएगी।	सितम्बर 2017 में रद्दी निपटान नीति मंजूर हो चुकी है, फिर भी, समयावधि जिसके दौरान रद्दी सामग्री का निपटान किया जाना था, जिसे अब तक कथित नीति में सम्मिलित नहीं किया गया है। रद्दी सामग्री निपटान में देरी को 2016 के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन में दर्शाया गया। इसके बाद भी एक ट्रांसफॉर्मर का 2016-17 में 26 महीनों की देरी से निपटान (₹ 1.23 करोड़) किया गया।
8. ट्रांसफॉर्मरों में स्थापित करने के लिए नाइट्रोजन, इंजेक्शन फायर प्रीवेंशन -कम-एक्सटिंग्युसिंग सिस्टम (एनआईएफपीइएस) के खरीद में देरी **(पैरा सं. 7.11.2.7)** डीटीएल ने 220 केवी सब-स्टेशन पर 100 एमवीए ट्रांसफॉर्मर के लिए 64 एनआईएफपीइएस की आपूर्ति, संस्थापन तथा चालू करने हेतु फरवरी 2010 में आमंत्रित किए गए एनआईटी के विरूद्ध एक क्रय आदेश दिसम्बर 2010 में एम/एस एसइआरजीआई को जारी किया। एक दूसरे निर्माता ने एम/एस एसइआरजीआई के विरूद्ध मुकदमा दायर किया और एम/एस एसइआरजीआई को एनआईएफपीइएस डीटीएल को बेचने से रोकने के अदालत के आदेश फरवरी 2010 में प्राप्त	डीटीएल आपदा प्रबंधन हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपाय एवं अवसंरचना को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने पर विचार करें।	डीटीएल ने कहा कि एम/एस एसइआरजीआई के विरूद्ध मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में उप न्यायिक है तथा एनआईएफपीइएस अब तक खरीदा नहीं गया।	डीटीएल ने आग को रोकने के लिए सीइए के दिशानिर्देश के अनुसार 100 एमवीए के ट्रांसफॉर्मर के साथ स्थापित करने के लिए अब तक एनआईएफपीइएस नहीं खरीदा है।

किया। डीटीएल इस तथ्य से अवगत था, परन्तु, तब भी एसइआरजीआई को क्रय आदेश दिया, परिणामस्वरूप एनआईएफपीइएस अभी तक खरीदा और स्थापित किया नहीं जा सका जो सीइए के दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक था।			

ख) आंशिक कार्यान्वयन

पूर्व लेखापरीक्षा में दी गई अभ्युक्तियों के सार	की गई सिफारिश	कंपनी द्वारा दी गई सूचना की वर्तमान स्थिति	लेखापरीक्षा प्राप्तियां/टिप्पणी
1.ट्रांसमिशन नेटवर्क और इसका विकास **(पैरा सं. 7.7.2)** डीटीएल ने 255.01 सीकेएम की लाईनों और 7420 एमवीए के ट्रांसमिशन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया जिसके प्रति 2007-08 से 2011-12 के दौरान 87.75 सीकेएम की लाईनों और 2380 एमवीए की ट्रांसमिशन क्षमता को जोड़ा/बढ़ाया गया। 2.ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रबंधन की परियोजना **(पैरा सं. 7.7.3 और 7.7.4)** पूरा करने के निर्धारित मानदण्ड क्रमशः 28 माह और 24 माह के विरूद्ध प्रमुख ट्रांसमिशन लाईनों परियोजनाओं में 13 माह से 60 माह की तथा सब स्टेशन परियोजनाओं में 23 माह से 64 माह की देरी थी। आगे, 31 मार्च 2012 को अपूर्ण लाईनों परियोजनाएं और सब स्टेशन परियोजना क्रमशः 16 माह से 64 माह तथा 21 माह से 78 माह विलम्ब थी। विलम्ब के कारण थेः-	भा.स. के टास्क फोर्स की सिफारिशें और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट पर सीइए/ डीइआरसी के निर्देशों का अनुसरण किया जाना है।	डीटीएल ने कहा कि इसके योजनाओं/कार्यों के नियमन में न्यूनतम समय को सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के नियमन, निविदा तथा कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया को काफी सुव्यवस्थित किया है।	2012 के बाद, डीटीएल ने 2012-13 एवं 2016-17 के बीच 9255 एमवीए ट्रांसमिशन क्षमता तथा 374.36 सीकेएम लाईनों के लक्ष्य के विरूद्ध क्रमशः 4610 एमवीए की ट्रांसमिशन क्षमता और 173.373 सीकेएम की लाईनों को जोड़ा (50 एवं 46)। इससे यह पता चलता है कि डीटीएल लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा। निर्माण की योजना/कार्य तथा ट्रांसमिशन लाईनों (पांच सं.) को चालू करने एवं सब-स्टेशनों (पांच सं.) जो 31 मार्च 2012 को कार्यान्वयन के अधीन थे सफलतापूर्वक पूरा किया गया तथा प्रवर्तन में लाया गया, यद्यपि सात माह से 34 माह का विलंब था। सब स्टेशन (लोधी रोड) आंशिक रूप से नवम्बर 2014 में चालू किया गया था जिसे 50 महीनों की देरी से जुलाई 2017 में पूर्ण रूप से पूरा करना निर्धारित था। तथापि, 2014-15 से शुरू की गई नई योजनाओं/ कार्यों के संबंध में, आंशिक सुधार है क्योंकि 15 सब स्टेशन प्रोजेक्ट (सब स्टेशनों की स्थापना के तीन और संवर्धन कार्य के 12) तथा सात केबल लिंक प्रोजेक्ट (लाईनों निर्माण कार्य के तीन

i) एनआईटी आमंत्रित करने में देरी, ii) बोली के मूल्यांकन तथा टर्नकी परियोजनाओं के प्रदान प्रक्रिया में लिया गया अतिरिक्त समय, iii) भूमि अधिग्रहण में देरी, iv) सिविल एजेंसियों से राईट ऑफ वे (आरओ डब्ल्यू) अनुमति की व्यवस्था में देरी।			तथा संवर्धन कार्य के चार) के संबंध में देरी को क्रमशः एक माह से 19 माह के बीच कम किया गया है। देरी होने के कारणों अर्थात् एनआईटी आमंत्रित करने तथा उसकी प्रक्रिया में निविदा तथा पीओ का प्रदान/कार्य आदेश और आरओडब्ल्यू की अनुमति इत्यादि यद्यपि अभी तक जारी है।
3. ट्रांसमिशन लाईनों और एसएस परियोजनाओं के गैर- सिंक्रनाईजेशन के कारण निधियों का अवरोध **(पैरा सं. 7.7.6)** नियोजन की कमी के परिणामस्वरूप उप-स्टेशनों और चार ट्रांसमिशन लाईनों के कार्यान्वयन के परस्पर संबद्ध परियोजना गतिविधि के गैर-सिंक्रनाइजेशन से ₹ 287.09 करोड़ की सीमा तक निधि अवरोध हुआ जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया हैः **4.** लोनी रोड (हर्ष विहार) के ईस्ट में 400 केवी जीआईएस की स्थापना **(पैरा सं. 7.7.6.1)** 5. 220 केवी 1000 वर्ग मीमी यू/जी एक्सएलपीई केबल का शालीमार बाग सब-स्टेशन से प्रस्तावित वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र सब-स्टेशन का लिंक (₹ 24.78 करोड़) **(पैरा सं. 7.7.6.3)**	ट्रांसमिशन लाईनों तथा सब स्टेशनों की परियोजनाओं का सिंक्रनाइज सुनिश्चित करने के लिए डीटीएल कदम उठाने पर विचार करें जिससे कि उपकरण एवं निधि की निष्क्रियता को दूर किया जा सके।	डीटीएल ने कहा कि इसने भविष्य की परियोजनाओं के लिए भूमि की व्यवस्था के साथ ही कार्य को प्रदान करने में उचित सावधानी बरती है। डीटीएल ने कहा (जून 2017) कि इसने परस्पर संबद्ध परियोजनाओं के सिंक्रनाइजेशन को सुनिश्चित करने के लिए 2011 से योजनाओं के नियमन, निविदा तथा कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया को काफी सुव्यवस्थित किया है।	सब-स्टेशन सफलतापूर्वक पूरा तथा चालू हो चुका है, यद्यपि 18 माह का विलंब था। तथापि, 15 नये कार्य/ योजनाएं 2014-15 से शुरू किए गए है और भूमि मामले के मुद्दे की वजह से कार्य प्रदान करने के पश्चात् कार्य रूका हुआ नहीं था। लिंक की गई परन्तु 14 महीनों की देरी के साथ (कुल 78 महीनों की देरी) । तथापि, 2014-15 से शुरू नयी योजनाओं/कार्यों में देरी को कम किया गया है। केवल बसंत कुंज और आर.के. पुरम के बीच ट्रांसमिशन लाईनों के निर्माण के मामले में लेखापरीक्षा ने देखा कि लाईन

			आंशिक रूप से उपयोग में हैं क्योकि आर.के. पुरम में 220 केवी सब स्टेशन अब तक निर्माणधीन है।
6.महारानी बाग सब स्टेशन और गाजीपुर सब स्टेशन के बीच 220 केवी भूमिगत सह भूमि के ऊपर ट्रांसमिशन लिंक (₹ 6.97 करोड़) **(पैरा सं. 7.7.6.4)**		डीटीएल ने कहा कि अनुमोदन प्राप्त करने में अवधि को कम करने के लिए इसने वन, आईएण्ड एफसीडी, पी एण्ड टी, सीइए इत्यादि जैसी एजेंसियों के साथ विभिन्न स्तर पर मुद्दे उठाए हैं। एलजी कार्यालय ने भी इन ट्रांसमिशन योजनाओं के लिए समर्पित कॉरिडोर की अनुपस्थिति में शीघ्र मंजूरी के लिए डीटीएल के साथ सहयोग करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं।	कथित लिंक पूरा और चालू किया गया परन्तु अपेक्षित पूर्णता तिथि (मार्च 2013) से 15 महीने की देरी के साथ। देरी के कारण कंपनी ने ₹ 52.72 लाख के मूल्य अंतर का परिहार्य भुगतान किया।
7. पीजीसीआईएल को परामर्श शुल्क के रूप में ₹ 7.97 करोड़ के परिहार्य व्यय का भुगतान **(पैरा सं. 7.7.7.2)** डीटीएल ने टर्नकी परियोजना के रूप में महारानी बाग सब-स्टेशन (अगस्त 2005) पर पीजीसीआईएल को आठ बे के निर्माण के कार्य को परामर्श शुल्क तथा 13.50 *प्रतिशत* सेवा चार्ज देकर आवंटित किया। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि डीटीएल स्वयं 2005-06 में समान तरह की परियोजना कार्य को टर्नकी आधार पर कर रहा था। पीजीसीआईएल को समान तरह के कार्य आवंटित करने के कारण ₹ 7.97 करोड़ के परामर्श शुल्क का परिहार्य व्यय हुआ।	भा.स. के टास्क फोर्स की सिफारिशें और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट पर सीइए/ डीइआरसी के निर्देशों का अनुसरण किया जाना है।	डीटीएल ने कहा कि यह आमतौर पर विभिन्न जीआईएस स्टेशनों के लिए स्वयं निविदाएं जारी करता है परन्तु कुछ मामलों में जहां निर्णय पावर मंत्रालय भा.स./सीइए के स्तर पर लिया जाता है वहां पीजीसीआईएल के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन किया जाता है।	कैपिटल वर्क्स तथा ट्रांसमिशन प्रणाली को बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्देशित ट्रांसमिशन लाईनों, सब-स्टेशन और संबंद्ध कार्य को छोड़कर डीटीएल ने 2012 के बाद स्वयं पीजीसीआईएल के माध्यम से कोई खरीद नहीं की है,

8. ट्रांसफॉर्मर की निष्पादन क्षमता **(पैरा सं. 7.8.2.1)** 2007-08 से 2011-12 तक पांच वर्ष की अवधि के दौरान एक से चार ट्रांसफॉर्मर हर साल असफल हो गए थे, (13 ट्रांसफॉर्मर पांच वर्ष की अवधि के दौरान असफल हुए)।	डीटीएल ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/ शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनेल के संस्थापन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने पर विचार करें।	डीटीएल ने कहा (जून 2017) कि विफलता दर को कम करने के लिए उपाय जैसे ट्रांसफॉर्मर की आवधिक आंतरिक जांच की जाती है। किए गए अन्य उपायों में आग के कारण नुकसान को रोकने के लिए नाईट्रोजन ईंजेक्शन फायर प्रिंवेशन सह एक्सटींग्विशिंग सिस्टम (एनआईएफपीइएस) के साथ नये ट्रांसफॉर्मर की खरीद शामिल है। इसने यह भी कहा कि ट्रांसफॉर्मर का प्रारंभिक स्थापन, परीक्षण और चालू करने का कार्य मूल उपकरण निर्माता (ओइएम) द्वारा स्वयं किया जा रहा है।	ट्रांसफॉर्मर की विफलता दर में सुधार हुआ है क्योंकि 136 ट्रांसफॉर्मर में से 2012-13 और 2016-17 के बीच केवल नौ ट्रांसफॉर्मर असफल रहे, जिनमें से केवल सात सामान्य कार्यचालन जीवन काल में क्षतिग्रस्त हुआ।
9.वोल्टेज प्रबंधन **(पैरा सं. 7.8.2.2)** सीइए विनियमन के अनुसार, 400 केवी सब स्टेशनों के लिए 420 केवी और 380 केवी के बीच तथा 220 केवी सब-स्टेशनों के लिए 245 केवी और 198 केवी के बीच वोल्टेज को बनाये रखने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क की जरूरत है। यह देखा गया कि निर्धारित वोल्टेज स्तर को नहीं बनाए रखा गया जो उपभोक्ताओं के बिजली के उपकरणों को प्रभावित कर सकता है। मांग के अनुसार वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए और वोल्टेज को गिरावट से बचाने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंकों/शन्ट रिएक्टरों को स्थापित करने की जरूरत है। आगे देखा	ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/ शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनेल का संस्थापन ।	डीटीएल ने कहा कि पीजीसीआईएल सीइए और अन्य स्टेक धारको के परामर्श से आवश्यकता को समझा जा रहा है।	कंपनी ने 2012 के बाद वोल्टेज स्तर काफी सुधारने का प्रबंध किया क्योंकि 220 केवी एवं 400 केवी सबस्टेशनों पर अधिकतम और न्यूनतम वोल्टेज निर्धारित सीमा के भीतर था सिवाय 400 केवी सब स्टेशन में उच्च वोल्टेज के। सीपीआरआई द्वारा किए गए हालिया अध्ययन के अनुसार स्थापित कैपेसिटर बैंकों की क्षमता को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्षतिग्रस्त कैपेसिटर बैंक की स्थिति 7.98 *प्रतिशत* से सुधर कर 2016-17 में 2.15 *प्रतिशत* हो गई है जिससे आगे वोल्टेज प्रोफाईल में सुधार लाने में मदद मिली है, तथापि, 400 केवी सबस्टेशनों पर शन्ट रिएक्टर अभी तक स्थापित नहीं हुआ है।

गया कि क्षति होने के कारण कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए (754.48 एमवीएआर की क्षमता का 7.98 *प्रतिशत*) की कमी थी और शन्ट रिएक्टरों को इसके ट्रांसमिशन सिस्टम में स्थापित नहीं किया गया।			
10. बस बार प्रोटेक्शन पैनल (बीबीपीपी) **(पैरा सं. 7.8.2.3)** बीबीपीपी पूरे पावर नेटवर्क पर बस बार गड़बड़ी के प्रभाव को सीमित करता है जो अनावश्यक ट्रिपिंग को रोकता है। ग्रिड मानदंड़ों के अनुसार, बीबीपीपी को सभी 220 केवी सब स्टेशन पर ग्रिड की गड़बड़ी के दौरान सिस्टम की स्थिरता बनाए रखने के लिए सेवा जारी रखना था और त्रुटि का तीव्र समायोजन करना था। लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि 28 सबस्टेशनों में से दो सबस्टेशनों में बीबीपीपी मुहैया नहीं कराए गए थे, दो सबस्टेशनों पर ये कार्य नहीं कर रहे थे तथा चार सब स्टेशनों पर ये अपने जीवन काल से 25 वर्ष से अधिक के हो गए थे। अतः बीबीपीपी के बिना तथा पुराने/अप्रचलित बीबीपीपी पर प्रणाली चलने का मतलब प्रणाली खतरे में थी।	ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/ शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनल का संस्थापन ।	डीटीएल ने कहा कि 400 केवी और 220 केवी के विभिन्न सबस्टेशनों पर 26 बीबीपीपी आपूर्ति एवं इटीसी के लिए योजना स्वीकृत हो चुकी है तथा स्वचालन के लिए संख्यात्मक बीबीपीपी के साथ पुराने एवं अप्रचलित बीबीपीपी को बदलने के लिए निविदा शुरू की गई है।	आंशिक सुधार है क्योंकि 35 सबस्टेशनों में से एक सब स्टेशन पर बीबीपीपी स्थापित नहीं हुआ है, दो सबस्टेशनों पर ये कार्य नहीं कर रहे है, तीन सबस्टेशनों पर ये उपयोगी जीवन काल से अधिक के हो गए हैं। डीटीएल ने स्वचालन के लिए नए संख्यात्मक बीबीपीपी से पुराने बीबीपीपी बदलने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
11. ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रबंधन **(पैरा सं. 7.8.3)** ट्रांसमिशन सिस्टम का नियमित और आवधिक रखरखाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है तथा भारत	ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में	डीटीएल ने कहा कि 2013-14 से यह आन्तरिक थर्मोविजन स्केनिंग के माध्यम से हॉट लाईनों का रखरखाव कर रहा है और रखरखाव हेतु अन्य सर्वोत्तम पद्धति जैसे सीबीएम; टेन डेल्टा;	आंशिक सुधार हुआ क्योंकि डीटीएल 2013-14 से कुछ अन्य तकनीकों से पृथक आंतरिक थर्मो विजन स्कैनिंग कर रहा है जिससे प्रणाली स्थिरता को सुधारने तथा ट्रांसमिशन (99 *प्रतिशत*) सिस्टम की उपलब्धता में

सरकार ने लाईनों के रखरखाव के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों के तहत कुछ तकनीकों का निर्धारण किया है। लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि डीटीएल के पास समिति द्वारा अनुमोदित अलग हॉटलाईनों मेन्टेनेंस डिविजन और ट्रांसमिशन की अन्य सर्वोत्तम पद्धतियाँ नहीं थी जैसे हॉट लाईनों पंक्चर, डिटेक्शन ऑफ इन्सुलेटर, पोर्टेबल अर्थिंग हॉटलाईनों उपकरण के इस्तेमाल कर निवारक रखरखाव लाईनों वाशिंग, लाईनों का कंपन मापक इत्यादि जो डीटीएल में नहीं किया जा रहा था।	कैपेसिटर बैंक/ शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनेल का संस्थापन ।	डीजीए; डीसीआरएम; डीसीआरएम; वेट क्लिनिंग इत्यादि का अनुसरण कर रहा है। आगे कहा गया कि एनआरपीसी डीटीएल के 12 प्रमुख स्थानों पर प्रदूषण मैंपिंग भी कर रहा है।	सहायता मिली परन्तु अभी तक निर्धारित तकनीकों में से कुछ जैसे पोर्टेबल अर्थिंग हॉटलाईनों का इस्तेमाल करके निवारक रखरखाव एवं लाईनों का कंपन माप अपनाने की जरूरत है।
12. ग्रिड समन्वय समिति बैठक **(पैरा सं. 7.9.4)** दिल्ली ग्रिड कोड समन्वय समिति के नियम, 2008, के अनुसार ग्रिड समन्वय समिति बैठक (जीसीसी) कम से कम तीन महीने में एक बार किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि बैठकें नियमित रूप से त्रैमासिक आधार पर नहीं की गई और लगभग 12 महीनों से 18 महीनों के अन्तराल के बाद आयोजित की गई जिसके परिणामस्वरूप निरंतर पर्यवेक्षण/निगरानी और प्रणाली संबंधी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई विफल हो गया।	ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/ शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनेल का संस्थापन ।	डीटीएल ने कहा कि जीसीसी की बैठके अब नियमित अन्तराल पर आयोजित की जा रही है।	डीटीएल ने वर्ष के आरंभ में एक बार के प्रति 2012-13 में तीन बैठकें, 2013-14 में दो बैठकें, 2014-15 में एक बैठक, 2015-16 में दो बैठकें और 2016-17 में तीन बैठकें आयोजित की।
13. समझौते के प्रावधानों के गैर अनुपालन के कारण निजी डिस्कॉम	व्यय में कटौती करना और उधार निधि पर निर्भरता	डीटीएल ने कहा कि मामले को यह नियमित रूप से सीधे बीआरपीएल	बीआरपीएल और बीवाईपीएल से वसूली योग्य बकाया राशि 31 मार्च 2017 तक बढ़कर

(बीआरपीएल और बीवाईपीएल), को अनुचित लाभ पंहुचाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 700 करोड़ से अधिक की लंबित बकाया राशि की गैर वसूली हुई। **(पैरा सं. 7.10.4)** डीटीएल डिस्कॉम्स (बीआरपीएल, बीवाईपीएल, एनडीपीएल, एनडीएमसी और एमइएस) पर व्हीलिंग शुल्क और अन्य उद्ग्रहणों के लिए मासिक ट्रांसमिशन बिल तैयार करता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने उजागर किया कि बीआरपीएल तथा बीवाईपीएल अक्तूबर 2010 से और उसके आगे भुगतान में नियमित नहीं थे तथा 31 मार्च 2012 तक ₹ 705.70 करोड़ (₹ 431.11 करोड़ बीआरपी एल से और ₹ 274.59 करोड़ बीवाईपीएल से) वसूली हेतु बकाया थे।	को कम करने के लिए डिस्कॉम से अपनी बकाया राशि की वसूली करना।	एवं बीवाईपीएल के साथ उठाता रहा है साथ ही रा.रा.क्षे.दि.स./डी.इ.आर.सी. के साथ भी। इसने एटीइ के समक्ष याचिका दायर की (जनवरी 2014) तथा डिस्कॉम्स के साथ कुछ अन्य मुद्दों के साथ-साथ इस मुद्दें को भी उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया (2014)। मामला लंबित है और नियमित सुनवाई अभी भी चल रहा है।	₹ 2,269.97 करोड़ हो गया है (बीवाईपीएल से ₹ 900.40 करोड़ तथा बीआरपीएल से ₹ 1,369.57 करोड़) यद्यपि डीटीएल नियमित रूप से कोशिश कर रही है। यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में भी विचाराधीन है।
14. भण्डारण का भौतिक सत्यापन **(पैरा सं. 7.11.1)** महरौली भण्डारण का भौतिक सत्यापन 2009-10 तक किया गया । आगे, डीटीएल ने रद्दी/ अप्रचलित सामग्री को पहचानने और निपटान करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।	ट्रांसमिशन लाईनों तथा सब-स्टेशनों की परियोजनाएं समकालिक बनाई जाये जिससे कि उपकरण एवं निधि की निष्क्रियता को दूर किया जा सके।	डीटीएल ने कहा कि महरौली भण्डारण का 2015-16 के लिए भौतिक सत्यापन कर लिया गया है जबकि 2016-17 तक यह प्रक्रियाधीन है ।	मार्च 2016 तक भौतिक सत्यापन हो गया है तथा डीटीएल ने 2012-13 और 2016-17 के बीच रद्दी सामग्री बेच दिया है।
15. एसीएसआर जेब्रा कन्डक्टर के खरीद के लिए ठेके में आपूर्तिकर्त्ता का अनुचित पक्ष तथा डिफॉल्ट आपूर्तिकर्त्ता के जोखिम व	ट्रांसमिशन लाईनों तथा सब-स्टेशनों की परियोजनाएं समकालिक बनाई जाये जिससे कि	डीटीएल ने कहा कि 170.655 केएम की शेष मात्रा को प्रथम पक्ष के जोखिम व लागत पर उपार्जन कर लिया गया है।	कंपनी ने प्रथम पक्ष के जोखिम व लागत पर शेष मात्रा की खरीद कर ली है तथा गारंटी को भुनाकर अपने हितों की पूरी तरह से रक्षा की

लागत पर खरीद शुरू करने में देरी । **(पैरा सं. 7.11.2.4)** डीटीएल ने 227 केएम का एसीएसआर जेब्रा कन्डक्टर खरीदने के लिए आदेश किया (दिसम्बर 2009)। ठेकेदार ने मात्र 56.345 केएम कन्डक्टर ही दे पाया परन्तु डीटीएल द्वारा पार्टी के जोखिम और लागत पर बाकी मात्रा के उपार्जन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, परफार्मेंस गारंटी की जमा राशि ₹ 19.36 लाख भुनाने को छोड़कर (अक्तूबर 2011)।	उपकरण एवं निधि की निष्क्रियता को दूर किया जा सके।		है तथा प्रथम पक्ष द्वारा किए गए आंशिक आपूर्ति के लिए भुगतान जारी नहीं किया है। तथापि, कुल वसूली के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है जिसके लिए समिति बनाई गई है (फरवरी 2017)।
16. जोखिम लागत पर सामग्री खरीद के संबंध में ठेकेदार से ₹ 0.61 करोड़ की गैर वसूली **(पैरा सं. 7.11.2.6)** डीटीएल ने एम/एस अल्फा को ₹ 1.62 करोड़ मूल्य के सामग्री की आपूर्ति हेतु खरीद आदेश दिया (नवम्बर 2009), तथापि, निरीक्षण के दौरान सामग्री स्वीकार्य नहीं पायी गयी एवं डीटीएल द्वारा अस्वीकार कर दी गई। बाद में डीटीएल ने दूसरे आपूर्तिकर्त्ता से प्रथम पक्ष के जोखिम व लागत पर ₹ 2.30 करोड़ मूल्य की सामग्री का उपार्जन किया। डीटीएल प्रथम पक्ष से मात्र ₹ 7.30 लाख बैंक गारंटी को भुनाकर वसूल कर पाया तथा शेष रकम ₹ 0.61 करोड़ वसूली हेतु बकाया थी।	ट्रांसमिशन लाईनों तथा सब-स्टेशनों की परियोजनाएँ समकालिक बनाए गए हैं जिससे कि उपकरण एवं निधि की निष्क्रियता को दूर किया जा सके।	डीटीएल ने कहा कि एम/एस अल्फा के जोखिम व लागत पर ₹ 0.61 करोड़ के खरीद की वसूली का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।	मामला 2015 से दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

17. एलडीसी के लिए आपदा प्रबंधन **(पैरा सं. 7.12.1)** आपदा के समय नुकसान से बचाव के लिए एसएलडीसी का पिछला आंकड़ा अलग बैकअप साईट के जगह उसी परिसर पर एकत्र किए गए । 18. सब-स्टेशनों के लिए आपदा प्रबंधन **(पैरा सं. 7.12.2)** डीटीएल में अलग से कोई आपदा प्रबंधन केंद्र/कक्ष नहीं था। अक्तूबर 2009 से दो व्यक्तियों की क्षमता वाला मात्र अग्नि एवं सुरक्षा कक्ष मौजूद था। केवल आठ सब-स्टेशनों पर कभी-कभी मॉक ड्रिल इत्यादि आयोजित किए गए। डीटीएल ने सीइए के दिशानिर्देशों के अनुसार आग आदि को रोकने के लिए 220 केवी सब स्टेशन पर 100 एमवीए ट्रांसफॉर्मर के साथ एनआईएफपीइएस प्रदान नहीं किया है। आगे, अन्य सुरक्षा उपायों जैसे फायरवॉल, तेल गढ़ढे और रेत की बाल्टी भी 28 में से क्रमशः 15, पांच और पांच सब-स्टेशनों पर मुहैया नहीं कराए गए थे। 2007-08 से 2012-13 की अवधि के दौरान आग की चार घटनाएं हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.31 करोड़ का नुकसान हुआ ।	आपदा प्रबंधन हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपाय एवं बुनियादी ढांचे ।	डीटीएल ने कहा कि निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाई की गई हैः i) एनआईएफपीइएस के साथ-साथ सभी नये ट्रांसफॉर्मर खरीदे गए हैं। ii) अप्रैल 2015 में 18 हाईप्रेशर वाटर मिस्ट फायर एस्टिंग्युशर को खरीदा गया तथा अन्य आवश्यकता खरीद की प्रक्रिया में है । iii) चार अधिक कार्मिकों को नियुक्त कर अग्नि एवं सुरक्षा कक्ष को सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया चल रही है ।	बैकअप एसएलडीसी (नियंत्रण डाटा) योजना की स्थापना दिसम्बर 2015 में पूरी हुईं थी। डीटीएल ने अभी तक अलग आपदा प्रबंधन कक्ष स्थापित नहीं किया था। तथापि, आंशिक सुधार है क्योंकि 2012-13 और उसके बाद एनआईएफपीइएस के साथ-साथ 51 नये ट्रांसफॉर्मरों खरीदे गए। इस निवारक प्रणाली को अभी तक उपार्जन और पुराने ट्रांसफॉर्मरों के साथ स्थापित नहीं किया गया है। इसके बजाए डीटीएल ने डीटीएल के विभिन्न सब-स्टेशनों (18 संख्या) के लिए अन्य तरह के फायर एस्टिंग्युशर को खरीदा और मुहैया कराया । आगे, अन्य सुरक्षा उपायों में सुधार देखा गया है क्योंकि फायरवॉल, तेल गढ़ढे और रेत की बाल्टियां क्रमशः 24, 33 और 36 सब-स्टेशनों पर अब उपलब्ध थे (कुल 39 सब स्टेशन)। इसके अलावा, 2012-13 से 2016-17 के दौरान आग की कोई घटना नहीं हुई इससे दक्षता में सुधार और घाटे में कटौती करने में मदद मिली ।
19. आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा **(पैरा सं. 7.13.2)** डीटीएल के पास अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा नियम	पर्याप्त सुरक्षा उपाय	डीटीएल ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा त्रैमासिक आधार पर किया जा रहा है तथा सभी डिविजनों को शामिल	डीटीएल ने 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में क्रमशः चार, तीन, चार, तीन और चार लेखापरीक्षा समिति बैठकें

पुस्तिका नहीं है जो क्षेत्र, दायरा और आवधिकता इत्यादि को निर्धारित कर सके। आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य 2007-08 से निजी चार्टेड एकाउंटेंट को आऊटसोर्स किया गया। आंतरिक लेखापरीक्षा को 2010-11 तक पूरा नहीं किया गया। 20. लेखापरीक्षा समिति **(पैरा सं. 7.13.3)** लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने/चर्चा करने में हुई देरी और आंतरिक लेखापरीक्षकों के 18 बैंठकों में से केवल सात बैठकों में उपस्थिति होने पर प्रकाश डाला।		करते हुए सितम्बर 2016 तक का लेखापरीक्षा को पूरा कर लिया गया है।	की गई। आगे, 2016-17 के प्रथम छमाही तक आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर इन लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में चर्चा की गई परन्तु लेखापरीक्षा समिति की बैठक में आंतरिक लेखापरीक्षकों की उपस्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ था क्योंकि 2012-13 से 2016-17 के दौरान आयोजित की जाने वाली 18 बैठकों में से केवल आठ बैठकों में उपस्थित हुए। आगे, आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली अभी तक नहीं बनायी गयी हैं।

ग) पूर्ण कार्यान्वयन

पूर्व लेखापरीक्षा में दी गई अभ्युक्तियों के सार	की गई सिफारिश	कंपनी द्वारा दी गई सूचना की वर्तमान स्थिति	लेखापरीक्षा प्राप्तियां/टिप्पणी
1. ट्रांसमिशन लाईनों के कार्यान्वयन में हुई देरी के कारण मांग की गई मात्रा से अधिक एचडीपीइ पाइपों के उपयोग पर ₹ 24.86 करोड़ का परिहार्य व्यय **(पैरा सं. 7.7.5)**	भा.स. के टास्क फोर्स की सिफारिशें और ट्रांसमिशन परियोजनाओं पर सीइए/ डीइआरसी के निर्देशों का अनुसरण किया जाना है।	डीटीएल ने कहा कि भविष्य की योजनाओं के लिए डीटीएल के नियोजन विभाग ने सिविल कार्यों और साइट परिस्थितियों के मानदंडों को ध्यान में रखकर पाइप की मात्रा को सुनिश्चित किया है।	2012 के बाद डीटीएल ने एनआईटी/टर्नकी परियोजना/योजना में उल्लिखित ट्रांसमिशन लाइन के प्रति किमी दर के तहत मात्रा के बिल के अनुसार पाइप का इस्तेमाल किया। अब ऐसा कोई मामला लेखापरीक्षा के संज्ञान में नहीं आया है ।
2. ट्रांसमिशन लाइनों और एसएस परियोजनाओं के गैर सिंक्रनाइजेशन के कारण धन का अवरोध **(पैरा सं. 7.7.6)** 220 केवी 1000 वर्ग मिमी यू/जीएक्स एलपीइ केबल लिंक (i) मुण्डका से पीरागढ़ी सब-स्टेशन और (ii) पीरागढ़ी से वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र सब-स्टेशन	ट्रांसमिशन लाईनों तथा सब स्टेशनों की परियोजनाओं का सिंक्रनाइज सुनिश्चित करने के लिए डीटीएल कदम उठाने पर विचार करें जिससे कि उपकरण एवं निधि की निष्क्रियता को दूर किया जा सके।	डीटीएल ने कहा (नवम्बर 2017) विदेशी बोलीकर्त्ता जिनकी भारत में परियोजना कार्यालय है के मुद्दे को कंपनी के बोलीकर्त्ता (आईटीबी) निर्देश दस्तावेजन में अब शामिल किया गया है।	डीटीएल ने 2012 के बाद किसी भी विदेशी बोलीकर्त्ता को टर्नकी आधार पर कोई कार्य नहीं दिया, तथापि इसने अपने नवीनतम आईटीबी में कथित खण्ड को समाविष्ट किया था ।

(₹ 102.18 करोड़) **(पैरा सं. 7.7.6.2)**			
3. ट्रांसमिशन हानियाँ **(पैरा सं. 7.8.4)** 2007-08 से 2011-12 के दौरान ट्रांसमिशन हानियाँ डीइआरसी द्वारा स्वीकृत 0.95 *प्रतिशत* के मानदंडों के प्रति 1.21 *प्रतिशत* और 1.59 *प्रतिशत* के बीच थीं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.54 करोड़ मूल्य के 503 एमयू का नुकसान हुआ।	ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनेल का संस्थापन ।	डीटीएल द्वारा 2012-13 से 2016-17 के लिये ट्रांसमिशन हानियों का विवरण दिया गया है।	2013-14 से 2016-17 के दौरान कंपनी ट्रांसमिशन घाटे को कम करने में कामयाब रही और 0.95 *प्रतिशत* के लक्ष्य के भीतर थी जो करीब 99 *प्रतिशत* उपलब्धता पर ट्रांसमिशन को प्रबंधित व संचालित कर प्राप्त किया गया है।
4. आवृत्ति प्रबंधन द्वारा ग्रिड डिसिप्लिन **(पैरा सं. 7.9.2)** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने उजागर किया कि एसएलडीसी (अक्तूबर 2008) दिल्ली ग्रिड प्रणाली में कम आवृत्ति के तहत बिजली के अधिक भार को नियंत्रित नहीं कर सका जिसके लिए केंद्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरण (सीइआरसी) ने ₹ 2.5 लाख का जुर्माना लगाया।	ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनेल का संस्थापन।	डीटीएल ने कहा कि डीइआरसी 2013 में एसएलडीसी के व्यय को संतुलित करते हुए जुर्माने की अनुमति दी है। पावर के अधिक भार व कम भार को नियंत्रित करने के लिए सीइआरसी द्वारा किए गए विभिन्न पहल के कारण ग्रिड डिसिप्लिन में सुधार हुआ है।	सीइआरसी/डीइआरसी ने डीटीएल पर किसी ग्रिड इनडिसिप्लिन के लिए 2012-13 से 2016-17 के दौरान कोई जुर्माना नहीं लगाया।
5. निर्देशों का परामुख होना (बीडीआई) **(पैरा सं. 7.9.3)** एसएलडीसी ने उत्पादक कंपनियों द्वारा बीडीआई का अनुपालन करने और इसके लिए जुर्माना लगाने का भी अलग से कोई अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया। जिसके अभाव में बीडीआई जारी करने का उद्देश्य पराभूत हो गया।	ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनेल का संस्थापन।	डीटीएल ने कहा कि क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (आरएलडीसी) अंतर्राज्यीय जेनरेशन स्टेशनों (आईएसजीएस) के लिए जेनरेशन शेड्युल का अनुरक्षण कर रहा है तथा एसएलडीसी मासिक ऊर्जा खातों की तैयारी के लिए वास्तविक समय के आधार पर अनुसूची तैयार कर रहा है। अर्थात सभी शेड्यूलिंग/बैकिंग डाउन निर्देशों को वेब आधारित मॉड्युल के माध्यम से किया जाता है।	दिल्ली प्रणाली में पावर की सभी शेड्यूलिंग को अब वास्तिक समय के आधार पर बनाया जा रहा है तथा सभी निर्देशों का नियंत्रण वेब आधारित मॉड्युल के माध्यम से किया जा रहा है और लेखांकन उद्देश्य से किसी भी समय देखा जा सकता है।

6. ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा **(पैरा सं. 7.9.6)** डीटीएल ने केंद्रीय ग्रिड से प्राप्त पावर के आवक बिन्दु पर उपयोगिता ट्रांसमिशन के लिए इंटरफेस मीटर स्थापित नहीं किया है इसके बदले पावर लेखांकन के लिए पीजीसीआईएल द्वारा स्थापित मीटरों पर निर्भर है। डीटीएल ने डीटीएल के 66/33 केवी सब-स्टेशनों से 230 आऊटगोईंग डिस्कॉम फीडर में से 147 ऑडिट मीटर उपलब्ध कराए हैं।	ग्रिड गड़बड़ी के दौरान प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/शंट रिएक्टर्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनेल का संस्थापन।	डीटीएल ने कहा कि शेष आऊटगोईंग डिस्कॉम फीडर पर अब ऑडिट मीटर लगाए जा चुके है।	शेष फीडरों पर अब ऑडिट मीटर लगा दिए गए है।

2.10.3 निष्कर्ष

- लाइनों और सब-स्टेशनों के निर्माण तथा शुरूआत की प्रमुख परियोजनाएं जो 31 मार्च 2012 तक कार्यान्वयन के अधीन थे उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया गया और काम में लाया गया यद्यपि आगे सात माह से 34 माह की देरी थी। देरी में एक माह से 19 माह के बीच में कटौती की गई है और 2014-15 से की गई नयी प्रमुख परियोजनाओं के संबंध में सिंक्रनाइजेशन में सुधार हुआ है (केबल लिंक कार्य के अल्प उपयोग के एक मामले को छोड़कर) तथापि, देरी के मुख्य कारण जैसे निविदा आमंत्रित करने का नोटिस (एनआईटी) आमंत्रित करना और आदेश प्रदान करना, राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) अनुमति इत्यादि अभी भी कायम है।
- डीटीएल वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान ट्रांसफोर्मेशन और ट्रांसमिशन लाईनों के क्षमता वृद्धि के लक्ष्यों को क्रमशः 50 *प्रतिशत* और 54 *प्रतिशत* तक हासिल करने में विफल रहा, यद्यपि लक्ष्य की उपलब्धि का घाटा कम कर दिया गया है क्योंकि समीक्षा अवधि के दौरान यह क्रमशः 68 *प्रतिशत* और 66 *प्रतिशत* था।
- ऑपरेशन और अनुरक्षण में सुधार हुआ है जिससे ट्रांसमिशन हानियों में 2007-08 से 2011-12 के दौरान औसतन 1.40 *प्रतिशत* (1.21 से 1.59 *प्रतिशत* की सीमा तक) से 2012-13 से 2016-17 के दौरान 0.92 *प्रतिशत* (1.15 से 0.70 *प्रतिशत* की सीमा तक) की कमी आई है; 220 केवी में वोल्टेज स्तर में सुधार, ट्रांसफॉर्मर की कम विफलता तथा ट्रांसमिशन क्षमता की 99 *प्रतिशत* की उपलब्धता।
- आपदा प्रबंधन के तहत सुधार हुआ है। डीटीएल ने एनआईएफपीइएस के साथ नये सब-स्टेशन स्थापित करना और नये ट्रांसफॉर्मर की खरीद

करना शुरू किया और अधिक सब-स्टेशनों पर रेत की बाल्टियां, फायरवॉल और तेल कुआं उपलब्ध कराए। डीटीएल, हालांकि, पुराने ट्रांसफॉर्मरों के साथ एनआईएफपीइएस स्थापित करने में विफल रहा।

- खरीद और इन्वेंटरी नियंत्रण की व्यवस्था में कमी बनी हुई है क्योंकि एनआईटी की प्रक्रिया और खरीद आदेशों को प्रदान करने में देरी देखी गयी है।

इस प्रकार, पांच सिफारिशों के तहत 34 कार्रवाई योग्य अभ्युक्तियों में से छः अभ्युक्तियों का पूर्ण कार्यान्वयन, 20 अभ्युक्तियों के संबंध में आंशिक कार्यान्वयन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आठ अभ्युक्तियों के संबंध में नगण्य प्रगति हुई। अतः डीटीएल के कामकाज पर पूर्व प्रतिवेदन में उजागर अपर्याप्तता में आंशिक रूप से सुधार हुआ है और लेखापरीक्षा सिफारिशों को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया जाना अभी बाकी है।

मामला सरकार को भेजा गया (अगस्त 2017), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2018)।

नई दिल्ली — **(सुशील कुमार जायसवाल)**
दिनांकः 19 मार्च 2018 — **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली — **(राजीव महर्षि)**
दिनांकः 21 मार्च 2018 — **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1.2.1
माँग की वसूली के बिना फॉर्मों को जारी करना
(पैराग्राफ संख्या 1.2.2 को देखें)

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	टिन सं.	व्यापारी का नाम	वार्ड सं.	निर्धारण आदेश की तिथि (नि.आ.ति.)	माँग की राशि	निर्धारण वर्ष	भुगतान मिलान की तिथि/अवधि	डी.ओ.ए. के बाद जारी फॉर्मों की सं.	जारी फॉर्मों की राशि
1	7880054696	नाथ मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	204	07.06.2014	5,10,308	2012-13	मार्च 2013	2	1,82,183
2	7940163594	रोहतक चेन एवं ज्वैलरी प्राईवेट लिमिटेड	16	08.01.2014	5,40,864	2013-14	मार्च 2014	1	5,10,000
3	7390258714	सिफी टेक्नोलोजिज लिमिटेड	2	07.06.2014	9,16,332	2012-13	अप्रैल 2008	5	54,95,121
4	7460057158	अपर इंडिया ट्रेडिंग क. (दिल्ली) प्राईवेट लिमिटेड	204	25.05.2014	6,08,298	2013-14	नवम्बर 2014	9	31,67,30,903
5	7180206498	दीप इंडिया एन्टरप्राइजिस प्राईवेट लिमिटेड	204	07.06.2014	5,32,655	2012-13	अक्तूबर-नवम्बर 2015	1	3,31,38,492
6	7250277512	हिमगिरी कारस प्राईवेट लिमिटेड	204	30.01.2015	7,12,857	2014-15	जुलाई से सितम्बर 2012	10	77,57,55,648
7	7230399355	सिक्का ऑटोमोबाइल प्राईवेट लिमिटेड	204	05.02.2015	9,00,186	2014-15	अप्रैल और मई 2014	2	10,69,73,525
8	7500182751	जुबिलेंट फुडवर्क्स लिमिटेड	205	07.06.2014	7,62,804	2012-13	सितम्बर 2006 से फरवरी 2007	13	82,62,05,432
9	7500182751	जुबिलेंट फुडवर्क्स लिमिटेड	205	07.06.2014	6,68,805	2012-13	सितम्बर 2006 से फरवरी 2007	0	0
10	7920235967	पताका इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	205	08.07.2014	5,32,507	2013-14	अक्तूबर और दिसम्बर 2006	17	5,23,06,977
कुल					**66,85,616**			**60**	**2,11,72,98,281**

अनुलग्नक 1.2.2
घोषित क्रय राशि से अधिक फॉर्म जारी करना
(पैराग्राफ संख्या 1.2.3 को देखें)

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	व्यापारी का नाम, टिन तथा वार्ड संख्या	रद्द की तिथि	कर अवधि	रिटर्न में दर्शाये फॉर्म के प्रति अन्तर्राज्यीय क्रय की राशि	डाउनलोड फॉर्मों की राशि	डाउनलोड किए गए फॉर्मों की अधिक राशि	वसूली योग्य कर की दर तथा राशि
1	मैसर्स अभिषेक प्लास्टिक, 07020468389, वार्ड-62	16.12.2013	2013-14	0	26,03,14,469	26,03,14,469	1,30,15,724 (कर 5% की दर से)
2	मैसर्स एफएनडी लोजिस्टिक प्रा.लि., टिन- 07970406320, वार्ड- 93	09.12.2014	2012-13	2,97,90,150	17,35,48,215	14,37,58,065	0 (छूट दी गई मद)
	कुल			**2,97,90,150**	**43,38,62,684**	**40,40,72,534**	**1,30,15,724**

अनुलग्नक 1.2.3

आरसी में शामिल नहीं की गई मदों के लिए फॉर्मों को जारी करना

(पैराग्राफ संख्या 1.2.4 (i) को देखें)

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	व्यापारी का नाम, टिन तथा वार्ड संख्या	निर्धारण वर्ष	जारी फॉर्मों की संख्या	फॉर्मों की राशि	क्रय मदें	आरसी के अनुसार मदें	कर (क्रय मदों पर लागू विभिन्न दरों की गणना)	जुर्माना (कर *1.5)
1	तिरूपति सेल्स कार्पो./ 07630423385/ वार्ड- 67	2012-13	2	2,13,91,821	फैब्रिक्स, सीमेंट	प्लास्टिक रॉ मैटीरियल (प्राइमरी प्लास्टिक), सीमेंट	1,69,677.00	2,54,515.50
2	रामा एन्टरप्राइजेस/ 07636895807/ वार्ड- 24	2014-15	6	57,97,11,928	ऑटो पार्टस	इलैक्ट्रिक तथा इलैक्ट्रोनिक वायर्स, सेनेट्री गुड्स/सेनेट्री वेयर, फर्नीचर, फैरस तथा गैर-फैरस मैटल, अन्य इलैक्ट्रोनिक गुड्स	7,24,63,991.00	10,86,95,986.50
3	मैसर्स प्रकाश एन्टरप्राइजेस/ 07866924506/वार्ड-35	2014-15	56	1,11,90,27,722	सिगरेट्स, लुब्रिकेन्टस, टबेको, सीमेंट	इलैक्ट्रोनिक एपलाईनसिज (घरेलू तथा व्यावसायिक), इलैक्ट्रीफिकेशन	20,47,25,160.93	30,70,87,741.39
4	मैसर्स पूजा एन्टरप्राइजेस/ 07780462830/ वार्ड-64	2013-14	26	37,74,74,949	सिगरेट्स, सीमेंट, आयरन तथा स्टील, ग्लास तथा ग्लास-वेयर	टिम्बर, सेनेट्री हार्डवेयर आइटम्स, वुडन आइटम्स	2,95,00,016.40	4,42,50,024.60
5	मैसर्स श्री श्याम ट्रैडर्स/ 07716899061/ वार्ड 101	2014-15	45	55,09,86,257	बैट्रीज, पान तथा टबेको प्रोडक्टस, स्पेयर पार्टस, टिम्बर, सीमेंट	अन्य इलैकिट्रकल गुड्स	6,47,74,094.80	9,71,61,142.20
6	मैसर्स श्री कान्हा एन्टरप्राइजेस/ 07756894189/ वार्ड-62	2013-14	5	34,37,92,333	टिम्बर	पेन्ट तथा वार्निश, प्लास्टिक रॉ मैटेरियल, अन्य कैमिकल्स, कलरिंग एजेन्ट्स	4,29,74,041.63	6,44,61,062.44
		2014-15	3	30,33,84,016			3,79,23,002.00	5,68,84,503.00
7	मैसर्स अम्बे ट्रैडिंग क./ 07956938667/ वार्ड-77	2014-15	4	12,54,12,015	प्लास्टिक रॉ मैटीरियल (प्राइमरी प्लास्टिक)	हार्डवेयर तथा टूल्स, मार्बल ग्रेनाइट तथा टाइल्स, सीमेंट, टिम्बर, आयरन तथा स्टील	62,70,600.75	94,05,901.13
		2015-16	11	6,32,06,990			36,86,035.98	55,29,053.96
कुल				**3,48,43,88,031**			**46,24,86,620.48**	**69,37,29,930.71**

अनुलग्नक 1.2.4

रिटर्नों में बिक्री शून्य दिखा रहे व्यापारियों को फॉर्म जारी करना

(पैराग्राफ संख्या 1.2.5 (i) (ख) को देखें)

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	व्यापारी का नाम, टिन, वार्ड	कर अवधि	विक्रय	क्रय	विक्रय, क्रय अनुपात	जारी किए गए 'सी' फॉर्मों की राशि	जारी किए गए 'एफ' फॉर्मों की राशि	कुल जारी फॉर्म
1	मैसर्स महावीरा पैकेजिंग, 07770474912, वार्ड-63	2013-14	0	15,12,41,291	0	15,12,41,291	0	15,12,41,291
2	मैसर्स राज एन्टरप्राइजेस, 07176908864, वार्ड-25	2013-14	0	38,00,09,859	0	38,00,09,859	0	38,00,09,859
3	मैसर्स अग्रवाल एंड क., 07166904359, वार्ड-24	2013-14	0	12,53,00,478	0	12,53,00,478	0	12,53,00,478
4	मैसर्स गैलेक्सी एन्टरप्राइजेस, 07166894368, वार्ड-24	2013-14	0	18,57,47,910	0	18,57,47,910	0	18,57,47,910
5	मैसर्स ओम एन्टरप्राइजेस, 07120442823, वार्ड-84	2015-16	0	2,89,84,842	0	2,89,84,842	0	2,89,84,842
6	मैसर्स श्री बालाजी एन्टरप्राइजेस, 07216936358, वार्ड-62	2014-15	0	1,88,62,574	0	1,88,62,574	0	1,88,62,574
7	मैसर्स एमडी एन्टरप्राइजेस, 07266908863, वार्ड-25	2013-14	0	9,09,70,823	0	9,09,70,823	0	9,09,70,823
8	मैसर्स केजी ट्रैडर्स, 07110470910, वार्ड-52	2014-15	0	19,34,10,652	0	19,34,10,652	0	19,34,10,652
9	मैसर्स अंकित एन्टरप्राइजेस, 07786915464, वार्ड-25	2013-14	0	1,82,63,612	0	1,82,63,612	0	1,82,63,612
10	मैसर्स ई.एम.डी. एन्टरप्राइजेस, 07676907522, वार्ड -25	2013-14	0	8,97,31,227	0	8,97,31,227	0	8,97,31,227
11	मैसर्स अमन एन्टरप्राइजेस 07296913066,वार्ड-25	2013-14	0	1,50,48,036	0	1,50,48,036	0	1,50,48,036
12	मैसर्स कार्तिक ट्रैडिंग क. 07560373517, वार्ड-84	2013-14	0	10,14,55,750	0	54,21,798	9,60,33,952	10,14,55,750
13	मैसर्स अम्बा ट्रैडर्स, 07270473344, वार्ड-84	2013-14	0	14,60,21,558	0	0	14,60,21,558	14,60,21,558
कुल				**1,54,50,48,612**		**1,30,29,93,102**	**24,20,55,510**	**1,54,50,48,612**

अनुलग्नक 1.2.5
रद्द व्यापारियों के अंतशेष पर कर का गैर-उद्ग्रहण
(पैराग्राफ संख्या 1.2.5 (ii) को देखें)

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	व्यापारी का नाम, टिन, वार्ड संख्या	कर अवधि	नवम्बर 2015 के बाद जारी कुल फॉर्म	विक्रय	क्रय	क्रय तथा विक्रय अनुपात (प्रतिशत)	अंतशेष	मदें	कर की दर	अंतशेष पर देय कर
1	मैसर्स शुभ उद्योग, 07020475664, वार्ड-66	2014-15	35,11,06,750	10,62,12,343	45,69,59,160	23	35,07,46,817	आयरन तथा स्टील	5%	1,75,37,341
2	मैसर्स महावीरा पैकेजिंग, 07770474912, वार्ड-63	2013-14	15,12,41,291	0	15,12,41,291	0	15,12,41,291	ड्राई फ्रूट्स	5%	75,62,065
3	मैसर्स यश ट्रैडिंग क., 07826913211, वार्ड-24	2014-15	2,40,36,74,520	89,96,21,591	480,48,63,423	19	390,52,41,832	एडीबल ऑयल	5%	19,52,62,091
		2015-16	63,46,43,702	0	2,395,216,105	0	2,395,216,105	एडीबल ऑयल	5%	11,97,60,805
4	मैसर्स राज एन्टरप्राइजेस, 07176908864, वार्ड-25	2013-14	38,00,09,859	0	38,00,09,859	0	38,00,09,859	बॉल-बियरिंग	12.50%	4,75,01,232
5	मैसर्स अग्रवाल एंड क., 07166904359, वार्ड-24	2013-14	12,53,00,478	0	12,53,00,478	0	12,53,00,478	आयरन तथा स्टील	5%	62,65,024
6	मैसर्स गैलेक्सी एन्टरप्राइजेस, 07166894368, वार्ड-24	2013-14	18,57,47,910	0	18,57,47,910	0	18,57,47,910	ड्राई फ्रूट्स	5%	92,87,396
7	मैसर्स ओम एन्टरप्राइजेस, 07120442823, वार्ड-84	2015-16	2,89,84,842	0	2,89,84,842	0	2,89,84,842	पैकेजिंग गुड्स	5%	14,49,242
8	मैसर्स विवेक सेल्स, 07816977932, वार्ड-24	2015-16	6,04,07,780	1,77,78,322	6,04,07,780	29	4,26,29,458	बिटल नटस् तथा पान इनपुटस्	12.50%	53,28,682
9	मैसर्स श्री बालाजी एन्टरप्राइजेस, 07216936358, वार्ड-62	2014-15	1,88,62,574	0	1,88,62,574	0	1,88,62,574	सर्जिकल इन्सट्रयूमेन्ट	12.50%	23,57,822
10	मैसर्स एमडी एन्टरप्राइजेस, 07266908863, वार्ड-25	2013-14	9,09,70,823	0	9,09,70,823	0	9,09,70,823	मशीनरी पार्टस	12.50%	1,13,71,353

क्र.सं.	व्यापारी का नाम, टिन, वार्ड संख्या	कर अवधि	नवम्बर 2015 के बाद जारी कुल फॉर्म	विक्रय	क्रय	क्रय तथा विक्रय अनुपात (प्रतिशत)	अंतशेष	मदें	कर की दर	अंतशेष पर देय कर
11	मैसर्स केजी ट्रैडर्स, 07110470910, वार्ड-52	2014-15	19,34,10,652	0	19,34,10,652	0	19,34,10,652	पॉलीथीन पैकेजिंग मैटीरियल	5%	96,70,533
12	मैसर्स अंकित एन्टरप्राइजेस, 07786915464, वार्ड-25	2013-14	1,82,63,612	0	1,82,63,612	0	1,82,63,612	मशीनरी पार्टस	12.50%	22,82,952
13	मैसर्स ई.एम.डी. एन्टरप्राइजेस 07676907522, वार्ड -25	2013-14	8,97,31,227	0	8,97,31,227	0	8,97,31,227	मशीनरी पार्टस	12.50%	1,12,16,403
14	मैसर्स अमन एन्टरप्राइजेस, 07296913066, वार्ड-25	2013-14	1,50,48,036	0	1,50,48,036	0	1,50,48,036	मशीनरी पार्टस	12.50%	18,81,005
15	मैसर्स कार्तिक ट्रैडिंग क. 07560373517, वार्ड-84	2013-14	10,14,55,750	0	10,14,55,750	0	10,14,55,750	आयरन तथा स्टील	5%	50,72,788
16	मैसर्स अम्बा ट्रैडर्स, 07270473344, वार्ड-84	2013-14	14,60,21,558	0	14,60,21,558	0	14,60,21,558	आयरन तथा स्टील	5%	73,01,078
कुल			**4,99,48,81,364**	**102,36,12,256**	**926,24,95,080**		**823,88,82,824**			**46,11,07,812**

अनुलग्नक 1.2.6

सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत रद्द व्यापारियों का गैर निर्धारण

(पैराग्राफ संख्या 1.2.5 (iii) को देखें)

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	व्यापारी का नाम, टिन तथा वार्ड संख्या	कर अवधि	फॉर्मों के प्रति अन्तर्राज्यीय विक्रय	मदें	कर की दर	सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत देय कर (₹)
1	मैसर्स शुभ उद्योग, 07020475664, वार्ड-66	2014-15	10,62,12,343	आयरन तथा स्टील	5%	53,10,617
2	मैसर्स यश ट्रैडिंग क., 07826913211, वार्ड-24	2014-15	68,84,46,874	एडीबल ऑयल	5%	3,44,22,344
3	मैसर्स विवेक सेल्स, 07816977932, वार्ड-24	2015-16	1,77,78,322	बिटल नटस् तथा पान इनपुटस्	12.50%	22,22,290
कुल			**81,24,37,539**			**4,19,55,251**

अनुलग्नक 1.2.7 (क)
सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत गैर निर्धारण तथा आरसी को रद्द करने के लिए व्यापारियों द्वारा डीवैट-09 फाइल करने के बाद फॉर्मों को जारी करना
(पैराग्राफ संख्या 1.2.6 (क) देखें)

(राशि ₹ में)

				डीवैट-09 के बाद जारी फॉर्म			फॉर्मों के प्रति अन्तर्राज्यीय विक्रय (संशोधित रिटर्न के अनुसार)								
क्र.सं.	निर्धारिति का नाम/ टिन/ वार्ड	वर्ष	डीवैट-09 को फाइल करने की तिथि	सी	एफ	कुल फॉर्म	सी	एफ	आई/एच	ई1	अंतिम संशोधित रिटर्न के बाद स्टॉक	डीवैट-09 में घोषित स्टॉक	मद/कर दर	आइएसएस पर भुगतान योग्य कर	स्टॉक पर कर
1	गर्ग इंटरनेशनल/ 07876939584/ वार्ड-82	2015-16	23.06.2015	58,22,13,233	5,06,32,778	63,28,46,011	0	13,54,70,578	0	0	0	0	राइस तथा पेड्डी/ 0%	0	0
2	स्पार्क लिंक एग्जिम/ 07896913124/ वार्ड-28	2014-15	31.3.2015	4,03,07,194	1,46,86,00,146	1,50,89,07,340	1,81,27,82,805	2,22,23,520	15,46,000	88,14,039	3,31,01,64,050	760	पान तथा टेबैको/ 20%	33,28,17,617	66,20,32,658
3	पारूल पोलिमर प्रा.लि. 07970407193/ वार्ड-63	2014-15	6.8.2014	49,17,06,526	0	49,17,06,526	7,87,14,420	1,12,22,48,419	0	0	0	0	प्लास्टिक रॉ मैटेरियल/ 5 %	5,84,73,854	0
4	जगदम्बा सेल्स कार्पोरेशन/ 07096910751/ वार्ड-64	2014-15	25.11.2014	0	1,11,11,62,732	1,11,11,62,732	0	13,84,45,872	57,08,52,467	0	1,16,95,08,534	9,08,599	आयरन तथा स्टील/ 5 %	3,54,64,917	5,84,29,997
कुल				**1,11,42,26,953**	**2,63,03,95,656**	**3,74,46,22,609**	**1,89,14,97,225**	**1,41,83,88,389**	**57,23,98,467**	**88,14,039**	**4,47,96,72,584**	**9,09,359**		**42,67,56,388**	**72,04,62,655**

अनुलग्नक 1.2.7 (ख)

डीवैट-11 के द्वारा आरसी को रद्द करने के बाद व्यापारियों को फॉर्म जारी करना तथा सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत गैर-निर्धारण

(पैराग्राफ संख्या 1.2.6 (ख) देखें)

(राशि ₹ में)

				डीवैट-11 के बाद जारी फॉर्म			फार्मों के प्रति अन्तर्राज्यीय बिक्री (अंतिम संशोधित रिटर्न के अनुसार)						
क्र.सं.	निर्धारिति का नाम/ टिन/ वार्ड	वर्ष	डीवैट-11 को फाइल करने की तिथि	सी	एफ	कुल फॉर्म	सी	एफ	आई/एच	सी+ई1	फॉर्मों के प्रति कुल आइएस विक्रय	मुख्य मद/कर दर	आइएसएस पर भुगतान योग्य कर
1	मैसर्स कृष्णा इंटरनेशनल, 07086917692, वार्ड- 103	2014-15	27.06.2015	10,59,17,075	32,67,87,335	43,27,04,410	10,21,12,427	23,98,23,926	0	0	34,19,36,353	ऑक्सीलरी ऑरिएन्टिड पॉली प्रोपीलिन/ 5%	1,70,96,818
2	मैसर्स वृन्दा एन्टरप्राइजेस, 07270427560 , वार्ड- 56	2014-15	31.10.2014	57,17,46,239	0	57,17,46,239	0	0	0	77,15,22,677	77,15,22,677	प्लास्टिक रॉ मैटीरियल/ 5%	3,85,76,134
3	मैसर्स महिमा एग्जिम, 07416898450, वार्ड- 80	2014-15	23.04.2014	16,55,85,589	0	16,55,85,589	0	15,70,29,839	0	0	15,70,29,839	5%	78,51,492
4	मैसर्स आनन्द एन्टरप्राइजेस, 07516941948, वार्ड- 28	2015-16	09.07.2015	22,40,69,515	0	22,40,69,515	0	0	0	26,60,32,074	26,60,32,074	5%	1,33,01,604
5	मैसर्स निशा इंटरनेशनल, 07556898276, वार्ड- 74	2014-15	10.07.2014	18,45,35,060	0	18,45,35,060	0	0	0	18,53,47,280	18,53,47,280	5%	92,67,364
6	मैसर्स दिव्या सेल्स , 07350421502, वार्ड 71	2014-15	02.04.2013	12,62,51,190	1,27,98,415	13,90,49,605	0	0	0	11,66,19,045	11,66,19,045	एडीबल ऑयल / 5%	58,30,952
7	यूनिक इंटरनेशनल, 070226905697, वार्ड 75	2014-15	14.11.2014	24,60,25,032	0	24,60,25,032	0	0	0	63,52,63,013	63,52,63,013	एडीबल ऑयल / 5%	3,17,63,151
	कुल			**1,62,41,29,700**	**33,95,85,750**	**1,96,37,15,450**	**10,21,12,427**	**39,68,53,765**	**0**	**1,97,47,84,089**	**2,47,37,50,281**		**12,36,87,514**

अनुलग्नक 1.2.8
एकल लेन देन मूल्य के प्रति बहु फॉर्म जारी करना
(पैराग्राफ संख्या 1.2.7 (क) देखें)

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	व्यापारी का नाम, टिन तथा वार्ड संख्या	कर अवधि	क्रय राशि	जारी फॉर्मों की संख्या	जारी हुए फॉर्मों का प्रकार तथा संख्या	जारी हुए फॉर्मों की राशि	विक्रय व्यापारी का नाम तथा टिन संख्या
1	श्री बालाजी ओवरसीज, 07766908782, वार्ड-13	तृतीय तिमाही (2014-15)	11,83,01,669	2	'सी' फॉर्म		प्रीमियर कार वर्ल्ड प्रा.लि. (कोलकाता), टिन- 1945801010
					(1) 12130812040115	11,83,01,669	
					(2) 12155834970317	11,83,01,669	
2	कृष्णा ट्रैडर्स, 07780460793, वार्ड-61	मई 2013	4,75,13,059	2	'एफ' फॉर्म		दिनेश ऑयल लि., टिन- 9442800277
					(1) 12315287040913	4,75,13,059	
					(2) 12315061360913	4,75,13,059	
		मई 2013	8,34,06,109	2	'एफ' फॉर्म		दिनेश ऑयल लि., टिन- 9442800277
					(1) 12315061370913	8,34,06,109	
					(2) 12315287050913	8,34,06,109	
3	मैसर्स आर.के. एन्टरप्राइजेस, 07290454806, वार्ड-96	चतुर्थ तिमाही (2012-13)	25,710,486	2	'सी' फॉर्म		जिंदल पॉलिफिल्मस लि., टिन- 27820000467
					(1) 12115501840913	26,224,696	
					(2) 12112315030513	25,710,486	
4	मैसर्स स्पार्क लिंक एक्जीम/ 07896913124, वार्ड- 28	प्रथम तिमाही (2014-15)	34,25,30,269	4	'एफ' फॉर्म		धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, उत्तर प्रदेश/ टिन- 9265700298
					(1) 12325260590714	34,25,30,269	
		अप्रैल 2014			(2) 12325313350714	4,72,38,568	
		मई 2014			(3) 12325313360714	11,09,10,923	
					(4) 12325313370714	18,43,80,778	
कुल			**61,74,61,592**				

अनुलग्नक 1.2.9 (क)
एक ही क्रम संख्या धारक फॉर्मों को जारी करना
(पैराग्राफ संख्या 1.2.7 (ख) देखें)

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	व्यापारी का नाम, टिन तथा वार्ड संख्या	वर्ष	फॉर्मों के प्रकार	जारी फॉर्मों की संख्या	फॉर्मों की क्रम संख्या	जारी कुल फॉर्मों का मूल्य	टिप्पणी
1	मैसर्स यूएनएसएसआई इंडिया प्रा.लि., टिन-07970192241, वार्ड- 97	2012-13	सी	41	12112665100718	1,05,16,865	प्रत्येक फॉर्म अलग मूल्य दिखाता है।
2	मैसर्स रोनी वेयरस, टिन-07310254878, वार्ड-64	2012-13	एफ	5	12112665115613	9,34,805	प्रत्येक फॉर्म अलग मूल्य दिखाता है।
			सी	4	12112665115613	7,47,844	
			कुल	**50**		**1,21,99,514**	

अनुलग्नक 1.2.9 (ख)
'शून्य' मूल्य दर्शाते फॉर्मों को जारी करना
(पैराग्राफ संख्या 1.2.7 (ग) देखें)

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	व्यापारी का नाम, टिन तथा वार्ड	कर अवधि	फॉर्मों का प्रकार	फॉर्मों की क्रम संख्या	फॉर्मों का मूल्य (व्यापारी की डीलर प्रोफाइल के अनुसार)	फॉर्म पर प्रकाशित राशि	विक्रय व्यापारी का नाम तथा टिन संख्या
1	मैसर्स स्पार्क लिंक एक्जीम, 07896913124, वार्ड-28	मई 2014	एफ	12325260600714	11,09,10,923	0	मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड
2		जून 2014	एफ	12325260610714	11,09,10,923	0	वही
3		जनवरी 2014	एफ	12323332260614	0	0	वही
4		फरवरी 2014	एफ	12323332270614	0	0	वही
कुल					**22,18,21,846**		

अनुलग्नक 2.1(i)
राज्य सरकार द्वारा उन सा.क्षे.उ. में निवेश जिनके लेखे बकाया थे, को दर्शाती विवरणी
(पैराग्राफ सं. 2.1.9 को देखें)

(कॉलम 4 और 6 से 8 में आंकड़े ₹ करोड़ में है)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	वर्ष जब तक लेखों अंतिम रूप दिया गया	अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूंजी	अंतिम रूप दिये जाने हेतु लंबित लेखों की अवधि	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों के दौरान किया गया निवेश जिनके लिए लेखे बकाया है			
					वर्ष	इक्विटी	ऋण	अनुदान/ सबसिडी
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
क	**कार्यशील कंपनियां/निगम**							
1.	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व., अल्पसंख्यक, विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2003-04	25.92	13 वर्ष (2004-05 से 2016-17)	2004-05*	0.00	0.00	2.04
					2005-06	1.81	0.00	0.66
					2006-07	0.00	0.34	0.00
					2007-08	7.00	2.15	0.00
					2008-09	0.64	0.00	0.36
					2009-10	6.00	0.00	0.64
					2010-11	3.83	0.00	0.51
					2011-12	0.00	0.00	0.50
					2012-13	0.00	50.00	0.53
					2013-14	0.00	0.00	81.00
					2014-15	0.00	0.00	0.00
					2015-16	0.00	0.00	0.55
					2016-17	0.00	0.00	0.00
2.	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2015-16	21.00	1 वर्ष (2016-17)	2016-17*	0.00	0.00	0.00
3.	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम	2015-16	0.00	1 वर्ष (2016-17)	2016-17*	0.00	0.00	0.00
4.	दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	2015-16	745.05	1 वर्ष (2016-17)	2016-17	0.00	0.00	176.01
5.	दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड	2015-16	3,951.00	1 वर्ष (2016-17)	2016-17	0.00	100.00	11.34
6.	इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	2015-16	736.54	1 वर्ष (2016-17)	2016-17	0.00	30.00	1.59
7.	प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	2,074.19	1 वर्ष (2016-17)	2016-17	0.00	339.98	0.00
8.	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2015-16	7.00	1 वर्ष (2016-17)	2016-17	0.00	0.00	0.00
9.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	6.28	1 वर्ष (2016-17)	2016-17*	0.00	0.00	0.47
10.	जियोस्पैशियल दिल्ली लिमिटेड	2015-16	10.76	1 वर्ष (2016-17)	2016-17*	0.00	0.00	0.00
11.	दिल्ली क्रिएटिव आर्टस् लिमिटेड	2015-16	0.01	1 वर्ष (2016-17)	2016-17*	0.00	0.00	0.00
12.	डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड	2015-16	0.01	1 वर्ष (2016-17)	2016-17*	0.00	0.00	0.00
13.	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2013-14	10.65	3 वर्ष (2014-15 से 2016-17)	2014-15*	0.00	0.00	0.00
					2015-16	0.00	0.00	0.00
					2016-17	0.00	0.00	0.00
	कुल क (कार्यशील सरकारी कंपनियां)		**7,588.41**			**19.28**	**522.47**	**276.20**
ख	**कार्यशील वैधानिक निगम**							
1.	दिल्ली वित्तीय निगम	2015-16	26.42	1 वर्ष (2016-17)	2016-17*	0.00	0.00	0.00
2.	दिल्ली परिवहन निगम	2015-16	1,983.85	1 वर्ष (2016-17)	2016-17	0.00	0.00	1,555.36
	कुल ख (कार्यशील वैधानिक निगम)		**2,010.27**			**0.00**	**0.00**	**1,555.36**
	कुल योग (क+ख)		**9,598.68**			**19.28**	**522.47**	**1,831.56**

* 30 सितम्बर 2017 को लेखे प्रक्रियाधीन थे।

अनुलग्नक - 2.1 (ii)

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की उनके अद्यतन अंतिम वित्तीय विवरणों/लेखों के अनुसार सारकृत वित्तीय स्थिति और कार्यशील परिणाम

(पैराग्राफ 2.1.12 को देखें)

(कॉलम 5 से 11 में आंकड़े ₹ करोड़ में है)

क्र. सं.	कंपनी का नाम और क्षेत्र	लेखा अवधि	वर्ष जब लेखों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/ घाटा (-)	टर्नओवर	निवल लाभ (+)/ घाटा (-)				लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का निवल प्रभाव[1]	निवेश	निवेश पर रिटर्न	श्रमशक्ति
								ब्याज और मूल्यहास से पहले निवल लाभ/घाटा	ब्याज	मूल्य ह्रास	निवल लाभ/घाटा (कर से पहले)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9 (क)	9 (ख)	9 (ग)	9(घ)	(10)	(11)	(12)	(13)
क. कार्यशील सरकारी कंपनियां															
वित्त															
1	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. अल्पसंख्यक, विकलांग वित्तीय व विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2013-14	25.92	11.79	26.99	11.09	6.22	0.40	0.25	5.57	0.00	64.70	0.09	165
क्षेत्रवार योग				**25.92**	**11.79**	**26.99**	**11.09**	**6.22**	**0.40**	**0.25**	**5.57**	**0.00**	**64.70**	**0.09**	**165**
अवसंरचना															
2	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	21.00	0.00	523.04	1,079.70	40.15	0.00	1.69	38.46	14.10	544.04	0.07	1,375
3	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम[2]	2015-16	2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13
क्षेत्रवार योग				**21.00**	**0.00**	**523.04**	**1,079.70**	**40.16**	**0.00**	**1.70**	**38.46**	**14.10**	**544.04**	**0.07**	**1,388**
पावर															
4	दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	2015-16	2016-17	745.05	2,014.13	-1,536.61	0.00	117.83	35.88	0.04	81.91	706.31	2,759.18	0.04	15
5	दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड	2015-16	2016-17	3,951.00	1,724.80	-1,847.79	1,112.98	946.65	198.86	202.48	545.31	127.59	5,675.80	0.13	1,363
6	इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	2015-16	2016-17	736.54	120.46	415.61	345.74	84.82	128.42	33.85	-77.45	325.92	1,272.61	0.04	804

क्र. सं.	कंपनी का नाम और क्षेत्र	लेखा अवधि	वर्ष जब लेखों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/ घाटा (-)	टर्नओवर	निवल लाभ (+)/ घाटा (-)				लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का निवल प्रभाव	निवेश	निवेश पर रिटर्न	श्रमशक्ति
								ब्याज और मूल्यह्रास से पहले निवल लाभ/घाटा	ब्याज	मूल्य ह्रास	निवल लाभ/घाटा (कर से पहले)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9 (क)	9 (ख)	9 (ग)	9 (घ)	(10)	(1)	(2)	(3)
7	प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	2016-17	2,074.19	1,961.62	2,063.29	2,158.85	866.90	321.80	294.35	250.75	434.81	6,099.10	0.09	306
8	दि.रा.औ.अ.वि.नि. एनर्जी लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.01	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0
क्षेत्रवार योग				**7,506.79**	**5,821.01**	**-905.28**	**3,617.57**	**2,016.20**	**684.96**	**530.72**	**800.52**	**1,594.63**	**15,806.92**	**0.09**	**2,488**
सेवाएं															
9	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	7.00	2.14	29.49	915.05	9.52	0.00	0.69	8.49	6.00	38.63	0.22	557
10	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	6.28	0.00	115.32	1,112.70	6.79	0.00	4.23	2.48	8.84	121.60	0.02	701
11	जियोस्पैशियल दिल्ली लिमिटेड	2015-16	2016-17	10.76	0.00	6.70	6.64	5.23	0.00	0.46	4.77	3.16	17.46	0.27	67
12	दिल्ली क्रिएटिव आर्टस लिमिटेड	2015-16	2016-17	0.01	0.03	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0
13	दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. लिकर लिमिटेड	2015-16	2016-17	0.01	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0
14	दि.रा.औ.अ.वि.नि. मेंटनेंस सर्विसेज लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.01	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0
क्षेत्रवार योग				**24.07**	**2.17**	**151.35**	**2,034.39**	**21.54**	**0.00**	**5.38**	**15.74**	**18.00**	**177.75**	**0.09**	**1,325**

[1] लेखा टिप्पणियों के प्रभाव में नवीनतम लेखों पर अक्तूबर 2016 से सितम्बर 2017 की अवधि के दौरान जारी किए गए वैधानिक लेखापरीक्षकों और कैग की टिप्पणियों का कुल प्रभाव शामिल है तथा यह (+) लाभ में वृद्धि/नुकसान में कमी, (-) लाभ में कमी/नुकसान में वृद्धि द्वारा दर्शाया गया है।

[2] एसआरसी में ₹ 700 की प्रदत्त पूंजी, ₹ 658 का ब्याज और संचित लाभ ₹ 44,492 मात्र है।

क्र. सं.	कंपनी का नाम और क्षेत्र	लेखा अवधि	वर्ष जब लेखों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/ घाटा (-)	टर्नओवर	निवल लाभ (+)/ घाटा (-)				लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का निवल प्रभाव	निवेश	निवेश पर रिटर्न	श्रमशक्ति
								ब्याज और मूल्यह्रास से पहले निवल लाभ/घाटा	ब्याज	मूल्य ह्रास	निवल लाभ/घाटा (कर से पहले)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9 (क)	9 (ख)	9 (ग)	9(घ)	(10)	(1)	(2)	(3)
परिवहन															
15	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2016-17	10.65	63.00	26.72	43.34	48.30	17.78	1.89	28.16	10.30	100.37	0.46	127
क्षेत्रवार योग				**10.65**	**63.00**	**26.72**	**43.34**	**48.30**	**17.78**	**1.89**	**28.16**	**10.30**	**100.37**	**0.46**	**127**
कुल क (सभी क्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कंपनियां)				**7,588.43**	**5,897.97**	**-177.18**	**6,786.09**	**2,132.42**	**703.14**	**539.94**	**888.45**	**1,637.03**	**16,693.78**	**0.10**	**5,493**
ख. कार्यशील सांविधिक निगम															
वित्त															
16	दिल्ली वित्तीय निगम	2015-16	2016-17	26.42	47.00	6.62	17.52	9.46	4.80	0.36	1.70	21.69	80.04	0.08	83
क्षेत्रवार योग				**26.42**	**47.00**	**6.62**	**17.52**	**9.46**	**4.80**	**0.36**	**1.70**	**21.69**	**80.04**	**0.08**	**83**
परिवहन															
17	दिल्ली परिवहन निगम	2015-16	2017-18	1,983.85	11,676.14	-25,300.00	914.72	59.94	3,302.40	168.64	-3,411.10	2,539.72	13,659.99	-0.01	30,527
क्षेत्रवार योग				**1,983.85**	**11,676.14**	**-25,300.00**	**914.72**	**59.94**	**3,302.40**	**168.64**	**-3,411.10**	**2,539.72**	**13,659.99**	**-0.01**	**30,527**
कुल ख (सभी क्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगम)				**2,010.27**	**11,723.14**	**-25,293.38**	**932.24**	**69.40**	**3,307.20**	**169.00**	**-3,409.40**	**2,561.41**	**13,740.03**	**-0.01**	**30,610**
कुल योग (क + ख)				**9,598.70**	**17,621.11**	**-25,470.56**	**7,718.33**	**2,201.82**	**4,010.34**	**708.94**	**-2,520.95**	**4,198.44**	**30,433.81**	**0.05**	**36,103**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in